सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों सहित)

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, पिन-492002

दूरभाष कार्यालय : (0771) 2512107, फैक्स नं. : 2512102

वेबसाइट : www.siccg.gov.in

वेबपोर्टल : rtionline.cg.gov.in

नरेन्द्र कुमार शुक्ल
राज्य सूचना आयुक्त
छ.ग. राज्य सूचना आयोग

सूचना का
अधिकार

संदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावशील होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह सरकार से किसी भी तरह की सूचना तथा शासन के क्रियाकलापों से संबधित समस्त अभिलेख प्राप्त कर सके। इस अधिनियम के माध्यम से ही नागरिकों को सरकार से जनहित के मुद्दों पर प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नागरिकों को प्रशासन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय एवं उसकी प्रकिया जानना सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा ही आसान हुआ। आज नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के माध्यम से जान पाते हैं कि किसी भी स्तर पर जो निर्णय लिया गया है वह किस प्रक्रिया को अपना कर लिया गया है। इससे शासन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अत्यधिक प्रभावकारी रहा है तथा इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का क्रान्तिकारी अधिकार प्रदत्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों एवं आम नागरिकों के मध्य इस अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है जिससे आम नागरिकों तथा अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के साथ साथ छत्तीसगढ शासन द्वारा समय समय पर जारी महत्वपूर्ण नियम, निर्देश, अधिसूचनाओं का व्यवस्थित रूप से समावेश कर इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त पदनामित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी इसका अध्ययन कर उनके समक्ष अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों का निराकरण सहजता से कर सकेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी महत्वपूर्ण नियम, निर्देश, अधिसूचनाओं को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा आयोग की वेबसाईट siccg.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है ताकि आम नागरिकों को भी इस संकलन का लाभ प्राप्त हो सके और सूचना प्राप्त करने के लिये प्रेरित हो सके।

इस पुस्तिका के संकलन एवं प्रकाशन की सफलता के लिये मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र कुमार शुक्ल)

आलोक चन्द्रवंशी
राज्य सूचना आयुक्त
छ.ग. राज्य सूचना आयोग

सूचना का
अधिकार

संदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावशील होने से नागरिकों को क्रांतिकारी अधिकार प्रदत्त किया गया है, जिसने शासन के कार्यों में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया है। इस अधिनियम के कारण नागरिकों को चुनी हुई सरकार से जनहित के मुद्दों पर जानकारी एवं सहभागिता हेतु सीधा अधिकार दिया है, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ी है। गत वर्षों में इस अधिनियम में समय–समय पर संशोधन होने से इससे सफल क्रियान्वयन के लिए सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस मार्गदर्शिका में मूल अधिनियम के साथ ही नियम तथा केन्द्र सरकार एवं छ.ग. शासन के समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों को व्यवस्थित रूप से समाहित किया गया है, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मार्गदर्शिका का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है।

छ.ग. शासन द्वारा तैयार किये गये वेबपोर्टल https://rtionline.cg.gov.in में आवेदकों से आनलाईन आवेदनों को प्राप्त करने की तथा जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा आनलाईन कार्यवाही करने की सुविधा दी गई है। साथ ही आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रेषित किये जाने के लिए भी पोर्टल में सुविधा प्रदान की गई है।

मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीन समस्त पदनामित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी इस संकलन का अध्ययन कर अधिनियम के क्रियान्वयन को सरल एवं सफल बनायेंगे। जिससे समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के साथ–साथ छ.ग. राज्य सूचना आयोग की वेबसाईट siccg.gov.in पर भी इस मार्गदर्शिका को उपलब्ध कराया जा रहा है, आम नागरिक भी इस संग्रह का उपयोग कर सके और सूचना प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके।

इस अधिनियम के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस पुस्तक के प्रकाशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

(आलोक चन्द्रवंशी)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(The Right to Information, Act 2005)

(छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों सहित)

दशम संस्करण (वर्ष 2025)

विषय सूची

CONTENTS

सरल क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
	भाग - 1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – 15 जून, 2005	01–48
2.	भारत का राजपत्र–अधिसूचना 29 अक्टूबर 2019	49–56
	भाग - 2 आवेदन प्रस्तुति नियम एवं दिशा-निर्देश	
3.	अधिसूचना–''छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग'' का गठन	57–58
4.	छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009। 15 जून, 2009	59–60
5.	अधिसूचना–सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009	61–64
6.	अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों संबद्ध सूचना मांगी गई हो। भा.स. 12 जून, 2008	65
7.	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश–27 सितम्बर 2008 (रिकार्डों को अद्यतन बनाना द्वितीय प्रशानिक सुधार की सिफारिशें)	65
8.	अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों का दिशा–निर्देश। 27 सितम्बर, 2008 (सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 के अन्तर्गत 'सूचना' के सरूप के संबंध में स्पष्टिकरण)	66–67
	भाग - 3 अपील नियम एवं निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश	
9.	अधिसूचना – रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006 (अपील) नियम, 2006 दिनांक 17 मार्च 2006	68–76

10.	सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में संशोधन। 23 मई 2006	76–77
11.	अधिसूचना संशोधन (अपील) नियम, 2006–04 नवम्बर 2011	78–79
12.	अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही। 20 दिसम्बर 2006	80–84
13.	प्रथम अपीलों का समयावधि में निराकरण–20 जुलाई 2007	85
14.	अधिनियम के तहत् अनुरोध का निपटारा तथा अपील की सुनवाई निर्धारित समय में किये जाने के संबंध में। 22 दिसम्बर, 2010	85–87
15.	अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निपटारा समयावधि में करने बाबत्। 29 अप्रैल 2013	88
16.	अधिनियम के तहत् प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही एवं अपील का निराकरण। 31 अक्टूबर 2014	88–90
17.	जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना की आपूर्ति एवं प्रथम अपीलीय प्रकरण का निराकरण संबंधी दिशा–निर्देश। 17 अप्रैल, 2015	90–92
18.	जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दिए जाने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रथम अपील आदेश के संबंध में निर्देश दिए जाने बाबत।	92
19.	अपील के संबंध में मार्गदर्शन विषयक। 12 अप्रैल 2006 (वकील) के संबंध में	93
	भाग - 4 अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पता अंकित करना	
20.	अधिनियम के तहत् नियुक्त अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की पट्टिका लगाने विषयक। 13 अप्रैल 2006	94
21.	अपील आवेदन पत्र में ज.सू.अ. एवं प्र.अ.अ. का नाम, पद एवं पता अंकित करना। 30 दिसम्बर 2011	94–95
22.	सूचना प्रदाय करते समय जन सूचना अधिकारी तथा आदेश पारित करते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अंकित करने के संबंध में। 11 अगस्त, 2015	95–96
23.	सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की पट्टिका लगाने विषयक।	96

भाग - 5 शुल्क एवं मूल्य विनियमन नियम तथा निर्देश

24.	छत्तीसगढ़ राजपत्र–अधिसूचना 01 अक्टूबर 2005 एवं 11 अक्टूबर 2005 (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005	97–98
25.	नियम 3 में शब्द या नान ज्युडिशियल के पूर्व, शब्द या ई स्टाम्प अंतः स्थापित किया जाये। 6 जनवरी 2021	99
26.	अधिसूचना–संशोधन (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005। 25 फरवरी 2006	100
27.	संशोधन–(अंग्रेजी अनुवाद) (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005। 25 फरवरी 2006	100
28.	छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 में संशोधन अधिसूचना। 31 जनवरी 2012	101
29.	अधिसूचना–12 अक्टूबर, 2006–(शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007	102–103
30.	अधिसूचना–14 नवम्बर 2013 (शुल्क एवं प्रभार) नियम	104
31.	छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007 के नियम 4 विलोपित। 14 नवम्बर 2013	104
32.	Fees and Charge Rules 2007- 12 October 2006	105
33.	अधिसूचना "संशोधन नियम, 2006" (शुल्क एवं प्रभार) 10 जुलाई 2008	106
34.	शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण–रायपुर दिनांक 13 सितम्बर 2007	107
35.	भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी। भा.स. 07 जून 2011	107
36.	भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी। 26 अप्रैल 2012	108
37.	इलेक्ट्रानिक भारतीय पोस्टल आर्डर (e-IPO) की सुविधा का उपयोग। 22 अक्टूबर, 2014	109
38.	e-IPl (Electronic Indian Postal Order) was launched. 12 August 2014	109
39.	Electronic Indian Postal Order - launching of. 22 March 2013	110
40.	Electronic Indian Postal Order - extension of service to indian Citizens residing in India. 15 February 2014	111

41.	अधिनियम, के अंतर्गत शुल्क का भुगतान अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) का कार्यक्षेत्र। भा.स. 24 मई, 2010	112–113
42.	अधिनियम की धारा–7(3)(क) के संबंध में निर्देश–21 अगस्त, 2014	114
	भाग - 6 अधिनियम के प्रावधानों से छूट	
43.	अधिनियम की प्रावधानों से छूट। 22 अक्टूबर 2005, 19 अप्रैल 2006 एवं 01 अगस्त 2013	114–115
44.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण 16 जून 2022	115–116
	भाग - 7 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी शासन के निर्देश	
45.	अधिनियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने बाबत्। 25 मार्च 2006	116–117
46.	अधिनियम का प्रभावशील क्रियान्वयन। 19 अगस्त 2011	117–118
47.	Strengthening Implementation of the Right to Information Act, 2005. 18 May 2011	118–119
48.	अधिनियम के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन। 14 नवम्बर 2013	119–121
	भाग - 8 मार्गनिर्देशिका सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005	
49.	सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 के अनुसार भारत सरकार का अद्‌यतन मार्ग निर्देशिका। 28 नवम्बर 2013 (छ.ग. शासन, सा.प्रा.वि. (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), नवा रायपुर का पत्र दिनांक 20.8.2020)	121–145
	भाग - 9 इंटरनेट पर स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण।	
50.	विभागीय जानकारी का इंटनेट पर स्व–सक्रिय प्रगटीकरण। 18 नवम्बर 2011	146
51.	अधिनियम की धारा–4 के तहत् स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण। 14 अगस्त, 2015	146–147
52.	Implementation of Suo Motu Disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005. 29 June 2015	147
	भाग - 10 अधिनियम, 2005 की तैयारी के संबंध में शासन के निर्देश	
53.	अधिनियम की तैयारी के संबंध में। 16 सितम्बर 2006	148
54.	अधिनियम की धारा–19(8)(क) के तहत् अभिलेखों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत्। 11 फरवरी, 2014	149

भाग - 11 आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर कार्यवाही

55.	धारा 25(3)(छः) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों पर कार्यवाही बाबत्। 27 सितम्बर, 2010	149–150
56.	छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।	150–155

भाग - 12 लोक प्राधिकारी की नियुक्ति

57.	अधिनियम के तहत् लोक प्राधिकारी की नियुक्ति। 21 नवम्बर 2005	155
58.	अधिनियम, के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नियुक्ति के संबंध में। 30 अप्रैल 2013	156

भाग - 13 उच्च न्यायालय का निर्णय

59.	रिट याचिका संख्या 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 03.04.2008 का निर्णय–30 जून 2009	157
60.	Decision dated 3.4.2008 of the H.C. of Bombay at Goa in W.P. No. 419 of 2007 in the case of Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information Commission regarding	157–158
61.	धारा–2 एवं 3 के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा निष्पन्न अभ्युक्ति बाबत्। 2 अक्टूबर 2011 (छ.ग.)	158
62.	Observation of Hon'ble S.C. on RTI Act, 2005 in C.A.no. 6454 of 2011, arising out of SLP [C] No. 7526/2009 in the case of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs Aditya Bandopadhyay & Ors.	159–161
63.	Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005, 14 अगस्त 2013 (भा.स.)	161
64.	Submissions of both the respondent and the third party in the case	162–163

भाग - 14 विविध

65.	अधिनियम के तहत् पंजी का संधारण। 25 अक्टूबर 2005	164
66.	अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा। 07 नवम्बर, 2005	165
67.	शासकीय सेवकों को गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना। दिनांक 16 दिसम्बर 2010	165–166

68.	राशन कार्ड की वैद्यता के संबंध में। 27 जून 2011	166–167
69.	छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक/416/जी–668/2011/1–13 नवा रायपुर 12 मार्च, 2024 (संशोधित राशन कार्ड)	167–168
70.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन। (पंचायत विभाग) 8 अक्टूबर 2018	168–170
71.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अद्यतन करने बाबत्।	171
72.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) के तहत अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत करने के संबंध में कारण दर्शाया जाना। 18 जुलाई 2019	171–172
73.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मनीआर्डर से भेजी गई राशि के संबंध में। 26 सितम्बर 2019	172
74.	मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 हुई बैठक के कार्यवाही विवरण पर निर्देशित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किये जाने बावत्। (वन विभाग) 13 मार्च 2020	172–174
75.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पोस्टल आर्डर के रूप में रूप में प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि शासन के मद में जमा किए जाने विषयक। 16 जुलाई 2021	174–175
76.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उच्च स्तर पर होने के संबंध में। 10 मई 2022	175
77.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने संबंधित। (डी.पी.सी./पदोन्नति) 09 जुलाई 2024	175–176
78.	जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण अनुकरणीय बिन्दु	177–179

भाग - 15 नमूना प्रपत्र

79.	नमूना प्रपत्र–1 सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन–प्रारूप	180
80.	नमूना प्रपत्र–2 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रथम अपील आवेदन–प्रारूप	181–182
81.	नमूना प्रपत्र–3 द्वितीय अपील समक्ष में छ.ग. राज्य सूचना आयोग	183–185

Part-1

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

No. 22 of 2005

[15th June, 2005]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparence and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the Constitution of India has established democratic Republic;

And whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

And whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

भाग-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबधित या उनसे आनुशंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधियनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

And whereas it is necessary to harmonise these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

Now, therefore, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it.

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए;

Be it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

CHAPTER 1
Preliminary

1. (1) This Act may be called the Right to Information Act, 2005.
(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
(3) The provisions of sub-section (1) of section 4, sub-sections (1) and (2) of section 5, sections 12, 13, 15,16, 24 , 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
(a) "appropriate Government" means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly -
(i) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;
(ii) by the State Government, the State Government;
(b) "Central Information Commission" means the Central Information Commission constituted under sub-section (1) of section 12;
(c) "Central Public Information Officer" means the Central Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a Central Assistant Public Information Officer

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है।
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) धारा 4 की उपधारा(1), धारा 5 की उपधारा(1) और उपधारा(2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो -
(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वरा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;
(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार

designated as such under sub-section (2) of section 5;

(d) "Chief Information Commissioner" and "Information Commissioner" mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under sub-section (3) of section 12;

(e) "competent authority" means -

(i) the Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a State;

(ii) the Chief Justice of India in the case of the Supreme Court;

(iii) the Chief Justice of the High Court in the case of a High Court;

(iv) the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;

(v) the administrator appointed under article 239 of the Constitution;

(f) "information" means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority, as the case may be;

(h) "public authority" means any authority or body or institution of self- government established or constituted -

पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा(3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ.) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है -

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से,-

(a) by or under the Constitution;
(b) by any other law made by Parliament;
(c) by any other law made by State Legislature;
(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any -
(i) body owned, controlled or substantially financed;
(ii) non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

(i) "record" includes -
(a) any document, manuscript and file;
(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;
(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and
(d) any other material produced by a computer or any other device;

(j) "right to information" means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to -
(i) inspection of work, documents, records;
(ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records;
(iii) taking certified samples of material;
(iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत,-
(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;
(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है

(झ) ''अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माईक्रोफिल्म, माईक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;
(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन(चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है -
(i) कृति, दस्तावेजों ,अभिलेखों का निरीक्षण;
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
(iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां

information is stored in a computer or in any other device;

(k) "State Information Commission" means the State Information Commission constituted under sub-section (*1*) of section 15;

(l) "State Chief Information Commissioner" and "State Information Commissioner" mean the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under sub-section (*3*) of section 15;

(m) "State Public Information Officer" means the State Public Information Officer designated under sub-section (*1*) and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (*2*) of section 5;

(n) "third party" means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.

ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा 15 की उपधारा(3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा(1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(ढ) ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

CHAPTER 2
Right to information and obligations of public authorities

3. Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4. (1) Every public authority shall -

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

(b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act, -

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;

(ii) the powers and duties of its officers and employees;

(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;

(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its

अध्याय 2
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी -

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर -

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के

employees for discharging its functions;

(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

(ix) a directory of its officers and employees;

(x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;

(xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

(xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

(xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;

(xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

(xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

(xvii) such other information as may be prescribed and thereafter update these publications every year;

(c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

(d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध करायेगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा(1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा(1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत

Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation. -

For the purposes of sub-sections (3) and (4), "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

5. (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be:

पर ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण -

उपधारा (3) और उपधारा(4)के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा:

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under subsection (1) of section 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

6. (1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to -

(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority;

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति , प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा(4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए -

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be,

specifying the particulars of the information sought by him or her:
Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.

(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information, -

(i) which is held by another public authority; or

(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,
the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:

Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :
परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,-

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,
वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:
परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7. (1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9:

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.

(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving -

(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (1), requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation

7. (1) धारा 5 की उपधारा(2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा(3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति,केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,-

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा(1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना

and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed:

Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of section 6 and sub-sections (1) and (5) of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1).

के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रॉनिक रूपविधान में उपलबध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा(1) और उपधारा(5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request, -

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the appellate authority.

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.

8. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of

(7) उपधारा(1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा(1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को -

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी-

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की

which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer

प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ड.) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गये थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे;

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस बात में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो

or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under secton 6 shall be provided to any person making a request under that section:

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

9. Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

10. (1) Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information

जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित हैं:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा(1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा(1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड(झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्‌भुत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह

which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.

(2) Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing -

(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;

(b) the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;

(c) the name and designation of the person giving the decision;

(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and

(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा(1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि -

(क) अनुरोध किए गये अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ड.) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

11. (1) Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information :

Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) Where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, under sub-section (1) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गये अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within forty days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा(2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

CHAPTER 3
The Central Information Commission

12. (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Central Information Commission shall consist of -

(a) the Chief InformationCommissioner; and

(b) such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of -

(i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Lok Sabha; and

(iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.

Explanation. -

For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall

अध्याय 3
केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

(I) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण -

शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह

be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.

13.* (1) The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबंद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13.*(1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से; जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

* Amendment of section 13
(A) in sub-section (1), for the words "for a term of five years from the date of which he enters upon office" the words " for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

* धारा 13 का संशोधन
उपधारा (1) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए-शब्दों के स्थान पर: ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए-, पद ग्रहण करेगा और पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(2)* Every Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner :

Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this subsection be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 12 :

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office :

Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 14.

(2)* प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनिर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा(3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

* Amendment of section 13

(B) in sub-section (2), for the words "for a term of five years from the date of which he enters upon office" the words " for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

* धारा 13 का संशोधन

उपधारा (2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए-शब्दों के स्थान पर: ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5)* The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of -
(a) the Chief Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Election Commissioner;
(b) an Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner :

Provided that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner if, at the

(5)* संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें -
(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की है :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त ,अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य

* Amendment of section 13
(C) for sub-section (5), following sub-section shall be substituted namely:-
"(5) The salaries and allowances payable to and other term and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government.
Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information shall not be varied to their disadvantage after their appointment :
Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

* धारा 13 का संशोधन
उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी :–
(5) मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो मे, उनकी नियुक्ति पश्चात उनके लिए अलाभप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा, सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था।

time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits :

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

14. (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from

अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश

office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President may by order remove from office the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner, as the case may be, -

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner.

(4) If the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehavior.

किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिध्द ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड.) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्‌भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा(1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

CHAPTER 4
The State Information Commission

15. (1) Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the .... (name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The State Information Commission shall consist of -

(a) the State Chief Information Commissioner, and

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of -

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and

(iii) a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.

Explanation. -

For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State

अध्याय 4
राज्य सूचना अयोग

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा............(राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

(1) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) विधानसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण -

शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य

Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

16.* (1) The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment :

सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

16.*(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

* Amendment of section 16

In section 16 for the principal Act –

(a) in sub-section (1), for the words "for a term of fiver years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

* धारा 16 के मूल अधिनियम में संशोधन

उपधारा (1) में उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाँच वर्ष की अवधि के लिए-शब्दों के स्थान पर : ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए-शब्द रखे जाएं।

Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2)* Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner :

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 15 :

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2)* प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी

* Amendment of section 16

(b) in sub-section (2) for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon office", the words " for such term as may be prescribed by the Central Government : shall be substituted :

* धारा 16 के मूल अधिनियम में संशोधन

उपधारा (2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, "उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए", पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.

(5)* The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of -

(a) the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner :

(b) the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government :

Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity :

राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5)* संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं :

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसको वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

* Amendment of section 16

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(5) The Salaries and allowances payable to and other terms and conditions fo service fo the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government :

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be varied to disadvantage after their appointment :

Provided that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

* धारा 16 के मूल अधिनियम में संशोधन

उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी :-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

17. (1) Subject to the provision of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है, वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तें तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गये किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, -

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.

(4) If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरूद्ध उपधारा(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ.) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्‌भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा(1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

CHAPTER 5
Powers and functions of the Information Commissions, appeal and penalties

18. (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person, -

(a) who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in subsection (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

(b) who has been refused access to any information requested under this Act;

(c) who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act;

(d) who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act; and

अध्याय 5
सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे -

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

(ड.) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(2) Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof.

(3) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;
(b) requiring the discovery and inspection of documents;
(c) receiving evidence on affidavit;
(d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;
(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and
(f) any other matter which may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है यहां वह उसके संबंध में जांच कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय यही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;
(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;
(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और
(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा

record may be withheld from it on any grounds.

19. (1) Any person who, does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority :

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.

(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission :

Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

किसी अभिलेख को किन्ही भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा. जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी।

परन्तु यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा. यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.

(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.

(6) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be shall be binding.

(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case by be, has the power to -

(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including -

(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;

(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(iii) by publishing certain information or categories of information;

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा,लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालिस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है -

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(iv) by making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records;

(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials;

(vi) by providing it with an annual report in compliance with clause (b) of sub-section (1) of section 4;

(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;

(c) impose any of the penalties provided under this Act;

(d) reject the application.

(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.

(10) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

20. (1) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावर्पूक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो

information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees :

Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him:

Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

(2) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.

अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्‌भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

CHAPTER VI
Miscellaneous

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

22. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

23. No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

24. (1) Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

अध्याय 6
प्रकीर्ण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नही होगी :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नही की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालिस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before the State Legislature.

25. (1) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी.

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध

the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.

(2) Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.

(3) Each report shall state in respect of the year to which the report relates, -

(a) the number of requests made to each public authority;

(b) the number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;

(c) the number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals;

(d) particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;

(e) the amount of charges collected by each public authority under this Act;

(f) any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act;

में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा –

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नही थे, इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चिय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;

(ड.) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते है;

(g) recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, referred to in subsection (1) to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.

(5) If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.

26. (1) The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources, -

(a) develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

(b) encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान - मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक -

(क) जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड(क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने ओर ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and

(d) train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.

(3) The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in sub-section (2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of sub-section (2), include -

(a) the objects of this Act;

(b) the postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under sub-section (1) of section 5;

(c) the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(d) the assistance available from and the duties of the Central Public

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसी किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

(क) इस अधिनियम के उद्येश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा(1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रॉनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना

Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of a public authority under this Act;

(e) the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;

(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;

(g) the provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with section 4;

(h) the notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information; and

(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.

(4) The appropriate Government must, if necessary, update and publish the guidelines at regular intervals.

27. *(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ड.) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग की अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. *(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

* Amendment of section 27 -

In section 27 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-

"(*ca*) the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners under sub-sections (*1*) and (*2*) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners under sub-sections (*1*) and (*2*) of section 16;

(*cb*) the salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners under sub-section (*5*) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and he State Information Commissioners under sub-section (*5*) of section 16."

* धारा 27 में संशोधन -

धारा 27 के उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा :-

(ग, क) धारा (13) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों तथा धारा (16) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि,

(ग, ख) धारा (13) की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों तथा धारा (16) की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under subsection (4) of section 4;

(b) the fee payable under sub-section (1) of section 6;

(c) the fee payable under sub-sections (1) and (5) of section 7;

(d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (6) of section 13 and sub-section (6) of section 16;

(e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (10) of section 19; and

(f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

28. (1) The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under subsection (4) of section 4;

(ii) the fee payable under sub-section (1) of section 6;

(iii) the fee payable under sub-section (1) of section 7; and

(iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ड.) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे अर्थात् :-

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.

30. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

31. The Freedom of Information Act, 2002 is hereby repealed.

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रख जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रामिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

THE FIRST SCHEDULE
[See section 13(3) and 16(3)]

Form of oath or affirmation to be made b?? the Chief Information Commissioner/the Information Commissioner/the State Chief Information Commissioner/the State Information Commissioner

"I, ..., having been appointed Chief Information Commissioner/Information Commissioner/State Chief Information Commissioner/State Information Commissioner
swear in the name of God
solemnly affirm
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.".

THE SECOND SCHEDULE
(See section 24)

Intelligence and security organisation established by the Central Government

1. Intelligence Bureau.
2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.
3. Directorate of Revenue Intelligence.
4. Central Economic Intelligence Bureau.
5. Directorate of Enforcement.
6. Narcotics Control Bureau.
7. Aviation Research Centre.
8. Special Frontier Force.
9. Border Security Force.
10. Central Reserve Police Force.

पहली अनुसूची
धारा 13 (3) और धारा 16 (3) देखिए

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप

''मैं जो .... मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, इश्वर की शपथ लेता हूं /सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा" ।

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।

11. Indo-Tibetan Border Police.
12. Central Industrial Security Force.
13. National Security Guards.
14. Assam Rifles.
15. Special Service Bureau.
16. Special Branch (CID), Andaman and Nicobar.
17. The Crime Branch-C.I.D.- CB, Dadra and Nagar Haveli.
18. Special Branch, Lakshadweep Police.

T. K. Viswanathan
Secretory, Govt. of India

11. भारत-तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सीआईडी) अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी दादरा और नागर हवेली।
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस।

टी0 के0 विश्वनाथन
सचिव, भारत सरकार

रजिस्ट्री सं.डी.एल.-33004/99

REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941**

No. 635] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

सा.का.नि. 810(अ).-केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकासर अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (गक) और खंड (गख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 है।

अध्याय II

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;

(ग) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है;

(घ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है।

(ङ) ''राज्य सूचना आयोग'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।

(2) जहाँ मुख्य आयुक्त या सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है यहां उसे केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा

11. छुटटी यात्रा रियायत यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता सूचना आयुक्त केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को यथाशब्द लागू हकदार होगा।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

12. पदावधि - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

13. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत होना - ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्त की तारीख से ऐसी मेवा से निवृत्त समझा जाएगा।

14. वेतन -(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2.25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा

(3) यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो यथास्थिति ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवा निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, को रकम को कम कर दिया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

15. मंहगाई भत्ता - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

16. छुट्टी - (1) यथाथिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उतनी छुट्टी के अधिकारों का हकदार होगा जो राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत है।

(2) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस राज्य का राज्यपाल होगा और राज्य सूचना आयुक्तों की दशा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

17. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा, परंतु, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था. ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समय - समय पर यथापुनरीक्षितः समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी।

18. चिकित्सा सुविधा - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होने और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

19. आवास सुविधा - (1) यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उपलब्धता के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चिन्हित दरों पर लाइसेन्स फीस के संदाय पर राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय आवास के उपयोग का हकदार होगा।

(2) जहां यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नही करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नही कर रहा है वहां उसे राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जावेगा।

20. छुटटी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता - आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुटटी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को यथासमय लागू हकदार होगा।

अध्याय V

21. अवशिष्ट उपबंध - राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त की ऐसी सेवा शर्ते, जिनके लिये इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नही किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट की जाएगी और इस पर केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय केन्द्रीय सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त पर राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त पर आबद्धकर होगा।

22. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्ही उपबंधों को संबंध में शिथित करने की शक्ति होगी।

23. निर्वचन - यदि इन नियमों के किन्ही उपबंधों के निर्वचन से सबंधित कोई प्रश्न उदभूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा।

(फा.सं 1/5/2019 आईआर)

लोक रंजन अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel Training)

NOTIFICATION

New Delh, the 24th October 2019

G.S.R. 810(E) - In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (2) of Section 27 of Right to Information Act, 1005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

CHIPATER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement -** These rules may be called The Right Information (Terms of Office Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Communion, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Communion) Rules 2019.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gezette.

CHAPTER II

2. **Definitions -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

   (a) "Act" means the Right to Information Act 2005 (22 of 2005)

   (b) "Central Information Commssion shall have the same meaning assigned to it under clause (b) of section 2 of the Act:

   (c) "Chief Information Commissioner" and "Information Commissioner" shall have the same meaning assigned to it under clause (d) of section 2 of the Act;

   (d) "State Chief Information Commissioner" and "State Information Commissioner" shall have the same meaning assigned to it under clause (l) of section 2 of the Act;

   (e) "State Information Commission" shall have the same meaning assigned to it under clause (k) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined under these rules, but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER IV

TERM OF OFFICE, SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE INFORMATION COMMISSIONERS IN THE STATE INFORMATION COMMISSION

12. **Term of office -** The State Chief Information Commissioner, or State Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.

13. **Retirement from parent service on appointment -** The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case

may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in the State Information Commission.

14. Pay - (1) The State Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(2) The State Chief Information Commissioners shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(3) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may e, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity.

(4) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.

15. Dearness Allowance - The State Chief Information Commissioner and State Information commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

16. Leave - (1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

(2) In case of the State Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the Governor of the State and in case of the State Information Commissioners, the State Chief Information

Commissioner shall be the competent authority.

17. **Cash Payment in lieu of unutilized Earned Leave -** The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at the time of completion of tenure:

Provided that a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners respectively, the aggregate period for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State Government, as the case may be, as revised from time to time.

18. **Medical Facilities -** The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation. the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or such medical facilities provided by the State Government to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

19. **Accommodation -** (1) The State State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be eligible subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by State Government from time to time.

(2) Where State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government.

20. **Leave Travel Concession, Travelling Allowance, Daily Allowance -** The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the

case may be, shall be entitled to leave travel concession, travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government as far as may be, apply to the State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners.

CHAPTER V

21. **Residuary Provision -** The conditions of service of the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners for which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decisions and the decisions of the Central Government thereon shall be binding on the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner of the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner of the State Information Commission.

22. **Power to relax -** The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

23. **Interpretation -** If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

[F. No. 1/5/2019-IR]

LOK RANJAN, Addl. Secy.

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

रायपुर दिनाँक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-16/2006/1/6 केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(1) में की गई अपेक्षा के अनुसार राज्य शासन, एतद् द्वारा ''**छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग**'' का गठन करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही
(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 7-16/2004/1/6 रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर, 2005

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
8. मुख्यसचिव के स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली

11. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर
12. समस्त विभागाध्यक्ष
13. समस्त कलेक्टर्स
14. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भाग-2

आवेदन प्रस्तुति नियम एवं दिशा-निर्देश

The Chhattisgarh Right to Information (Submission of Application) Rules,2009*

Raipur, the 15 June,2009

NOTIFICATION

No. F2-10/2008/1-RTI :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-28 *[subsections(1) and (2) of Section 27] of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. Short title and commencement :- (1) These Rules may be called **The Chhattisgarh Right to Information (Submission of Application) Rules, 2009.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requiers :-

(a) **"Act"** means the Right to information Act, 2005 (No. 22 of 2005);

(b) **"Section"** means the sections of the Act:-

(c) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act;

3. Request relate only to single subject matter :- A request in writing for information under Section 6 of the Act shall relate to one subject matter and it shall not ordinarily exceed one hundred and fifty words. If an application wishes to seek information on more than one subject matter, he shall make separate applications.

Provided that in case, the request made relates to more than one subject matter, the Public Information Officer may respond to the request relating to the first subject matter only and may advise the applicant to make separate application for each of the other subject matters.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

K.R.Mishra, Joint Secretary.

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2009 - अश्विन 15, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन,

रायपुर दिनांक 15 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा*28 की उपधारा (1) (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 07.10.2009 के अनुसार ''धारा 28 की उपधारा (1) के स्थान पर पर शब्द एवं अंक ''धारा 27 की उपधारा (1) व (2) प्रतिस्थापित किया गया) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नानुसार नियम बनाती है, अर्थात

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 है।
   (2) यह नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाऐ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 सन 2005)
   (ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धाराएंः
   (ग) अन्य समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमो मे प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है, उनके वही अर्थ होगे जो अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं ।
3. अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो - सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अर्न्तगत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा।

यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा,

परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिये आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2009 - अश्विन 15, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग,
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर दिनांक 07 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

*क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की (क्रमांक 22 सन 2005) की **धारा 28** की उपधारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र दिनांक 15 जून 2009 द्वारा राज्य शासन ने ''सूचना के अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 बनाया है।

2. ऊपर उल्लेखित अधिसूचना के मुख्य भाग में उल्लेखित शब्द एवं अंक ''धारा 28 की उपधारा (1)'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 27 की उपधारा (1) व (2)'' मूल अधिसूचना के दिनांक से प्रतिस्थापित किये जाते हैं

छततीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक टीप

विषय :- छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 के मुख्य भाग में उल्लेखित शब्दों/अंकों के स्थान पर अन्य शब्दों के प्रतिस्थापना करने के लिए जारी की गई अधिसूचना दिनांक 07.10.2009 के संबंध में टीप।

सूचना का अधिकार अधिनिम, 2005 की धारा-27(1)(2) में समुचित सरकार तथा धारा-28(1)(2) में सक्षम प्राधिकारियों को नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। राज्य शासन ने अधिनियम की धारा-28 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009'' बना कर अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 15.06.2009 द्वारा उसका प्रकाशन राजपत्र में कराया था तथा जुलाई 2009 के विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर उनकी प्रतियाँ रखी गयी थी।

राज्य शासन द्वारा उक्त नियम, अधिनियम की धारा-28 की उपधारा (1) के तहत बनाए गए थे, वस्तुतः उक्त नियम धारा-28 के बजाए धारा-27, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति के तहत् बनाये जाना थे। अतएव, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 15.06.2009 में संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर, अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 07.10.2009 द्वारा संशोधन किया जाकर अधिसूचना दिनांक 15.10.2009 में उल्लिखित ''अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1)'' के स्थान पर ''धारा-27 (1) एवं (2)'' का प्रतिस्थापना किया गया एवं अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) में किया गया हैं, तथा उसे विधानसभा सदन के पटल पर दिनांक 23.12.2011 को रखा गया है।

(सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो।

---00---

इस विभाग के ध्यान में लाया गया है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई बार लोक प्राधिकारणों के पास ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होते है, जो उन से संबंधित नहीं होती। कभी-कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है, जिसका कुछ ही हिस्सा उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी हिस्सा उसके पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सूचना का कुछ हिस्सा या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से संबंधित होती है। प्रश्न उठता है कि ऐसे मामलों का निवारण किस प्रकार किया जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियिम, 2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जो दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है या जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यो से निकटतर रूप से संबंधित है, तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा। धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के प्रावधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन 'संबंधित लोक प्राधिकरण' के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करे। फिर भी, ऐसे मामले हो सकते है, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जबकि वास्तव में वह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है। ऐसे मामलों में आवेदक से गलत लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करने की समझ में आने वाली गलती होती है, किन्तु जहां आवेदक ऐसे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिए आवेदन दे, जो किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को मालूम हो कि यह सूचना, उस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है, तो आवेदक 'संबंधित लोक प्राधिकरण' को आवेदन भेजने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता।

3. ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियाँ और उन स्थितियों में लोक प्राधिकारणों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है। ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना अधिकारी को आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देना चाहिए और इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना अधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा

पाए, तो उसे आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि मांगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नही है, कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी। यदि लोक सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील की जाती है, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने संबंधित लोक प्राधिकरण के विवरण का पता लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे।

(ii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी 'दूसरे लोक प्राधिकरण' के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित दूसरे लोक प्राधिकरण के पास भेज देनी चाहिए।

(iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नही हैं, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन दें। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

(iv) यदि कोई व्यक्ति किसी केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है, जो किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि सूचना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त की जाए। ऐसी स्थिति में, आवेदन को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-सूची को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(सं. 10/2/2008-आई.आर. भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 12 जून 2008)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/33/2007-आई.आर. दिनांक 14 नवम्बर 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। क्रमांक एफ 2-4/2008/1-सूअप्र(पार्ट-1) रायपुर दिनांक 27 सितम्बर, 08

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ-2-4/2008/1-सूअप्र (पार्ट-1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2008)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 14 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय : रिकार्डों को अद्यतन बनाना- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिकार्डों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी रिकार्डों को समुचित रूप से तालिका बद्ध और सारणी बद्ध रूप में रखें। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 2006) 'सूचना का अधिकार-सुशासन की मास्टर कुंजी' में यह टिप्पणी की है कि हमारी सूचना प्रणाली में रिकार्ड कीपिंग को नजरन्दाज करना सबसे कमजोर लिंक है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि एकबारगी उपाय के रूप में भारत सरकार, रिकार्डों को अद्यतन बनाने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने, मैनुअल बनाने और लोक रिकार्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए सभी आधारभूत कार्यक्रमों की निधियों का 1: हिस्सा चिहिन्त करें।

2. रिकार्डों का रख-रखाव और अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित है। आधारभूत संरचना में सुधार करना और आवश्यक मैनुअल तैयार करना भी सतत प्रक्रियाएं है जो संबंधित लोक प्राधिकारियों की जिम्मेवारी है। सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने संसाधनों से अपने रिकार्डों का अद्यतन करें, उनकी आधारभूत संरचना में सुधार लाएं और आवश्यक मैनुअल तैयार करें। वे अपनी आवश्यकतानुसार इस आशय के लिए विशिष्ट बजटीय प्रावधान कर सकते है।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। संख्या-1/33/2007-आई.आर., भारत सरकार प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 11/2/2008-आई.आर. दिनांक 10 जुलाई 2008 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 2-4/2008/1-सूअप्र (पार्ट-1), रायपुर दिनांक 27 सितम्बर, 08।

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'सूचना' के स्वरूप के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

---00---

यह देखा गया है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुछ लोग लोक सूचना अधिकारियों से किसी दस्तावेज में से जानकारी ढूंढ कर उपलब्ध कराने का अनुरोध करते है। कुछ मामलों में, आवेदक लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा करते है कि उन्हें सूचना उनके द्वारा तैयार किए गए किसी विशेष प्रपत्र में दी जाए। ऐसी मांग को वे धारा 7 की उपधारा (9), जिसमें यह प्रावधान किया गया है, कि जानकारी सामान्यतः उस रूप में दी जाएगी जिस रूप में मांगी गई है, के आधार पर अपना अधिकार मानते है। यह नोट करना आवश्यक है, कि उक्त प्रावधान का मतलब सिर्फ इतना भर है, कि यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मागी गई है तो यह छाया प्रति के रूप में मुहैया कराई जाए और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तो के अधीन इसे लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।

2. अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार 'सूचना' का अर्थ 'किसी भी रूप में कोई भी सामग्री' है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी 'सामग्री' प्राप्त करने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है। इस अधिकार में शामिल है - कार्य दस्तावेजों, अभिलेखों की जांच, नोट, उद्धरण अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेना : सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना : डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड अथवा प्रिंट आउट के रूप में जानकारी लेना बशर्ते कि वह

जानकारी कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य यंत्र में संग्रहीत हो। 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है, कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह 'सामग्री' से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गए 'निष्कर्ष' को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को 'सामग्री' उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों के ध्यान में लाई जाए।

(सं. 11/2/2008-आई.आर. भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008)

भाग-3

अपील नियम एवं निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2006 - चैत्र 13, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 होगा।

(2) यह नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाऐ** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 23 सन 2005)

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा :

(ग) ''गरीबी रेखा के नीचे'' से अभिप्रेत है कि छत्तीसगढ सरकार के वे नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे होना घोषित किया गया है,

(घ) ''फीस'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत देय शुल्क,

(ड.)शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमो मे प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है, उनके वही अर्थ होगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. प्रथम अपील-

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उप धारा (1) अथवा उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीत विनिश्चय प्राप्त नही करता है या प्राप्त होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रू 75) का शुल्क नगद या *नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ** (नीचे दिये संशोधन अनुसार पढें) प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

* **संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021**

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंतःस्थापित किया जाये।
2. नियम 4 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंतःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.डी.सिंह, सचिव

** **संशोधन अधिसूचना दिनांक 04.11.2011**

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात

(1) नियम 3 के नियम (1) में शब्द ''नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ'' के पश्चात निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोडा जाये अर्थात

''या डिमान्ड ड्राफट या बैकर्स चेक (रू 1000 तक के अरेखांकित तथा रू 1000 से अधिक रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें उप मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां''

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर. मिश्रा संयुक्त सचिव

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

(3) अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा।

(4) उप नियम (1) के अर्न्तगत अपील प्राप्त किये जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढाई गई कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से मिलाकर कुल पैतालिस दिवस से अधिक नही हो, यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जायेगी।

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निशुल्क प्रदाय की जायेगी।

4. द्वितीय अपील -

(1) इस नियम के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयेाग को उस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया अथवा जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को प्रथम अपील प्रस्तुति के पैतालिस दिवस हो गये,

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।

(2) अपील ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो उसकी सत्यापित प्रति देना होगा।

(3) **राज्य सूचना आयुक्त*****(अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ 100/- (रूपये सौ) (यदि आदेश की प्रति डाक से चाही गई हो तो रू 125) की फीस नगद, मनीआर्डर, या *नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में** (नीचे दिये संशोधन अनुसार पढें) जमा करना होगा,

* **संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021**

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात

उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंत:स्थापित किया जाये।
2. नियम 4 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंत:स्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.डी.सिंह, सचिव

** **संशोधन अधिसूचना दिनांक 04.11.2011**

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात

(2) उप नियम 4 की उप नियम (3) में शब्द ''नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में'' के पश्चात निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोडा जाए अर्थात -

''या डिमान्ड ड्राफट या बैकर्स चेक (रू 1000 तक के अरेखांकित तथा रू 1000 से अधिक रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें उप मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां''

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर.मिश्रा संयुक्त सचिव

(4) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) यथास्थिति लोक प्राधिकारी और/अथवा जन सूचना अधिकारी और/अथवा अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुंनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।

(5) **सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर **सूचना आयोग** किया गया) संबंधित पक्षकारों को कम से कम सात दिवस का नोटिस देगा,

(6) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर राज्य सूचना आयोग किया गया) का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा,

(7) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निशुल्क प्रदाय की जायेगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीस दिवस के अन्दर भेजी जायेगी।

संशोधन अधिसूचना दिनांक 23 मई 2006

***क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात

(1) नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उप नियम 5 में शब्द ''राज्य सूचना आयुक्त'' के स्थान ''राज्य सूचना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये,

(2) उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द ''सूचना आयुक्त के स्थान पर शब्द ''सूचना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)

(8) नियम 4 एवं 4 के अर्न्तगत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं प्रभारित नहीं की जायेगी।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नंदकुमार सचिव

Raipur, the 17th March 2006

NOTIFICATION

No F 2-11/2006/1/6 - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005) the State Government hereby makes the following rules namely :

1. **Short title and commencement** -

(1) These rules may be called the Chhattisgarh right to information (Appeal) rules 2006.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette,

2 **Definitions**-

In the rules unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

(b) "Section" means the sections of the Act;

(c) "Below poverty line" means such citizen of State Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh.

(d) "Fees" means the fees payable under the provisions of the Act.

(e) The word and expressions used but not defined in these rules carry shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **First Appeal -**

(1) Any person who does not receive a decision within the times specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7 or is aggrieved by a decision of the State Public Information Officer, may within thirty days from the receipt of such a decision prefer an appeal with a fees of Rs. 50/-(By post appeal Rs. 75/-) either in cash or in the form of *non-judicial stamp** to such officer who is senior in rank to the State Public Information Officer in each public authority. Provided that such officer may admit the appeal after expiry of the period of thirty days on being satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

*संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प" के पूर्व शब्द "या ई-स्टाम्प" अंतःस्थापित किया जाये.
2. नियम 4 में शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प" के पूर्व शब्द "या ई-स्टाम्प" अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.डी.सिंह, सचिव

**Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No F2-4/20101-RTI- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely:

AMENDMENT

In the said rules

1. In sub rule (1) of Rule 3 after the words "non judicial stamp" following words and figures shall be added namely :

   "or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070- other administrative services, sub-major head (60)- other services, minor head (118)- receipts under Right to Information Act, 2005."
2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the words "non-judicial stamp, the following words and figures shall be added namely:-

"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and and above Rs. 1000 uncrossed and above

Rs. 1000 crossed) or Indian Postal order or by challan in Major-head-0070-other administrative services,

sub-major head (60)-other services, minor head (118) - receipts under Right to Information Act, 2005".

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

K.R. MISHRA, Joint Secret

(2) In the memorandum of appeal, the name and address of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority, the order of the competent authority and payment of fee or not providing information in time. shall be clearly specified.

(3) For hearing of the appeal the appellate authority shall give minimum 7 days notice to the concerned Public Information Officer.

(4) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty five days recording the reason in writing for the period extended.

(5) The copy of order passed in appeal shall be given free of cost.

4. **Second Appeal** -

(1) A second appeal shall be against the order passed under sub rule (3) within ninety days from the date on which the order was passed or was actually received to the State Information Commissioner or within forty five days from the date of filing of first appeal.

Provided that the State Information Commissioner may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal the name and address of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority and certified copy of the order of the competent authority shall be given.

(3) With the memorandum of appeal filled before the State Information Commissioner** (previous word State Information Commissioner is substituted by word State Information Commission vide Notification dated 23-05-2006) the fee of Rs. 100/- (rupees one hundred) (for appeal by post Rs. 125-) in cash or in

the form of*non-judicial stamp**shall be deposited

* संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंतःस्थापित किया जाये.
2. नियम 4 में शब्द ''या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पूर्व शब्द ''या ई-स्टाम्प'' अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
डी. डी. सिंह, सचिव

**Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No F2-4/20101-RTI- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely:

AMENDMENT

In the said rules

1. In sub rule (1) of Rule 3 after the words "non judicial stamp" following words and figures shall be added namely :

   "or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070- other administrative services, sub-major head (60)- other services, minor head (118)- receipts under Right to Information Act, 2005."

2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the words "non-judicial stamp, the following words and figures shall be added namely:-

   "or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and and above Rs. 1000 uncrossed and above

   Rs. 1000 crossed) or Indian Postal order or by challan in Major-head-0070-other administrative services,

   sub-major head (60)-other services, minor head (118) - receipts under Right to Information Act, 2005".

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
K.R. MISHRA, Joint Secret

(4) TheState Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall after giving reasonable opportunity of being heard to public authority or State Public Information Officer or appellant as the case may be decide the appeal assigning the reasons thereon.

(5) State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall give minimum 7 days notice to concerned parties.

(6) The decision of theState Information Commissioner***(previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall be final and binding.

5. A copy of the decision of the State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall be given free of cost, to the appellant if the appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges copy shall be sent within 30 days.

6. The fee chargeable under rule 3 and 4 shall not be charged from the persons who are below poverty line

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

NAND KUMAR Secretary

रायपुर दिनांक 23 मई, 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 - सूचना का अधिकार अथिनियम, 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(1) उप नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उपनियम 5 में शब्द '' राज्य सूचना आयुक्त'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सूचना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द ''सूचना आयुक्त'' के स्थान पर शब्द ''सूचना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)

Raipur Dated 23 May, 2006

No. F 2-1/2005/1/6.- In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act,2005 (No.22 of 2005), the state Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Appeal) Rules,2006 namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In clause (3),(4),(6) of sub rule 4, and in sub rule (5) for the words "State Information Commissioner" the words "State Information Commission" shall be substituted.
2. In clause (5), of sub rule 4, for the words " Information Commissioner" the words "Information Commission" shall be substituted.
3. In proviso of sub rule 4, for the words "Information Commissioner" the words "Information Commission" shall be substituted.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh

(C.G. Govt., G.A.D.)

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-11''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011 - कार्तिक 13, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ2-4/2010/1-सूअप्र. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

   "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रू. 1000 तक के अरेखांकित तथा रू. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष -0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60) - अन्य सेवायें , लघु शीर्ष (118) - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तिया'',

2. नियम 4 के उप-नियम (3) में शब्द, "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए अर्थात् -

   "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रू. 1000 तक के अरेखांकित तथा रू. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा , अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष

-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60) - अन्य सेवायें , लघु शीर्ष (118) - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां"

3. उक्त संशोधन जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.आर.मिश्रा, संयुक्त सचिव

रायपुर दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ2-4/2010/1-सूअप्र. -भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No. F 2-4/2010/1-RTI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

1. In sub-rule (1) of Rule 3, after the words "non-judicial stamp", following words and figures shall be added namely :-
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)- other services, minor head (118)- receipts under Right to Information Act, 2005".

2. In sub-rule (3) or Rule 4, after the word "non-judicial stamp", the following words and figures shall be added, namely :-
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 uncrossed and above
Rs. 1000 crossed) or Indin Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services,
sub-major head (60)- other services, minor head (118) - receipts under Right to Information Act, 2005"

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.R. MISHRA, Joint Secretary

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही।

लोक सूचना अधिकारी के आदेश/विनिश्चय के विरूद्ध, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के अंतर्गत (विभागीय) अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील करने का प्रावधान है।

2. अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारी को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

3. अपील का निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरूद्ध राज्य सूचना आयुक्त में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंथित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

4. अतः समस्त अपीलीय अधिकारियों की सुविधा हेतु अपील पंजी का प्रारूप तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये आदेश पत्रिका (Orders Sheet) के प्रारूप उदाहरण स्वरूप संलग्न है। अपीलीय अधिकारीगण अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ फेरबदल कर सकते है।

5. अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः स्पष्ट/बोलता हुआ एवं तार्किक (Speaking and Well Reasoned) होने संबंधी तथ्य के लिये भी एक काल्पनिक आदेश की प्रति उदाहरण के लिए संलग्न है। (छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. का क्रमांक-एफ 2-27/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20-12-2006)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1. कार्यालय का नाम..

2. विभाग का नाम..

3. अपीलीय अधिकारी का नाम...

सरल क्रमांक (सीरियल नंबर)	अपील प्रकरण क्रमांक एवं कलेंडर वर्ष	अपीलकर्ता का नाम एवं पता	अपील मेमो प्राप्त होने की तिथि	अपील मेमों से संबंधित विषय (संक्षेप में)	जनसूचना अधिकारी का नाम जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।	अपील के निराकरण का दिनांक एवं निर्णय का संक्षिप्त विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग में अपीलीय अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

आर्डरशीट

1	अपील प्रकरण क्रमांक	:-	17/2006
2	अपीलार्थी का नाम	:-	श्री रामप्रकाश शर्मा
3	विषय	:-	लोक जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को गलत अपूर्ण तथा गुमराह करने वाली सूचना प्रदान की गयी।
4	जनसूचना अधिकारी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है	:-	श्री एस. मूर्ति
5	अपील ग्रस्त आदेश का दिनांक	:-	04-05-2006
6	अपील प्रस्तुती का दिनांक	:-	25-05-2006
7	अपील के निराकरण की समय-सीमा	:-	24-06-2006

(1)	(2)	(3)
आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश पत्र अथवा कार्यवाही	संबंधित के हस्ताक्षर

25-05-2006 जनसूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग श्री एस. मूर्ति के समक्ष श्री रामप्रकाश शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 06 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1+1/2005/1/6, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 क विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, आवेदन प्रस्तुत किया। जनसूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, ने अपने ज्ञापन दिनांक 04-05-2006 के जरिये जो जानकारी दी उस जानकारी को अपूर्ण एवं भ्रामक बताते हुए अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा ने अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में विचार हेतु संबंधित अधिनियम एवं नियम के साथ प्रस्तुत किया जाये।

पेशी दिनांक 31-05-2006

सही/-
(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

31-05-2006 प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का अध्ययन किया गया। छत्तीसगढ़ सूचना अधिकार (अपील) अधिनियम, 2006 के नियम क्रमांक 3 (3) के अंतर्गत अपील की सुनवाई हेतु संबंधित जनसचूना अधिकारी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है ताकि उनका पक्ष सुना जा सके। संबंधित जनसूचना अधिकारी को नोटिस दिये जाने की व्यवस्था है इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय हित में अपीलार्थी को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। चूंकि उपरोक्त नियम के नियम क्रमांक 3 (3) में यह भी प्रावधान है कि जनसूचना

अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए कम से कम 07 दिवस का नोटिस दिया जाना चाहिए अतः आगामी पेशी 07 दिवस के पश्चात् किसी दिवस के लिए नियत करना होगा। अतः उभयपक्ष को दिनांक 12.06.2006 को 11:00 बजे सुनवाई के लिए आहूत किया जाये। पेशी दिनांक 12.06.2006

सही/-
(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

(1)	(2)	(3)
12.06.2006	अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा उपस्थित। उनका पक्ष सुना गया। (2) श्री एस. मूर्ति उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्वतः उपस्थित। श्री एस. मूर्ति ने बताया कि अब वे जन सूचना अधिकारी नहीं है। अतः वर्तमान जनसूचना अधिकारी के जाना चाहिये तदनुसार वर्तमान जनसूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा।	हस्ताक्षर एस. मूर्ति
	(3) वर्तमान जनसूचना अधिकारी उपलब्ध नही है उन्हे अलग से सुना जायेगा। अपील नियम के अनुसार उन्हें उपस्थित होने के लिये 07 दिवस का समय दिया जाना है अतः उन्हें तदनुसार नोटिस जारी हो। (4) अपीलार्थी आगामी पेशी दिनांक को भी उपस्थित रहना चाहे तो उपस्थित रह सकते है।	हस्ताक्षर श्री रामप्रकाश शर्मा
20.06.2006	जनसूचना अधिकारी श्री व्ही. के. दुबे उपस्थित। अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा अनुपस्थित। (2) जनसूचना अधिकारी ने तर्क रखा कि जो जानकारी चाही गई है वह सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र में उपलब्ध है जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी जा चुकी है। प्रश्नाधीन परिपत्र के पूर्व कोई पत्राचार किसी बाहरी व्यक्ति/संस्था से नहीं किया गया है, अतः अपील अस्वीकार किया जाना चाहिए।	हस्ताक्षर श्री व्ही.के. दुबे

(3) प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया।

दिनांक 22.06.2006

सही/-
(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग

22.06.2006

प्रकरण आज प्रस्तुत।

(2) कोई उपस्थित नही।

(3) आदेश पारित किया गया।

(4) संबंधित गण सूचित हो।

सही/-
(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग अपीलीय अधिकारी अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

अपील प्रकरण क्रमांक	17/2006
श्री रामप्रकाश शर्मा	
गीतांजली नगर, रायपुर	अपीलार्थी
	विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी	
छत्तीसगढ़ शासन	रेस्पाडेंट
सामान्य प्रशासन विभाग	

(दिनांक 22.06.2006)

अपीलार्थी श्री रामप्रकाश शर्मा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय दिनांक 04.05.2006 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

2. जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2006 से जो जानकारी अपीलार्थी को दी है उसके संबंध में अपीलार्थी का प्रमुख तर्क निम्नानुसार है :-

(1) अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 07.04.2006 की कंडिका 01 में अपीलार्थी ने सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 1-1/2005/1/6 दिनांक 01 अक्टूबर 2005 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (डी) अनुसार इस निर्णय से प्रभावित व्यक्तियों को

अपने प्रशासनिक एवं न्यायिक कल्प विनिश्चियों के लिए कारण उपलब्ध कराने संबंधी शासन द्वारा की गई कार्यवाही मांगी गई है जो अपीलार्थी को नही दी गई।

(2) प्रश्नाधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व इससे संबंधित समस्त शासकीय पत्र व्यवहार (शासकीय आदेश क्रमांक, नोटशीट, सर्क्युलर आदि) की छायाप्रति मांग की गई थी जो प्रदाय की गई है।

3. अपीलार्थी के तथा जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

4. अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन अधिसूचना को जारी करने से संबंधित शासकीय पत्र व्यवहार, नोटशीट आदि की प्रति उसने मांगी थी जो उसे प्रदाय नहीं की गई है।

5. जनसूचना अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराया है जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी के आवेदन के संदर्भ में प्रदाय की है

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी (अभिलेख) उसे उपलब्ध नही करायी गई है सामाान्य प्रशासन से प्राप्त जिस पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई है उससे वांछित जानकारी पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से दिया जाना परिलक्षित नही होता है अतः यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिनियम की धारा 4 (1) (डी) अनुसार कार्यवाही की हो तो उसकी जानकारी अपीलार्थी को दी जानी चाहिए अन्यथा जो भी स्थिति हो जानकारी दी जानी चाहिए

6. जहा तक इस अधिसूचना की पृष्ठभूमि से संबंधित शासकीय पत्र व्यवहार परिपत्र आदि को फोटोप्रति अपीलार्थी प्रदाय नही किये जाने का प्रश्न है, जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को पत्र की प्रति उपलब्ध कराया है उससे स्पष्ट है कि इसके संबंध में आवश्यक जानकारी/सूचना अपीलार्थी को नही दी गई है, अतः जन सूचना अधिकारी को चाहिए कि इस अधिसूचना जारी करने की पृष्ठभूमि में यदि किसी प्रकार का शासकीय पत्र व्यवहार, परिपत्र, नोटशीट आदि हो तो उनकी फोटोप्रति नियमानुसार अपीलार्थी को प्रदाय करे।

7. उपरोक्तानुसार यह अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जन सूचना अधिकारी उपर पैरा 05 एवं 06 में उल्लेखित सूचना/जानकारी/अभिलेख की फोटो प्रति अपीलार्थी को समयावधि के अंतर्गत प्रदाय करे।

हस्ता.
(चन्द्रप्रकाश उपाध्याय)
अपीलीय अधिकारी
समान्य प्रशासन विभाग

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलों का समयावधि में निराकरण।

सदर्भ :- एफ 2-27/2006/1-6 दिनांक 20.12.2006

---00---

संदर्भित पत्र द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। किन्तु यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों का समुचित पालन नही हो रहा है। इस संबंध में सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों की विधिवत सुनवाई व समयावधि में उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। अपील की अवधि में अपीलीय अधिकारियों द्वारा आवेदकों को नोटिस नहीं दिया जाता है, काफी समय व्यतीत होने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण आयोग में द्वितीय अपील प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

2. इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त किये गये सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों की विधिवत सुनवाई और समयावथि में विधिवत निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जावे तथा निरीक्षण के समय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा भी की जाये। अपीलीय अधिकारियों द्वारा विधिवत कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

3. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रशासन अकादमी, रायपुर से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 2-11/2006/1-6 रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2007)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनुरोध का निपटारा तथा अपील की सुनवाई निर्धारित समय में किये जाने के संबंध में।

--00--

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी तरह प्रथम अपील के प्रकरणों में अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी अपील का निपटारा निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आवेदकों को राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2/ अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के

अंतर्गत अनुरोध का निपटारा तथा प्रथम अपील का निपटारा धारा 19 के अनुसार निर्धारित समयावधि अर्थात् 30 दिवस के अंदर, भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (का. एवं प्र. विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 5/10/2009 द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मार्गदर्शिका में दर्शित निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार किया जाए :-

(1) आवेदनों के निपटानों के लिए कि जाने वाली प्रक्रिया

क्रं.सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-सीमा
1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
2.	यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति	48 घंटे
3.	यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति 5 दिन और जोड़ दिये जायेंगे	क्रं.सं. 1 तथा 2 पर दर्शायी गई समय अवधि में
4.	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से सीानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति (क) सामान्य स्थिति में (ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो	(क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर (ख) संबंधित लोक द्वारा प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर
5.	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति (क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (ख) यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो	(क) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर (ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
6.	यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तथा तीसरी पार्टी ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना की आपूर्ति	मार्गनिर्देशों के इस भाग के पैरा 23 से 28 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए मुहैया करवाई जाए

7.	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया हो	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा।

(2) प्रथम अपील के संबंध में प्रक्रिया

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिये गए हों।

2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि, यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा रास्ता अपनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।

3. यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।

अपील के निपटान के लिए समय-सीमा

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। अपवाद स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक का समय लगता है, अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

2/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : 3941/जी-1249/2010 /1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निपटारा समयावधि में करने बाबत्।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2-27/2006/1/6 दिनांक 20.12.2006, परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2006/1-6, दिनांक 20.07.2007 एवं परिपत्र दिनांक 30.07.2007

--00--

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्रों द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। किन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को गलत, अपूर्ण या भ्रमपूर्ण जानकारी दिए जाने की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी, विभागीय अधिकारी होते हुए भी सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण नहीं करते हैं। जिससे द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि चिन्ताजनक है।

2/ इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है, कि विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत् नियुक्त किए गए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों की सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण कर विधिवत् सुनवाई और समयावधि में विधिवत् निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जावे तथा निरीक्षण के समय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा भी की जाये। अपीलीय अधिकारियों द्वारा विधिवत् कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

3/ यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि यदि अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हो, तो इस संबंध में प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांकः 763/जी 2071/2012/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2013)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई एवं अपील का निराकरण।

संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-27/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20.12.2006
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-11/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20.07.2007
3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ 2-11/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 30.07.2007
4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3941/जी-1249/2010 /1-सू.

अ.प्र. रायपुर, दिनांक 22.12.2010

5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 768/जी-2071/2012/1- सू. अ.प्र. रायपुर, दिनांक 29.04.2013

--00--

शासन के ध्यान में यह बात आई है, कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 एवं शासन द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील का निराकरण 30 दिवस एवं सकारण अधिकतम 45 दिवस में किये जाने की विधिक बाध्यता है। कई प्रकरणों में निर्धारित अवधि में निराकरण न होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को बाध्य होना पड़ता है, जिससे न केवल अपीलार्थी का समय एवं धन का व्यय होता है, बल्कि आयोग में भी अनावश्यक अपील प्रकरणों की संख्या में वृध्दि हो रही है। साथ ही कई अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्देशों के बावजूद भी बोलता हुआ आदेश पारित न किये जाने के कारण भी द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जाता है। अपीलीय अधिकारियों का विधिक कर्तव्य है, कि ऐसी स्थिति निर्मित न होने दें। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशों के बावजूद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करते, जिसके कारण भी द्वितीय अपील अथवा शिकायत आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपील के निराकण में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है :-

(1) अपील आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजी में दर्ज किया जाए, ताकि समयावधि में निराकरण की निगरानी हो सकें।

(2) प्रथम अपील की कार्रवाई एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है, जिसमें संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए।

(3) अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण विवेचना के साथ बोलता हुआ एवं तार्किक अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित अवधि में आदेश पारित किया जाए।

(4) अपीलीय आदेश के साथ ही वांछित सूचना/विनिश्चय प्रदाय किया जाए।

(5) अपीलीय आदेश में निर्धारित अवधि में सूचना प्रदाय करने के निर्देश देने की स्थिति में, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ही स्वयं के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

(6) आदेश पालन न करने अथवा चूक करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए अथवा सक्षम अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3/ सभी विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा समय-समय पर

प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाए। विधि सम्मत जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए।

4/ इस ज्ञापन की प्रति प्रत्येक प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदाय कराना सुनिश्चित किया जाय।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांकः एफ. 8-2/2014/1-13 नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त पत्र कार्यवाही बाबत्-जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा सूचना की आपूर्ति एवं प्रथम अपीलीय प्रकरण का निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश।

--00--

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन - F. NO. 1/32/2013-IR दिनांक 17 फरवरी 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठ)

--00--

(छ.ग. शा., सा. प्र. वि., क्रमांकः एफ 1-1/2011/1-सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2015)

Subject : Guidelines for Public Information Officer/First Appellate Authorities for supply of Information and disposal of first appeal respectively-reiferation of

--00--

Section 26 of the RTI Act requires the Government to compile a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner. Os may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in the Act. Further, it requires the Government to update the guide of regular intervals. Accordingly a Guide on the Act was published online on 28.11.2013 to help all the stake-holders viz. information seekers in getting information, public information officers in dealing with the RTI applications, first appellate authorities in taking cogent decisions an appeals and the public authorites in implementing various provisions of the Act in right earnest.

2. The Public information Officers/First Appellate Authorities should keep in mind the salient features of the guidelins in supply of information to the information seeker and disposal of first appeal respectively, so that information seekers may not resort to filing of second appeals before the information commissions. The relevant salient features of the guidelines are reiterated below for consideration of the Public information Officers and First Appelate Authorites:

Supply of Information by the Public Information Officer

1) The answering Public information Officer should check whether the information sought or a part there of is exempt from disclosure under section 8 or section 9 of the Act. Respect of the part of the application which is so exempt may be rejected and rest of the information should be provided immediately or after receipt of additional fees. As the case may be.

2) Where a request for information is rejected, the Public Information Officer should communicate to the person making the request -

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the authority to whom an appeal can be made.

3) If additional fee is required to be paid by the applicant as provided in the fee and Cost Rules, the Public information Officer should inform the applicant;

(i) the details of further fees required to be paid;

(ii) the calculations made to arrive at the amount of fees asked for;

(iii) the fact that the applicant has a right to make appeal about the amount of fees so demanded;

(iv) the particulars of the authority to whom such an appeal can be made; and

(v) the time limit within which the appeal can be made.

4) Though there is no hard and fast rule as to when exactly infimation about additional fees is to be given to the applicant, such intimation should be given soon after receipt of RTI application.

Disposal of Appeal by the First Appellate Authority

1) While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in

a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

2) If an appellate authority while deciding an appeal comes to a conclusion that the appellant should be supplied Information in addition to what has been supplied by the public information Officer. He may either (i) pass an order directing the Public information Officer to give such information to the appellant; or (ii) he himself may give information to the appllant. In the first case the appellate authority should ensure that the information ordred by him to be supplied is supplied to the appellant immediately. If would, however, be better if the appellate authority chooses the second course of action and he himself furnishes the information alongwith the order passed by him in the matter.

(F.No. 1/32/2013-IR Government of India, North Block, New Delhi, Dated: the 17th February, 2015)

विषय :- जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दिए जाने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रथम अपील आदेश के संबंध में निर्देश दिए जाने बाबत।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारियों के द्वारा आवेदको को जानकारी उपलब्ध कराते समय एवं प्रथम अपीलीय आदेश पारित करने के उपरान्त आदेश की प्रतिलिपि राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हैं।

द्वितीय अपील की सुनवाई एवं शिकायत में यदि राज्य सूचना आयोग में आयुक्त महोदय प्रथम अपील की आदेश की मांग करते हैं, तभी प्रथम अपील आदेश की प्रति राज्य सूचना आयोग को प्रेषित की जावे।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के साथ राज्य सूचना आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि कुछ कार्यालय मासिक/त्रैमासिक पत्रक तैयार कर राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हैं। राज्य सूचना आयोग को कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर ही विभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे विभाग/कार्यालय का अनावश्यक कागज एवं डाक व्यय न हो।

(छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. का पत्र क्र./1627/जी-488/2022/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जून 2022)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील के संबंध में मार्गदर्शन देने विषयक।

--00--

1/ छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार कानून 15 जून 2005 से अधिनियम का रूप ले चुका है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयुक्त के समक्ष अपील करने से संबंधित प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के प्रकरणों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति,पावर ऑफ एटर्नी दिया जायेगा या नही तथा शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध अपील होने पर क्या शासन शासकीय खर्च पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी? ये विषय शासन के विचाराधीन थे। इस विषय मे निम्नानुसार निर्णय लिये जा रहे है।

2/ यह कार्यवाही पूर्णतः अर्धन्यायिक प्रकृति की कार्यवाही है, जो अधिक न्यायिक स्वरूप की है। जिसमें दण्ड के लिए भी प्रावधान है। अतएव प्रतिनिधित्व एवं बचाव का स्पष्ट अवसर आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मुख्तयार अथवा अधिवक्ता की नियुक्ति से रोका नहीं जा सकता है।

3/ अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के प्रकरणों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति, पावरऑफ एटर्नी दिया जा सकेगा। जहाँ तक शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध अपील पर व्यय का प्रश्न है, शासकीय आदेश के संबंध में हुए अपील पर व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जा सकेगा। परंतु दंड संबंधित अधिकारी को ही भुगतना होगा। (छ.ग. शासन, सा.प्र. वि., क्रमांक 35/649/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006)

भाग-4

अधिनियम के तहत् नियुक्ति अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पता अंकित करना

विषय :- सूचना का अधिकार के तहत नियुक्ति अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की पट्टिका लगाने विषयक।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ-7-6/2006/1/6, दिनांक 14 नवम्बर, 05

विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत राज्य के शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निगम/मंडल आदि कार्यालयों में शासन द्वारा सहायक जनसूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम एवं धारित पद की पट्टिका सूचना पटल तथा संबंधित अधिकारी के कक्ष के सामने लगी होनी चाहिए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.10.2005 एवं 14 नवम्बर 2005 जारी किये गये है। कतिपय विभागों/कार्यालयों/ शासकीय/अर्द्धशासकीय निगम/मंडलों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे आवेदकों, अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने में काफी कठिनाईयां एवं असुविधा हो रही है।

2. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारण के जनसूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम एवं पदनाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जावें तथा उनके नाम व पदनाम की पट्टिका संबंधित अधिकारी के कक्ष के सामने आवश्यक रूप से लगाई जावे। सभी लोक प्राधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक-363/852/06/1/6 रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2006)

विषय :- अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करने के संबंधी।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि आयोग में प्राप्त होने वाले अपील/शिकायत के प्रकरणों में अपीलार्थियों/शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रायः जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पते का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण ऐसे प्रकरणों में आयोग को, विलम्ब से जानकारी देने अथवा भ्रमपूर्ण/अपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिम्मेदार जनसूचना अधिकारी का निर्धारण करने में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है एवं इसके फलस्वरूप प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है। आयोग ने इस संबंध में शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार(अपील) नियम, 2006 के नियम 3(2) एवं 4(2) में विधिक प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

नियम 3(2) - इस नियम में प्रथम अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता तथा जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का प्रावधान है।

नियम 4(2) - इस नियम में द्वितीय अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील की जा रही है, उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो, उस आदेश की सत्यापित प्रति देने का प्रावधान है।

3/ कृपया उपरोक्त विधिक प्रावधानों से आपके विभाग/कार्यालय में नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराएं एवं निर्देशित करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपीलीर्थी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए प्रथम अपील के ज्ञापन में जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

4/ उपरोक्त के अलावा कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कक्ष के बाहर उनका नाम एवं पदनाम की पट्टिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् कार्यालय में सूचना पटल पर भी उनके नाम एवं पदनाम की जानकारी दर्शायी जाए।

5/ समस्त सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश अथवा पत्राचारों में उनका नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(छ.ग. शासन, सा.प्र. वि., क्रमांक 3610/जी.1646/2011/1-सूअप्र रायपुर,
दिनांक 30/12/2011)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना प्रदाय करते समय जनसूचना अधिकारी तथा आदेश पारित करते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अंकित करने के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक - 3610/जी-1646/2011/1-13 दिनांक 30.11.2011 पत्र क्रमांक -44/जी-1646/2011/1-13 दिनांक 09 जनवरी 2013 एवं पत्र क्रमांक 1628/ जी-921/ 2014/1-13 दिनांक 10 अक्टूबर

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश तथा पत्राचार करते समय अपना नाम, पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिये गये है।

भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने पत्र क्रमांक 10/1/2013 आईआर, दिनांक 11 नवम्बर 2014 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् जानकारी प्रदाय करने हेतु मॉडल/आदर्श प्रारूप विकसित करने के लिए समिति गठित किया था। उक्त समिति द्वारा तत्सम्बन्ध की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार है :-

1. कार्यालय में सहज रूप से सदृश्य स्थान पर जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय दूरभाष क्रमांक और ईमेल आईडी का सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
2. मांगी गई सूचना, यदि प्रदाय किए जाने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम के तहत् इंकार किए जाने से संबंधित धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. मांगी गई सूचना का संबंध अन्य लोक प्राधिकरण से है, तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् आवेदन पत्र अंतरित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकारी का स्पष्ट विवरण उल्लेखित किया जाना चाहिए.
4. आवेदक को दी जाने वाली जानकारी पत्र के अंतिम पैरा में प्रथम अपीलीय अधिकारी, नाम, पता सहित यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि दी गई जानकारी से संतुष्ट न हो तो 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।
5. यदि आवेदक ने चाही गई सूचना की प्रतियों या अभिलेखों को प्रमाणित कर, प्रदाय करने का अनुरोध किया है, तो जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम सील सहित और हस्ताक्षर मय तारीख अंकित कर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अतएव अनुरोध है, कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठ)

(छ.ग. शा., सा. प्र. वि., क्रमांकः एफ. 1-1/2011/1-13 नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2015)

विषय :- सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की पट्टिका लगाने विषयक।

--00--

संदर्भित पत्र के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके विभागों/ कार्यालयों/ शासकीय/अर्द्धशासकीय निगम/मंडल कार्यालय में नियुक्त जनसूचना एव अपीलीय अधिकारी के नाम एवं धारित पद की पट्टिका सूचना पटल तथा संबंधित अधिकारी के कक्ष के सामने लगाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय विभागों/ कार्यालयों/शासकीय/अर्द्धशासकीय निगम/मंडलों द्वारा उक्त निर्देशों को पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करने मं काफी कठिनाईयां एवं असुविधा हो रही है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम एवं पदनाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाए तथा उनके नाम व पदनाम की पट्टिका संबंधित अधिकारी के कक्ष के सामने आवश्यक रूप से लगाई जावें। सभी लोक प्रधिकारी से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।

(छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. का पत्र क्र./1154/जी-392/2022/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मई 2022)

भाग-5

शुल्क एवं मूल्य विनियमन नियम तथा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गए नियम

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ./रायपुर/17/2002''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2005 - कार्तिक 20, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ7-16/2005/1/6. केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) में की गई अपेक्षा के अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा " छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन करता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ1-1/2005/1/6/.- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगे.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

(क) "अधिनियम का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है.

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं.

3. धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रूपये शुल्क नगद, समुचित रसीद* सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के ***मुख्यशीर्ष-0070 उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

4. धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद** सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के ***"मुख्यशीर्ष-0070 उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपए,

(ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं

(ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके पश्चात प्रत्येक घण्टा (या उसके भाग) के लिए पांच रूपये की शुल्क.

5. धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के मुख्यशीर्ष -0070-उपमुख्यशीर्ष-800 अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो प्राधिकारी के नाम से देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

(क) सी.डी. या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रूपये प्रति सी.डी. या फ्लॉपी, एवं

(ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिए नियम कीमत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
नन्द कुमार, सचिव

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र.22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

* 1. नियम-3 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए

** 2. नियम-4 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नन्द कुमार, सचिव

----

*विषय :- नियम 3 में शब्द या नान ज्युडिशियल के पूर्व, शब्द या ई स्टाम्प अंतः स्थापित किया जाये।

--00--

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र.22 सन् 2005)की धारा 27 की उप-धारा(2)के खण्ड (ख)एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सराकर एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त नियमों में-

* 1. नियम 3 में, शब्द :या नान ज्युडिशियल स्टाम्प-के पूर्व, शब्द :या ई-स्टाम्प- अंतः स्थापित किया जाये।

** 2. नियम 4 में, शब्द :या नान ज्युडिशियल स्टाम्प-के पूर्व, शब्द :या ई-स्टाम्प- अंतः स्थापित किया जाये।

(छ.ग. शासन सा. प्र. वि. का पत्र क्र.2-4/2010/1-13 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06 जनवरी 2021) (छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण 06 जनवरी 2021)

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 दिनांक 25-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
नन्द कुमार, सचिव

Raipur, the 25th February 2006

No. F 2-1/2005/1/6 - In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely.

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 3, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.
2. In rule 4, after the words " proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order"shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 31 जनवरी, 2012

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-6 सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा-27 की उपधारा(2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

संशोधन

उक्त नियम में,-

1. नियम 3 में शब्द ''या नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर'' के पश्चात् एवं शब्द ''सहित'' के पूर्व, शब्द ''या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (1000 तक के अरेखांकित तथा 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर'' अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द ***''मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ के स्थान पर शब्द ''मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ'', प्रतिस्थापित किए जाएं।
2. नियम 4 में शब्द ''या नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर'' के पश्चात् एवं शब्द ''सहित'' के पूर्व, शब्द ''या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (1000 तक के अरेखांकित तथा 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर'' अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द ''मुख्य शीर्ष-0070 -उप-मुख्य शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ'' के स्थान पर शब्द ***''मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ, प्रतिस्थापित किए जाएं।
3. नियम 5 में, शब्द ''मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां'' के स्थान पर, शब्द ''मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ'' प्रतिस्थापित किये जाएं।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक/ 114-009/2003/20-01-03''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2006 - कार्तिक 6, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2006 जारी ''छत्तीसगढ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम 2006'' को एतद निरस्त करता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है, अर्थात

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम 2007''* होगा।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।

2. परिभाषाऐ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 23 सन 2005)

   (ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धाराः

   (ग) ''गरीबी रेखा के नीचे'' से अभिप्रेत है कि छत्तीसगढ सरकार के वे नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे होना घोषित किया गया है,

   (घ) ''फीस'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अर्न्तगत देय शुल्क,

(ड.) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमो मे प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है, उनके वही अर्थ होगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. अधिनियम में अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न अनुसार निशुल्क उपलव्ध करायी जाएगी।

(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलव्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है।

(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साईज के) या तैयार करने में रूपये 100 (रूपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलव्ध करायी जाएगी।

(तीन) यदि मागी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठो से अधिक की है या रूपये 100 (रूपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा।

4. जो आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते है, उन्हें नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घंटे का शुल्क 50** (रूपये पचास केवल) होगा।

इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना No. 1/32/2013IR*** दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग-1 कण्डिका-19 के अनुसार अभिलेखों के निरीक्षण के लिये लोक प्राधिकरण पहले धंटे के लिये शुल्क नहीं लेगा किन्तु उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके खंड) के लिये पांच रूपये का शुल्क लिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नन्द कुमार, सचिव

*संशोधन अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2/10/06/1-6 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2006 द्वारा नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियम के नियम 1(1) में शब्द (शुल्क एवं प्रभार) के बाद शब्द और अंक ''नियम 2007 के स्थान पर पर शब्द और अंक ''संशोधन नियम 2006'' पढा जावें ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर.मिश्रा संयुक्त सचिव

**संशोधन अधिसूचना दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-3/2013/1 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 द्वारा बनाये गये सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम 2007के नियम 4 को विलोपित करता है ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर.मिश्रा संयुक्त सचिव

***संशोधन अधिसूचना No. 1/4/2009R

Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi, Dated 5th October 2009

As already Pointed out, a citizen has a right to inspect the record of a public authority. For inspection of records, the public authority shall charge no fee for the first hour. But a fee of rupees five (Rs 5/-) for each subsequent hour (or fraction thereof) shall be charged.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नन्द कुमार, सचिव

Raipur, the 12th Octuber 2006

NOTIFICATION

No. F 2-10/2006/1/6 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby repealed the Chhattisgarh Right to Information (Fee and Charge) Rules 2006, issued by notification dated 9th March, 2006 and for justification of sub section (9) of section 7 of Right to Information Act 2005, makes the following rules, namely :-

RULES

1. Short title and commencement :-
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh right to information (fees and charge) rules 2007.
   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definitions :- In the rules unless the context otherwise requires -
   (a) "Act" means the right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005);
   (b) "Section" means the sections of the Act;
   (c) "Below poverty line" means such citizen of State of Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh;
   (d) The word and expressions used but not defined in these rules carry shall meaning as have been assigned to them in the Act.
3. Information sought by persons below poverty line under the Act shall be provided free of cost as describe here under :-
   (i) If the information sought relates to his/her life then the information will be provided in the form in which it is demanded.
   (ii) If the information sought is not pertaining to self but if the information can be given in 50 photocopied pages (of A-4 Size) or the cost of production of information is within Rs. 100 (Rupees one hundred only) then the sought information will be provided in the form it is sought.
   (iii) If the information sought involves photocopying of more than 50 pages or of the cost of production exceeds Rs. 100 (Rupees one hundred only) then the by recording reasons under section 7 (9) of the Act the applicant will be requested to inspect the records/files in the office.
4. The fee for inspection of file for first hour shall be now Rs. 50 (Rupees fifty only) for the persons who do not belong in the definition of below poverty line.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh

NAND KUMAR, Secreatary

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 10 जुलाई, 2008

क्रमांक एफ 2/10/06/1-6 :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. सन् 2005) की धारा-27 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा जारी नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम के नियम-1 (1) में शब्द (शुल्क एवं प्रभार) के बाद शब्द और अंक '' नियम, 2007'' के स्थान पर शब्द और अंक ''संशोधन नियम, 2006'' पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6 रायपुर, दिनांक 10 जुलाई, 2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6, दिनांक 10 जुलाई, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NOTIFICATION

Raipur, Dated 10 July, 2008

No. F 2-10/2006/16 :: In exercise of the power conferred by sub section(1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendment in the rules, issued by even number notification dated 12th October, 2006, namely:-

AMENDMENT

In rule 1(1) of the said ruls after the word(fees and charge) in spite of the word & figure "rules, 2007" the word & figure "amendment rules, 2006" shall be substituted, namely.

By order and in name of the Government of Chhattisgarh

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदाय हेतु निर्धारित शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ :- समसंख्यक अधिसूचना दिनॉक 11.10.2005 एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2006.

सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2/10/2006/1-6 दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 की प्रति राज्य के निचले स्तर पर पदस्थ जनसूचना अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकी है। इस कारण जनसूचना अधिकारियों के लिए प्रति पृष्ठ रू. 100/- की मांग अभी भी की जा रही है, जो नियमानुसार उचित नहीं है, जो निमयानुसार उचित नहीं है। चूंकि शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2006 को निरस्त कर अधिसूचना दिनांक 11.10.2005 में निर्धारित अनुसार रूपये दो प्रति पृष्ठ की दर से ही लिया जाना निर्धारित है।

2. इसी प्रकार नगद शुल्क प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था भी कुछ विभागों/ कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

3. अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/सार्वजनिकउपक्रम/ जिला/विकासखण्ड/तहसील/पंचायत स्तर के कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों तक उक्त अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की प्रति पहुँचाना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 11.10.2005 में निर्धारित अनुसार शुल्क ही आवेदकों से लिया जाना तथा नगद शुल्क जमा करने के लिए समुचित रसीद प्रदान करने की व्यवस्था भी सभी कार्यालयों में सुनिश्चित की जाए।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 रायपुर दिनांक 13 सितंबर, 2007)

विषय :- भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी।

संदर्भ :- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-एफ10/9/2008-आई.आर., दिनांक 26 अप्रैल, 2011।

--00--

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-एफ 10/9/2008-आई.आर. दिनांक 26 अप्रैल, 2011 पत्र की छायाप्रति सूचनार्थ संलग्न प्रेषित है।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : 1535/जी-1312/2009/1-सूअप्र रायपुर दिनांक 7 जून, 2011)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

विषय : भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी।

--00--

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क की अदायगी कर सकता है। इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ लोक प्राधिकरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं।

2. यथोक्तानुसार, नियमों के अंतर्गत शुल्क की अदायगी के तरीकों में एक माध्यम भारतीय पोस्टल ऑर्डर है। आईपीओ के माध्यम से शुल्क स्वीकार किए जाने से इंकार आवेदन को स्वीकार करने से मना करने जैसा लिया जाएगा। इसका परिणाम अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा शास्ति लगाया जाना हो सकता है। अतः, सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपीओ द्वारा शुल्क की अदायगी से इंकार न हो।

3. इस का.ज्ञा. के संदर्भों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(सं.एफ. 10/9/2008-आई.आर भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 2011)

Subject : Payment of fee under the RTI Act by Indian Postal Order.

***

The undersigned is directed to say that the Right to information (Regulation of Fee and Cost) Rule, 2005 provide that a person seeking information under the RTI Act, 2005 can make payment of fee for obtaining information by cash or demand draft or banker's cheque or Indian Postal Order. It has been brought to the notice of this Department that some public authorities do not accept fee through the Indian Postal Orders.

2. As stated above, one of the approved modes of payment of fee under the Rules is through Indian Postal Order. Refusal to accept fee though the IPO may be treated as refusal to accept the application. It may result into imposition of penalty by the Central Information Commission on the concerned Central Public Information Officer under Section 20 of the Act. All the public authorities should, therefore, ensure that payment of fee by IPO is not denied.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned. (No.F/10/9/2008-IR Government of India, North Bolck, New, Delhi Dated : April 26, 2011)

विषय :- इलेक्ट्रानिक भारतीय पोस्टल आर्डर (e-IPO) की सुविधा का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक प्राधिकारियों द्वारा करने बाबत्।

संदर्भ :- भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक -1/4/2014-IR दिनांक 12 अगस्त 2014

--00--

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 12.08.2014 की छायाप्रति सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (05 पृष्ठ)

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांकः 1671/जी-1320/2014/1-सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014)

A Service called e-IPl (Electronic Indian Postal Order) was launched w.e.f. 22-03-2013 for purchasing indian Postal Order online through e-post office portal for paying RTI fee to access information under the RTI Act, 2005 from the Centrol Public Authorities. The facility which was initially started for Indian Citizens abroad. Was extended to indian. Citizens residing in india also w.e.f. 13.02.2014. A copy each of the aforementioned Office Memorandum is enclosed for reference.

2. Department of Posts has now proposed that the feasibility of extending this facility to the State Governments aslo. Where IPO is one of the modes of payment of RTI application fee. May be explored.

3. I would therefore, request you to look into the matter and to explore the feasibility of introduction of e-IPO facility for State Public Authorities to make the RTI regime more user friendly.

(D.O. No. 1/4/2014-IR Government of India, North Block, New Delhi - 110001, Dated: the 12th August, 2014)

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Electronic Indian Postal Order - launching of.

--00--

On the initiative of Department of Personnel and Training, Department of Posts has launched a service called "eIPO" (Electronic Indian Postal Order) w.e.f. 22/03/2013. This is a facility to purchase an Indian Postal Order electronically by paying a fee on-line through e-post Office Portal i.e. http://www.epostoffice.gov.in it can also be accessed through India Post websit www.indiapost.gov.in As per RTI Rules, 2012 fees may be paid by electronic means, if facility for receiving fees through electronic means is available with the public authority.

2. At present, this facility is provided only for Indian Citizens abroad across the globe to facilitate them to seek information from the Central Public Information Officer (CPIOs) under the RTI Act, 2005. Debit and Credit cards can be used to purchase eIPO.

3. The user needs to get himself registered at the website. He has to select the Ministry/Department from whom he desires to seek the information under the RTI Act and the eIPO so generated can be usde to seek information from that Ministry/Department only. A printout of the eIPO is required to be attached with the RTI application. If the RTI application is being filed electronically. eIPO is required to be attached as an attachment.

4. It may be noted that this facility is only for purchasing an Indian Postal Order electronically. All the requirements for filing an RTI application as well as other provisions regarding eligibility, time limit, exemptions etc. as provided in the RTI Act, 2005 will continue to apply.

5. An eIPO so generated must be used only once with an RTI application. To check any multiple use of the same eIPO, the CPIOs shall maintain a record of the eIPOs so received from Indian Citizens abroad. In case of any doubt, the details of eIPO can be verified from the above mentioned site/portal of India Post.

(No. 1/44/2009-IR Government of India, North Block, New Delhi, Dated: the 22th March, 2013)

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Electronic Indian Postal Order - extension of service to indian Citizens residing in India.

--00--

In continuation to this Department's O.M. of even number date 22/03/2013, it is intimated that Department of Posts has extended the "eIPO" (electronic India Postal Order) service to Indian citizens residing in India also w.e.f. 13.02.2014, for purchasing Indian Postal Order electronically by paying a fee online through e-post Office Portal i.e. http://www.epostoffice.gov.in it can also be accessed through India Post websit www.indiapost.gov.in

2. It is reiterated that :-

i) This facility has been provided for Indian citizens to facilitate them to seek information from the Central Public Information Officers (CPIOs) under the RTI Act, 2005. Debit or Credit cards of any Bank powered by Visa/Master can be used to purchase e-IPO.

ii) The user needs to get registered at the website. He has to select the Ministry/Department from whom he desires to seek the information under the RTI Act and the eIPO so generated can be used to seek Information from that Ministry/ Department only. A printout of the eIPO is required to be attached with the RTI application. If the RTI application is being filed electronically, eIPO is required to be attached as an attachment.

iii) This facility is only for purchasing an Indian Postal Order electronically. All the requirements for filing an RTI application as well as other provisions regarding eligibility, time limit, exemptions etc. will continue to apply.

3. An eIPO so generated must be used only once with an RTI application. To check any multiple use of the same eIPO. The public Authority shall maintain a record of the eIPOs so received, in case of any doubt, the details of eIPO can be verified from the above mentioned site/portal of India Post.

(No. 1/44/2009-IR Government of India, North Block, New Delhi, Dated: the 15th February, 2014)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शुल्क का भुगतान - अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) का कार्यक्षेत्र।

--00--

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि समय-समय पर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि क्या जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(3) के अंतर्गत अधिनियम की धाराओं 6(1), 7(1) तथा 7(5) के अंतर्गत नियत शुल्क के अतिरिक्त शुल्क वसूल करने का अधिकार है।

2. अधिनियम की धारा 6(1) सरकार को आवेदन शुल्क निर्धारित करने तथा धारा 7 की उपधाराएं (1) एवं (5) सूचना की आपूर्ति करने के लिए आवेदन फीस के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है दूसरी और धारा 7 की उपधारा (3) में उस प्रक्रिया की व्यवस्था है, जिसका पी.आई.ओ. को धारा की उपधाराएं (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क वसूल करने के लिए अनुपालन करना होता है। ऐसे शुल्कों के ब्यौरे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकता है, सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का नियमन) नियमावली, 2005 में समाविष्ट है। नियम या अधिनियम पी.आई.ओ. को नियत शुल्क एवं लागत नियमावली 2005 में समाविष्ट है। नियम या अधिनियम पी.आई.ओ. को नियत शुल्क एवं लागत नियमावली के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वसूल करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता। इस संबंध में अपील सं. सी.आई.सी./एम.ए./ए/2008/01085। श्री के.के. किशोर बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तथा शिकायत सं. सी.आई.सी/डब्ल्यू.बी./सी/2007/00943 (श्री सुबोध जैन बनाम पुलिस उपायुक्त) में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के निम्नलिखित भाग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

'धारा 7 की उप-धारा (5) के परन्तुक के अंतर्गत अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि धारा 7 की उप-धारा (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क उपयुक्त होगा तथा उपयुक्त सरकार द्वारा नियत की गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से ऐसा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत उपयुक्त समझा गया शुल्क पहले ही निर्धारित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिनियम की धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी और का कोई प्रावधान नहीं है।

'इस प्रकार, केवल वही शुल्क वसूला जा सकता है, जिसका प्रावधान धारा 6(1) में है, जो कि आवेदन शुल्क है, धारा 7(1) में है, जो फोटो कॉपिंग आदि के लिए निर्धारित है तथा धारा 7(5) में है, जो मुद्रित या इलेक्ट्रिक फॉरमेंट में सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। परन्तु इसमें अतिरिक्त शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा अधिनियम की धाराएं 6(1), 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की वसूली सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा। धारा 7(3) में उल्लिखित

'अतिरिक्त शुल्क' केवल सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत पहले से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का लाभ लेने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जो रू. 10/- के मूल शुल्क के 'अतिरिक्त' है। धारा 7(3) में निर्धारित शुल्कों को वसूल करने की प्रक्रिया की व्यवस्था है।''

3. उक्त मामलों में निर्णय देते हुए आयोग ने इस विभाग को सूचना की आपूर्ति के लिए शुल्क वसूलने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की है। इसमें पुस्तकों, नकशों, योजनाओं, दस्तावेजों, नमूनों, मॉडलों आदि की आपूर्ति करने के लिए तथा डाक विभाग द्वारा नियत न्यूनतम स्लैब से अधिक प्रभार होने पर डाक/कोरियर प्रभार के लिए तथा इसी प्रकार की अन्य किसी स्थिति के लिए शुल्क लिया जा सकता है।

4. सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 में डिस्केट्स या लॉपी या फोटोकॉपी के रूप में सूचना देने के लिए शुल्क वसूलने के लिए, नमूनों, मॉडलों, मुद्रित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, नक्शे, योजना आदि मुहैया करने के लिए तथा रिकार्डों का निरीक्षण करने के लिए शुल्क वसूलने के प्रावधान पहले ही विद्यमान है। तथापि, सरकार डाक द्वारा सूचना भेजने या ओवरहैड व्यय आदि में होने वाले व्यय के लिए शुल्क वसूल करना वांछनीय नहीं मानती है। तथापि यह ध्यान रखने लायक है कि अधिनियम की धारा 7(9) के अनुसार सामान्यता सूचना ऐसे रूप में मुहैया की जाएगी, जिसमें यह मांगी गई है। परन्तु यदि किसी विशेष रूप में सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का गैर-आनुपातिक रूप से व्यय हो, तो सूचना को उस रूप में देने से मना किया जा सकता है।

5. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जहां जन सूचना अधिकारी आवेदन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर सूचना मुहैया करने का निर्णय ले, तो उसे उक्त शुल्क एवं लागत नियमावली के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क की मात्रा निश्चित करनी चाहिए तथा ऐसे शुल्क की गणना सहित आवेदक को शुल्क संबंधी ब्यौरे देने चाहिए। क्योकि अधिनियम या नियमावली में डाक संबंधी व्यय या सूचना की आपूर्ति करने के लिए जनशक्ति के नियोजन में व्यय होने वाली लागत के लिए शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे इनके लिए आवेदक से शुल्क नहीं मांगना चाहिए। तथापि, जहां किसी विशेष रूप में सूचना की आपूर्ति लोक प्राधिकरण के संसाधनों को गैर-आनुपातिक रूप से व्यय कराए या सुरक्षा या रिकार्डो की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकर हो, तो पी.आई.ओ. उस रूप में सूचना की आपूर्ति करने से इन्कार कर सकता है।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए।

प्रतिलिपि प्रेषित :- सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, के मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित :- उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग।

(सं. 12/9/2009-आई.आर. भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 24 मई 2010)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी/सूचना प्रदाय करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 7(3)(क) के संबंध में आवश्यक निर्देश।

--00--

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार, सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध (आवेदन) प्राप्त होने पर, जन सूचना अधिकारी, धारा 7 की उप-धारा (1) के अनुसार, तीस दिवस के भीतर, विहित फीस के संदाय के लिए तथा धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसार यथा अवधारित जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने की लागत और फीस के ब्यौरे, जिसके साथ धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसरण में रकम निकालने के लिए की गई संगणनायें होगी, देते हुए आवेदक से उक्त फीस को जमा करने हेतु अनुरोध करते हुए, संसूचना भेजेगा। उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय करने के बीच मध्यवर्ती अवधि को, उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिवस की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

2/- निर्देशित किया जाता है, कि आवेदकों को समय-सीमा में जानकारी/सूचना उपलब्ध कराना, जन सूचना अधिकारी का दायित्व है, अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसार, जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने की लागत और फीस की रकम की संगणना कर, लागत और फीस के ब्यौरे देते हुए, फीस जमा करने हेतु तत्काल आवेदक को सूचित किया जाए और आवेदक द्वारा फीस भुगतान किये जाने के उपरांत ही, वांछित अभिलेखों की छायाप्रति कराई जाये तद्पश्चात् आवेदक को प्रदान की जाए, ताकि निर्धारित तीस दिवस की समयावाधि के बाद निःशुल्क जानकारी प्रदाय किए जाने से शासन पर पड़ने वाले अनावश्यक व्यय भार को रोका जा सकें।

कृपया उपेक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांकः 1412/जी-908/2014/1-सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 21/08/2014)

भाग-6

अधिनियम के प्रावधानों से छूट

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधियिम की धारा 24(4) के तहत निम्नांकित संख्या/शाखा/संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है -

1. छत्तीसगढ सशस्त्र बल
2. पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय
3. पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा
4. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष अधिसूचना शाखा
5. अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी)*
6. एन्टी करप्शन ब्यूरो**

*संशोधन अधिसूचना दिनांक 19 अप्रेल 2006

क्रमांक एफ 7-6/2005/1-6 -राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**संशोधन अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत ''एन्टी करप्शन ब्यूरो'' को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है ।

छततीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण

--00--

छत्तीसगढ शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 24(4) के प्रावधानों से विभाग/कार्यालयों को छूट प्रदान किया गया है जिसके तहत कतिपय संगठनों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपवर्जित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

1. छत्तीसगढ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय, पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा एवं नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष अधिसूचना शाखा
2. छत्तीसगढ शासन की गृह विभाग की :सी शाखा:
3. छत्तीसगढ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो

4. अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी) छत्तीसगढ़

5. एन्टी करप्शन ब्यूरो

2. प्रायः यह देखा गया है कि आवेदकों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के अनुरोध करने पर उक्त विभाग/कार्यालयों के द्वारा जानकारी देने से इन्कार किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) में लेख है कि -

इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आमसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है, जिले वह सरकार समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारें के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नही की जायेगी परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर दी जायेगी।

3. छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग/कार्यालयों द्वारा छूट का उल्लेख करते हुए सामान्य जानकारी प्रदाय नही जाती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग/कार्यालय के छूट केवल अधिनियम की धारा 24(4) में की गई, न कि सामान्य जानकारी प्रदाय करने में छूट दी गई है (जैसे कि स्थापना/लेखा संबंधी, स्थानान्तरण आदेश, नियुक्ति एवं इत्यादि)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) का भी पालन करते हुए उक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(छ.ग.शासन सा.प्र.वि. का पत्र क्र. 7-16/2005/1-13 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 16 जून 2022)

भाग-7

अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जारी शासन के निर्देश

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने बाबत्।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबधं में जनता में प्रचार-प्रसार करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। विशेष रूप से सुदूर अंचल के अदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी का अभाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षण के संबंध में जिला स्तरों पर कुछ प्रशिक्षण दिया गया है, किन्तु उसके नीचे तहसील, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर संभवतः प्रशिक्षण अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है जिससे उक्त अधिनियम के तहत् सूचना प्रदान करने के कार्य में

तत्परता/कुशलता नहीं दिखाई जा रही है।

2. अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दृष्टि से निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए :-

(1) राज्य स्तर पर सचिवों और कलेक्टर्स की बैठकों में सूचना का अधिकार विषय को एक स्थाई एजेण्डा के रूप में रखा जाए और प्रगति की समीक्षा की जाए।

(2) जिला स्तर पर अभी अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठकों में कलेक्टर द्वारा भी सूचना का अधिकार विषय को एक स्थाई एजेण्डा के रूप में रखकर नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

(3) विभिन्न विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष जब भी जिलों में भ्रमण पर जाये अथवा जिला स्तरीय अधिकारी तहसील और विकासखण्ड के भ्रमण अथवा निरीक्षण के लिये जावें तो वे अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना के अधिकार के संबंध में संधारित पंजियों में प्राप्त आवेदनों एवं उसके निराकरण के संबंध में निरीक्षण करें और अपनी निरीक्षण टीप में उसका उल्लेख निहित रूप से किया जाय।

(4) विभिन्न जिलों में जो प्रभारी सचिव नियुक्त किये गये हैं उनके भी कर्तव्य में यह शामिल किया जावे कि वे सूचना का अधिकार विषय पर जिलों में की गई कार्यवाही की समीक्षा करें।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण अथवा भ्रमण में अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार के संबंध में लापरवाही बरतनें, आवेदकों को परेशान किए जाने की घटना अथवा जानबूझकर सूचना को छिपाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने पर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाए।

(छ.ग.शासन, सा.प्र.वि., क्र. एफ-2-12/2006/1/6, दिनांक 25-03-2006)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावशील क्रियान्वयन।

संदर्भ :- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक नं. 04/10/2011-आई.आर. दिनांक 18.05.2011

--00--

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक नं. 04/10/2011-आई.आर. दिनांक 18.05.2011 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-

(a) विभागों/विभागाध्यक्षों/अधीनस्थ कार्यालयों व उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का एक पृथक अध्याय शामिल किया जाये, जिसमें वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र,

निराकृत तथा अस्वीकृत किये जाने की संख्या का उल्लेख हो। इसके साथ ही यदि सूचना का अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय/प्रयास किए गये हों तो उनको भी दर्शाया जाये। यह कार्य वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदनों में सुनिश्चित किया जाये।

(b) प्रत्येक विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में कार्यरत समस्त जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को वर्ष में कम से कम आधे दिन का प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि सूचना का अधिकार के प्रति उनकी भूमिका एवं कर्तव्य का अहसास हो सके। प्रत्येक मंत्रालयीन विभाग उनके अधीनस्थ जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(c) समस्त विभाग/जन प्राधिकारी कार्यालय जिनकी वेबसाईट उपलब्ध है, वे सूचना का अधिकार से संबंधित प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्र, उनके निराकरण की माहवार जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे। जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख को Update की जाए। शासन के समस्त विभाग उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में (इस निर्देश पर कार्यान्वयन हो रहा है, के संबंध में) कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त तरीके से की जाने वाली कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जावे।

2/ अतः कृपया निर्देशों का पालन आपके विभागों में व विभागों के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/आयोगों में पत्र की छायाप्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन 10 सितम्बर तक भेजें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : 2279/जी-1312/2009/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2011)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Strengthening Implementation of the Right to Information Act, 2005.

***

Central Chief Information Commissioner has made a reference to the Cabinet Secretary making several suggestions for effective implementation of the Right to Information Act, 2005. It has been decided in consultation with the Cabinet Secretariat that following actions shall be undertaken by all Ministeries/Departments/Attached Offices/PSUs of Central Government to strengthen the implementation of the RTI Act:

(a) In the Annual reports of the Central Ministries/Departments and other attached/subordinate officer/PSUs, a separate chapter shall be included

regarding implementation of the RTI Act in their respective offices. This chapter should detail the number of RTI applications received and disposed off during the year, including number of cases in which the information was denied. In addition to the above, efforts made to improve the implementation of the Act in their respective offices, including any innovatative measures that have been undertaken, should also be listed. This is to be ensured for Annual reports for the year 2011-12 onwards.

(b) Each Ministry/Department should organize atleast a half day training programme for all CPIOs/Appellate (AAs) every year to sensitize them about their role in implementation of the RTI Act. The concerned Ministries/Departments shall ensure that similar programmes are organized for all CPIOs/AAs of all attached/subordinate offices and PSUs under their control as well.

(c) All public authorities who have a web site shall publish the details of monthly receipts and disposal of RTI applications on the websites. This should be implemented within 10 days of the close of the month. Ministries/Departments would ensure that these instructions are communicated to their attached/subordinate offices as well as PSUs immediately. Monthly reporting on the above pattern should begin lates by 10th July, 2011 and thereafter continue on a regular basis.

2. All the Ministeries/Departments are requested to take action as above and also to ensure that these instructions are communicated to their attached and subordinate offices/PSUs for compliance.

(No.4/10/2011-IR Government of India North Block, New Delhi Dated: 18th May, 2011)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.07.2006

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश दिए गए है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के समुचित क्रियान्वयन हेतु विभागीय सचिवों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए तथा सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा भी उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का अध्ययन करने के साथ ही

उक्त ज्ञापन में निहित बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए है। लेकिन शासन के ध्यान में यह लाया गया है, कि उक्त ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतएव उक्त ज्ञापन के अनुक्रम में निम्नानुसार पुनः निर्देश प्रदान किए जाते है :-

1. विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को ही जनसूचना अधिकारी नामांकित किया जाए। जन सूचना अधिकारी के अवकाश या अन्य कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में लिंक अधिकारी की व्यवस्था की जाए।
2. विभाग के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों (एन.जी.ओ.सहित) की एकजाई जानकारी विभागीय सचिव के स्तर से, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाए।
3. छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से केवल ''सचिव'' स्तर से ही पत्राचार किया जाए, उससे निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा आयोग से पत्राचार न किया जाए। समस्त पत्राचार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को संबोधित किए जाए।
4. सूचना का अधिकार से संबंधित पूर्ण जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए।
5. नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए। सूचना से वंचित आवेदक को क्षतिपूर्ति की मांग यदि सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है, तो तत्काल उसका भुगतान संबंधित आवेदक को किया जाए तथा उसकी वसूली दोषी अधिकारी से करने के संबंध में परीक्षण कर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए।
6. कार्यालयीन रिकार्ड व्यवस्थित रखे जाएं, ताकि अभिलेखों को ढूंढ़ने में अनावश्यक विलंब न हो एवं निर्धारित अवधि में आवेदक को जानकारी दी जा सके।
7. स्व-प्रकटीकरण अभिलेखों को विभागों की वेबसाइट पर अद्यतन रखा जाए। जिन विभागों द्वारा स्व-प्रकटीकरण के आधार पर पूर्ण जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है, उसे शीघ्र प्रदर्शित की जाए।
8. विनिष्ट किये गये कार्यालयीन अभिलेखों की जानकारी भी विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाए।
9. प्रथम अपील में आवेदक को सुनवाई हेतु अनिवार्य रूप से बुलाया जाए एवं आवश्यक होने पर उसे नियमानुसार विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए तथा अपील का निपटारा 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में स्पष्ट कारण बताते हुए (स्पीकिंग आर्डर) किया जाए। यद्यापि अपीलीय अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है, परन्तु दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. सूचना का अधिकार के तहत् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में कलेक्टरों से जानकारी चाही जाने पर, ऐसी जानकारी कलेक्टरों द्वारा सचिव, राजस्व विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन

विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

11. अधिनियम के तहत् ली जाने वाली फीस/शुल्क के माध्यमों का प्रचार-प्रसार किया जाए।

12. कार्यालयीन बजट में डाक-व्यय, स्टेशनरी-व्यय एवं सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशानुसार क्षति-पूर्ति दावों (डिक्रीधन) आदि के भुगतान के साथ-साथ अमले की कमी को पूरा करने हेतु विभाग/कार्यालय के बजट में पर्याप्त प्रावधान कराया जाए।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में पंचायत स्तर पर पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया जाये, ताकि आम जनता को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो सके।

14. प्रभारी सचिवों द्वारा उनके प्रभार के जिले के दौरे के समय एवं विभागीय बैठकों में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

15. आवेदक को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं की प्रतिलिपि सूचना आयोग को पृष्ठांकित न की जाए।

2/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(छ.ग. शा., सा. प्र. वि., क्रमांकः एफ. 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2013)

भाग-8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शी सिद्धांत

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् मार्गदर्शी सिद्धांत।

---00---

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1/4/2009-आई.आर. दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 के साथ प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में दिशा-निर्देश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया इन निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को परिवहन/सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक 523/जी.1312/2009/1-सूअप्र रायपुर दिनांक 15 मार्च, 2010।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शिका।

---00---

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, कि इस विभाग ने पिछले तीन वर्षो में सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के बारे में दिशा-निर्देशों के चार सेट और कई अन्य कार्यालय ज्ञापन जारी किए है। अधिनियम के खण्ड 26 में सरकार से इस प्रकार के दिशा-निर्देश तैयार करने और उन्हें नियमित अंतराल पर अद्यतन करते रहने की अपेक्षा की गई है। तद्नुसार इस अधिनियम पर एक समेकित अद्यतन मार्गनिर्देशिका तैयार की गई है। जो सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के लिए उपयोगी होगी। यह मार्गदर्शिका सूचना मांगने वालों को सूचना प्राप्त करने में, लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने में, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को प्रभावकारी निर्णय लेने में और लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सही तरह से कार्यान्वित करने में सहायकता करेगी।

मार्गनिर्देशिका की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है, कि इसे सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए।

(सं. एक 1/4/2009 आई.आर. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकयत तथा पेंशन मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 05 अक्टूबर, 2009)

"भारत सरकार द्वारा अद्यतन कर पुनः जारी मार्गनिर्देशिका"

विषय : मार्गनिर्देशिका, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण।

---00---

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/32/2013-आई.आर., दिनांक 28 नवम्बर, 2013

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 में सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह ऐसी सूचनाओं को शामिल कर आसान भाषा तथा शैली में मार्गनिर्देशिका का संकलन करे जिसकी आवश्यकता ऐसे किसी व्यक्ति को हो जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकार का प्रयोग करना चाहता हो। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार से इसको नियिमित अन्तराल पर अद्यतन करने की अपेक्षा की गई है। तद्नुसर अधिनियम के संबंध में अद्यतन की गई मार्गनिर्देशिका एतदद्वारा ऑनलाईन प्रकाशित की जाती है जिससे सभी पणधारियों अर्थात् सूचना मांगने वाले को सूचना प्राप्त करने, लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार आवेदनों के निपटान, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलों पर ठोस निर्णय लेने और लोक प्राधिकारियों को अधिनिमय के विभिन्न प्रावधान को गंभीरता से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 1514/जी-1312/2009/1-13 दिनांक 20.08.2020))

अस्वीकरण

1. यद्यपि परिशुद्धता और संगति बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव सावधानी बरती गई है, तथापि मार्गनिर्देशिका और इस विषय पर सरकारी आदेशों/अनुदेशों के बीच किसी प्रकार का परस्पर विरोध होने पर सरकारी आदेश/अनुदेश अभिभावी होंगे।

2. यहां दी गई किसी भी सूचना को किसी विवाद अथवा मुकदमे में उदधृत नहीं किया जा सकता, न ही यह किसी कानूनी व्याख्याता/साक्ष्य का विकल्प है। इस मार्गनिर्देशिका में निहित सूचना का आधार पर लिए गए निर्णय के परिणामों के लिए उपयोगकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. वर्तमान मार्गनिर्देशिका सभी पणधारियों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु अद्यतन एवं समेकित दिशा-निर्देश है। इस मार्गनिर्देशिका में पांच भाग हैं। मार्गदर्शिका के भाग-1 में अधिनियम के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा की गई है जिनकी जानकारी सभी पणधारियों को होनी चाहिए। शेष चार भाग क्रमशः लोक प्राधिकरणों, सूचना मांगने वालों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए विशेषरूप से प्रासंगिक है।

4. इस मार्गनिर्देशिका की विषय-वस्तु विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के लिए प्रासंगिक हैं लेकिन सूचना आयुक्तों द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने या शुल्क के भुगतान से संबंधित नियमों को छोड़कर राज्य सरकारों पर भी समान रूप से लागू होती है। उल्लेखनीय है कि इस मार्गनिर्देशिका में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्थान पर लोक सूचना अधिकारी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार, जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/केंद्रीय सूचना आयोग आदि का उपयोग करना अनिवार्य समझा गया, ऐसी जगहों को छोड़कर जहां केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्थान पर सहायक लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सूचना आयोग के स्थान पर सूचना आयोग का प्रयोग किया गया है।

मार्गनिर्देशिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से सूचना के अधिकार की गारंटी दी गई है तथापि, नागरिकों को अधिकार के रूप में सूचना प्राप्त करने की व्यावहारिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से, भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 को अधिनियमित किया है। यह कानून अत्यधिक व्यापक है और इसमें शासन के लगभग सभी मामले शामिल किए गए हैं। यह कानून सरकार के सभी स्तरों अर्थात संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू होने के साथ-साथ उल्लेखनीय सरकारी अनुदान प्राप्त करने वालों पर भी लागू है अतः इसकी पहुंच व्यापक है।

भाग - I

सभी पणधारियों के लिए

सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

4. सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ाते हुए हमारे लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के लिए काम करने हेतु तैयार करना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक जानकार, शासन के नागरिक अभिकारकों पर तुलनात्मक रूप से बेहतर निगरानी रख सकता है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में सहायक हो सकता है। सरकार के क्रियाकलापों के बारे में नागरिक को जानकार बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का बनना एक बड़ा कदम है।

सूचना क्या है

5. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री ''सूचना'' है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित दस्तावेज, अभिलेख, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, माडल, आंकड़ों से संबंधित सामग्री शामिल होती है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल होती है, जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय के लिए लागू किसी कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है।

लोक प्राधिकरण क्या है

6. ''लोक प्राधिकरण'' का आशय ऐसे प्राधिकरण या निकाय या संस्था या स्व-शासन से है, जो संविधान द्वारा, अथवा उसके अधीन, अथवा संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि द्वारा अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा स्थापित या गठित की गई हो। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाले और इनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आते हैं। केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है। विभिन्न न्यायालय/सूचना आयुक्त प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करते हुए, मामले-दर-मामले आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय कर रहे हैं।

लोक सूचना अधिकारी

7. लोक प्राधिकरणों ने अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित किया है। ये अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

सहायक लोक सूचना अधिकारी

8. ये उप मण्डल स्तर के वे अधिकारी होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी आवेदन अथवा अपील दे सकता है। ये अधिकारी, आवेदन अथवा अपील/लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी अथवा संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को भेज देते हैं, कोई सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होती है।

9. विभिन्न डाकखानों में डाक विभाग द्वारा नियुक्त किए गए सहायक लोक सूचना अधिकारी, भारत सरकार के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहें हैं।

अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार

10. किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षणः दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना भी अपेक्षित नहीं है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना और/अथवा अनुमान लगाना, अथवा सूचना की व्याख्या करना, या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना, या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।

11. नागरिकों को डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी उपकरण में पहले से सुरक्षित है।

12. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिस रूप में वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनापेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डों के परिरक्षण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

13. कुछ मामलों में आवेदक लोक सूचना अधिकारी से स्वयं द्वारा तैयार किए गए किसी विशिष्ट प्रपत्र में इस तर्क के आधार पर सूचना प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं कि उन्हें उसी रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें वे चाहें। यह नोट करने की आवश्यकता है कि अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधान का अभिप्राय यह है कि यदि सूचना फोटोप्रति के रूप में मांगी जाए तो यह फोटोप्रति के रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और यदि यह लॉपी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति के रूप में मांगी जाए, तो इसे उस के रूप में दिया जाएगा जो अधिनियम

में दी गई शर्तों के अधीन होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचनाओं का नया रूप देगा।

14. कुछ व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह दस्तावेजों में खोज कर उन्हें सूचना दे। किसी भी नागरिक को लोक अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है, जो सम्बद्ध लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह निकाले गए निष्कर्ष आवेदक को दे। अभिप्राय यह है कि लोक सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए, जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध के परिणाम नागरिक को बताएगा।

अन्य अधिनियमों की तुलना में सूचना का अधिकार

15. सूचना का अधिकार अधिनियम का, अन्य कानूनों की तुलना में अभिभावी प्रभाव है। इसका अर्थ यह है कि यदि शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्समय के लिए किसी अन्य कानून में यदि ऐसे प्रावधान है जो सूचना का अधिकार अथिनियम के प्रावधानों से असंगत हैं तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

संगठनों आदि को सूचना की आपूर्ति

16. अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा अपने नाम का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दे दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है।

सूचना मांगने से संबंधित शुल्क

17. किसी लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने के इच्छुक नागरिक से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना मांगने का निर्धारित शुल्क 10/-(दस रूपए) लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को डिमांड ड्राट पत्र अथवा बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजे। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद रूप में भी किया जा सकता है। उसके लिए आवेदनकर्ता को उपयुक्त रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा मास्टर/वीजा/डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भी किया जा सकता है।

18. सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 में निर्धारित किए अनुसार अतिरिक्त शुल्क दिया जाना आवश्यक है। यदि अतिरिक्त शुल्क मांगा जाता है, तो लोक सूचना अधिकारी उसकी सूचना आवेदनकर्ता को देगा। नियमावली के अनुसार निर्धारित शुल्क की दरें निम्नानुसार हैः-

(क) प्रत्येक पेज (ए-3 अथवा अधिक छोटे आकार में) कागज के लिए दो रूपए (2/-रूपए)

(ख) बड़े आकार के कागज में फोटो कापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत

(घ) डिस्केट अथवा लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिए पचास रूप (50/-रूपए) प्रति डिस्केट अथवा लॉपी

(ङ) ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटाकॉपी के लिए दो रूपए प्रति पृष्ठ।

(च) सूचनाओं की पूर्ति पर खर्च हुआ डाक प्रभार जो पचास रूपए से अधिक न हो।

19. किसी नागरिक को लोक प्राधिकरण के रिकार्ड जांच करने का अधिकार है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए लोक प्राधिकरण पहले घण्टे के लिए शुल्क नहीं लेगा, किन्तु उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए पांच रूपए का शुल्क (5/-रूपए) लेगा।

20. गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ता को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ यदि निर्धारित 10/- रूपए के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, नहीं होगा तो आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे आवेदनों के प्रत्युत्तर में सूचना देने पर लोक प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

आवेदन हेतु प्रपत्र

21. सूचना मांगने हेतु आवेदन के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। आवेदक उस पते का उल्लेख करे जिस पर सूचना भेजी जानी अपेक्षित है।

22. आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

23. अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तथापि, धारा 8 की उप धारा (2) के अनुसार यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो, तो उप धारा (1) के अंतर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अंतर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

24. जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी से संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट समाप्त हो जाएगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिए प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा –

i. जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा कोई अपराध भड़कता हो,

ii. जिसके प्रकटन के संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार का अवहेलना होती हो, अथवा

iii. अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद्,सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकार्ड सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज।

रिकार्ड अवधारणा अनुसूची तथा अधिनियम

25. अधिनियम लोक प्राधिकरणों से असीमित अवधि तक रिकार्ड अवधारित करने की अपेक्षा नहीं करता है। लोक प्राधिकरणों को लागू रिकार्ड अवधारण अनुसूची के अनुसार ही अपने रिकार्ड को अवधारित करना चाहिए।

आवेदक को उपलब्ध सहायता

26. यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप से अनुरोध करने में असमर्थ है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में आवेदन तैयार करने में युक्तियुक्त सहायता करे। यदि किसी दस्तावेज को, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उपलब्ध कराना अपेक्षित है, तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय-अवधि

27. सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना लोक प्राधिकरण में आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्रय से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित है। इस सबंध में विस्तृत जानकारी ''लोक सूचना अधिकारियों के लिए'' अध्याय iv में दी गई है।

अपील

28. यदि किसी आवेदक को 30 दिन अथवा 48 घंटे की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जो लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी होता है, के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय-सीमा के समाप्त होने अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्त होने की तारीख से

30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकती है। लोक प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष मामलों में 45 दिन के भीतर कर देगा।

29. यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश करने में असफल रहता है अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने अथवा अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में निर्णय की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।

शिकायतें

30. यदि कोई व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न किए जाने के कारण आवेदन करने में असमर्थ रहता है, अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी उसके आवेदन अथवा अपील को सम्बद्ध लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार करता है, अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना पाने के उसके अनुरोध को ठुकरा दिया जाता है, अथवा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसके सूचना प्राप्त करने के अनुरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, अथवा उससे शुल्क के रूप में एक ऐसी राशि अदा करने की अपेक्षा की गई है, जिसे वह औचित्यपूर्ण नहीं मानता है, अथवा उसका विश्वास है कि उसे अधूरी, गुमराह करने वाली व झूठी सूचना दी गई है, तो वह सूचना आयुक्त के समक्ष शिकायत कर सकता है।

तृतीय पक्ष से संबद्ध सूचना

31. अधिनियम के संदर्भ में तीसरे पक्ष से तात्पर्य आवेदक से भिन्न सूचना के लिए अनुरोध करने वाले अन्य व्यक्ति से है। ऐसे लोक प्राधिकरण भी तृतीय पक्ष की परिभाषा में शामिल होंगे, जिनसे सूचना नहीं मांगी गई है।

तृतीय पक्ष से संबंद्ध सूचना का प्रकटन

32. वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यवसायिक रहस्यों और बौद्धिक सम्पदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुंचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है। ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो जाए कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोक हित में होगा।

33. तृतीय पक्ष से संबंधित ऐसी सूचना, जिसे तृतीय पक्ष गोपनीय मानता है, के संबंध में लोक सूचना अधिकारी को निर्णय "लोक सूचना अधिकारियों हेतु" अध्याय IV में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए करना चाहिए यदि तृतीय पक्ष सूचना का प्रकटन नहीं चाहता है, तो उसे प्रकटन न करने हेतु अपना मत रखने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

आरटीआई ऑनलाइन

34. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए URL www.persmin.nic.in के साथ आरटीआई ऑनलाइन नामक एक वेब पार्टल आरंभ किया है। भारतीय नागरिकों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में सूचना का अधिकार आवेदन एवं प्रथम अपील दायर करने के लिए यह भी एक सुविधा है। निर्धारित आरटीआई शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। संबंधित पीआईओ/एफएए द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों का जवाब भी ऑनलाइन दिया जा सकता है।

(छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार हुए पोर्टल (rtionline.cg.gov.in) के माध्यम से)

कार्यालय ज्ञापन का संकलन एवं आरटीआई से संबंधित अधिसूचनाएं

35. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विषय आधारित सर्च सुविधा के साथ सूचना का अधिकार, 2005 पर अपने कार्यालय ज्ञापन एवं अधिसूचनाओं का ऑनलाइन संकलन आरंभ किया है। यह संकलन, विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर उपलब्ध है और यह सभी पणधारियों के लिए लाभदायक है।

(rtionline.cg.gov.in)

भाग - II

लोक प्राधिकरणों के लिए

लोक प्राधिकरण ऐसी सूचनाओं के भंडार होते हैं, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। नागरिकों की सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से अधिनियम में लोक प्राधिकरणों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित किए गए है।

रिकार्डों का रख-रखाव और कंप्यूटरीकरण

2. अधिनियम के प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन के लिए रिकार्डों का समुचित प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः लोक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेखों का समुचित रख- रखाव करना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी रिकार्ड विधिवत् तालिकाबद्ध और सूचीबद्ध हो, ताकि सूचना का अधिकार को सुकर बनाया जा सके।

स्वतः प्रकटन

3. प्रत्येक लोक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक सूचना मुहैया कराए ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट सम्प्रेशण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। सूचनाएं वेबसाइट पर पोस्ट की जा सकती है।

4. अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार सभी लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे सूचना की निम्नलिखित 16 श्रेणियों को विशेष रूप से प्रकाशित करें :

i. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,

ii. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,

iii. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

iv. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापदंड,

v. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

vi. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं,

vii. ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,

viii. बोर्ड, परिषद्रों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिशद्रों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं,

ix. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका,

x. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक ,

xi. सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों से संबंधित रिपोर्ट सामग्री को दर्षाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,

xii. आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा,

xiii. अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण,

xiv. अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना के संबंध में ब्योरा,

xv. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे जिनमें जनसाधरण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के कार्य समय ब्योरे भी सम्मिलित हों,

xvi. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद्नाम और अन्य ब्यौरे।

5. ऊपर वर्णित सूचना की श्रेणी के अतिरिक्त, सरकार ने यह दिषानिर्देष जारी किए हैं कि लोक प्राधिकरणों

द्वारा निम्नलिखित श्रेणी की सूचनाओं को भी प्रकाशित किया जाए,

1. खरीद से संबंधित सूचना
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी
3. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
4. सूचना का अधिकार आवेदन
5. सीएजी एवं पीएसी पैरा
6. नागरिक घोषणापत्र
7. विवेकाधीन और विवेकाधिकार के बिना अनुदान
8. प्रधान मंत्री/मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे

6. किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा प्रकाशन के लिए सरकार, सूचना की उक्त सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर संदर्भित सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक सांविधिक आवश्यकता है, जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए जरूरी है।

7. अतिसक्रिय प्रकटन स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके और यदि इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। जैसा के धारा 4 में व्यवस्था है, प्रकटन यथाव्यवहार्य अनेक माध्यमों जैसे नोटिस बोर्ड, समाचार, सार्वजनिक घोषणाएं, मीडिया ब्राडकास्ट, इंटरनेट अथवा अन्य किसी माध्यम से किया जाना चाहिए। इन प्रकटनों को अद्यतित रखा जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 से 11 तक के प्रावधानों में रखते हुए सूचना का प्रकटन किया जाना चाहिए।

8. प्रत्येक लोक प्राधिकरण को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वेबसाइट पर किए गए अतिसक्रिय प्रकटन पूर्ण , आसानी से प्राप्त किए जाने वाले तकनीकी एवं पटल निष्पक्ष हैं और ऐसे रूप में है जो प्रभावी एवं प्रयोक्तानुकूल तरीके से वांछित सूचना प्रदान करते हैं।

9. प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/लोक प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष अपने अतिसक्रिय प्रकटन पैकेज की लेखापरीक्षा तृतीय पक्ष से करवानी चाहिए। इस लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर इसकी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग को दी जानी चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को अतिसक्रिय रूप से इस तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक के नाम को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करना चाहिए। बाहरी परामर्शदाताओं से तृतीय पक्ष की लेखापरीक्षा करवाने के लिए भी मंत्रालयों/लोक प्राधिकरणों को अपनी योजना/योजनेतर निधियों का उपयोग करना चाहिए।

10. अतिसक्रिय प्रकटन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/ लोक प्राधिकरण को संयुक्त सचिव स्तर के एवं संबद्ध कार्यलयों के मामले में अपर विभागाध्यक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारी

को नियुक्त करना चाहिए।

लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों आदि का पदनाम

11. प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक एककों तथा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी नामोदि्दष्ट करने होते है। प्रत्येक लोक प्रायिकरण से उपमंडल स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामोदि्दष्ट करना भी अपेक्षित है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डाक विभाग दि्वारा नियुक्त किए गए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) भारत सरकार के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना प्राधिकरी के रूप में कार्य करेंगे।

अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम

12. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (8) में यह प्रावधान है कि यदि सूचना का अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरी का विवरण भी भेजेगा। इस प्रकार, जब सूचना हेतु अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के बारे में विवरण भेजा जाता है। लेकिन यह भी संभव है कि लोक सूचना अधिकारी को अस्वीकृत न करें किंतु आवेदक को अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त न हो पाए अथवा वह लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो। ऐसे में, आवेदक अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करना चाहेगा। लेकिन अपीलीय प्राधिकारी के विवरण के अभाव में आवेदक को अपील करने में कठिनाई अपीलीय का सामना करना पड़ सकता है। अतः सभी लोक प्राधिकरणों से अपेक्षा है कि वे प्रथम अपीलीय प्रधिकारी नामोदि्दष्ट करें और उनका विवरण लोक सूचना अधिकारियों के विवरणें के साथ-साथ प्रकाशित करें।

शुल्क की प्राप्ति

13. सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 के अनुसार, कोई भी आवेदक देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकारी अथवा सीएपीआईओ को नगद रूप में अथवा लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को डिमांड ड्राट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश दि्वारा का सकता है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग अथवा मास्टर/वीजा डेबिट/कार्ड दि्वारा ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना न किया जाए अथवा आवेदनकर्ता को लेखा अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम पर भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) इत्यादि आहरित करने के लिए विवश न किया जाए। यदि किसी लोक प्राधिकरण में कोई लेखा अधिकारी न हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत शुल्क प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी को लेखा अधिकारी नामोदि्दष्ट चाहिए।

सूचना आयोग के आदेशों का अनुपालन

14. आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं। लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोग द्वारा पारित आदेश कार्यान्वित हों। यदि लोक प्राधिकरण अथवा लोक सूचना अधिकारी के मतानुसार आयोग का कोई आदेश अधिनियम के प्रावधानों क अनुरूप न हो तो वह आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है।

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का सृजन

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप धारा (1) यह अधिदेश करती है कि इसके अंतर्गत सूचना मुहैया कराने के लिए सभी लोक प्राधिकरणों को यथाआवष्यक संख्या में लोक सूचना अधिकारियों को नामोद्दिष्ट करना चाहिए। यदि किसी लोक प्राधिकरण में एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नामोद्दिष्ट हों, तो वहां आवेदक को उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। आवेदकों को लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ उस अधिकारी की पहचान करने में भी समस्या आ सकती है, जिसके पास अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसलिए एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी वाले सभी लोक प्राधिकरणों का चाहिए कि वे संगठन के अंदर एक ऐसे सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का सृजन करें, जहां सूचना के लिए सभी आवेदन और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को संबंधित अपीलें प्राप्त की जा सकें, एवं उन्हें संबंधित पीआईओ/ एफएए को भेजा जा सके। सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना, इसके कार्य और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित करने में वित्तीय सहायता से संबंधित ब्यौरे, विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

आवेदनों का हस्तांतरण

16. अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी किसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, अथवा जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यों से अधिक सम्बद्ध है तो आवेदन प्राप्त करने वाला लोक प्राधिकरण आवेदन अथवा उसके संगत भाग को आवेदन की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा। लोक प्राधिकरणों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के इस प्रावधान के बारे में संवेदनशील बनाएं, ताकि ऐसा न हो कि देरी के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को ही जिम्मेवार ठहरा दिया जाए।

17. यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं, तो लोक सूचना

अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं हैं और साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। तथापि यदि लोक सूचना अधिकारी के पास उन लोक प्राधिकरणों का ब्यौरा हो जिनके पास आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना हो, तो ऐसे ब्योरे भी आवेदक को प्रदान किय जाएं।

18. यदि कोई व्यक्ति किसी केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है, तो किसी राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के प्रशासन के लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि सूचना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त की जाए। ऐसी स्थिति में, आवेदन को राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

19. सूचना आयोगों से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग से अपेक्षित है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोक प्राधिकरणों से रिपोर्ट तैयार करने हेतु सूचना एकत्र करें और उसे सम्बद्ध वर्ष के संबंध सूचना आयोग को मुहैया कराए। आयोग की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्बद्ध वर्ष के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं समाविष्ट होती हैं:

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या,

(ख) ऐसे निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोध किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के प्रावधान जिनके अधीन ये निर्णय किए गए और उन अवसरों की संख्या, जहां ऐसे प्रावधानों का प्रयोग किया गया,

(ग) अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के ब्यौरे,

(घ) अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा प्रभारों की राशि, और

(ड.) ऐसे तथ्य जो अधिनियम के भाव और अभिप्राय को प्रशासित और कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी प्रयास को दर्शाएं।

20. प्रत्येक लोक प्राधिकरण को वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आवश्यक सामग्री अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेज देनी चाहिए ताकि मंत्रालय/विभाग उसे सूचना आयोग को भेज सके और आयोग इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकें। इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट नामतः www.cic.gov.in पर एक वेब आधारित साटवेयर नामतः "सूचना का अधिकार वार्षिक रिपोर्ट सूचना प्रणली" उपलब्ध है। जिसके माध्यम से लोक प्राधिकरणों को अपेक्षित रिपोर्ट तिमाही आधार पर अपलोड करना अपेक्षित हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोक प्राधिकरण स्वयं को केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ पंजीकृत करें

और साथ ही अपनी तिमाही विवरणी समय-पर और नियमित रूप से अनलोड करें।

(छ.ग. राज्य सूचना आयोग की वेबसाईट siccg.gov.in के Annual Report को क्लिक करने पर वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध होगी।)

21. यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है किसी लोक प्राधिकरण की कोई प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों अथवा अभिप्राय के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण से ऐसे कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है जिससे प्रक्रिया अधिनियम के अनूरूप हो जाए। लोक प्राधिकरण को चाहिए कि वह अपनी अभिक्रिया को अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

भाग - III

सूचना मांगने वालों के लिए

सूचना मांगने का तरीका

यदि कोई नागरिक अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसे संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिन्दी या आवेदन किए जाने वाले क्षेत्र की राजभाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन संक्षिप्त और विषय से संबंधित होना चाहिए। आवेदन प्रस्तुत करते समय उसे सूचना का अधिकार नियम,2012 में यथानिर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। आवेदनकर्ता, आवेदन को डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनो के माध्यम से भेज सकता है या लोक प्राधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दे सकता है। आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

सबंधित लोक प्राधिकरण को आवेदन

2. आवेदनकर्ता को आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को भेजना चाहिए। सूचना से संबंधित लोक प्राधिकरण अभिनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। यदि आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना किसी लोक प्राधिकरण में किसी लोक सूचना अधिकारी से संबंधित न होकर उस लोक प्राधिकरण के विभिन्न लोक सूचना अधिकारी से संबंधित मांगी गई सूचना प्रदान करने की तुलना में उसको सूचना प्रदान करने में अधिक समय लगेगा।

3. आवेदनकर्ता को सूचना का अधिकार आवेदन में अपनी शिकायतें नहीं लिखनी चाहिए बल्कि उसे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि वह कौन सी सूचना अथवा रिकॉर्ड चाहता है। इसके अलावा, यदि आवेदन इस प्रकार लिखा गया हो कि उसमें मांगी गई सूचना से संबधित अपेक्षित विशिष्ट दस्तावेजों का स्पष्ट उल्लेख हो, तो अस्पष्टता की गुंजाईश कम होगी और फलस्वरूप, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने इनकार करने की संभावना भी कम होगी। उदाहरणार्थ, मेरे इलाके में सफाई क्यों नहीं हो रही है, यह प्रश्न पूछने के बजाए इलाके की सफाई की समय सारणी के संबंध में पूछा जाना चाहिए। इसी प्रकार, हमें पानी कब मिलेगा यह पूछने के बजाए इलाके की जल आपूर्ति की योजना के बारे में पूछा जाना चाहिए।

सूचना मांगने के लिए शुल्क

4. आवेदनकर्ता को, लोक सूचना अधिकरी को आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भेजना चाहिए भारत सरकार के मामले में निर्धारित आवेदन शुल्क 10/-रूपये है, जिसका भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी से उचित रसीद प्राप्त करके नकद रूप में भी किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग अथवा मास्टर/वीजा क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से भी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

5. आवेदनकर्ता को सूचना देने की लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसका ब्यौरा लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को देगा। इस प्रकार मांगे गए शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के भुगतान के तरीके जैसा ही है।

6. यदि आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी का है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत प्रस्तुत करना होगा। आवेदन जिसके साथ निर्धारित शुल्क या आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा से नीचे होने का सबूत, जैसी भी स्थिति हो, नहीं होंगे तो अधिनियम के अंतर्गत वह आवेदन वैध नहीं होगा।

आवेदन का फार्मेट

7. सूचना मांगने के लिए को निर्धारित फार्मेट नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। आवेदक को उस पते का उल्लेख करना चाहिए जहां सूचना भेजी जानी है। सूचना मांगने वाले को सूचना मांगने हेतु कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

8. यदि आवेदक को 30 दिन या 48 घण्टे की निर्धारित सीमा, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर सूचना प्रदान नहीं की जाती है या दी गई सूचना से वह संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील, उस तारीख से 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस तारीख को सूचना देने की 30 दिन की सीमा समाप्त हो रही है या उस तारीख से जिस तारीख को लोक सूचना अधिकारी से सूचना या निर्णय प्राप्त होता है। लोक प्राधिकरण का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटान अपील प्राप्त होने से 30 दिनों अथवा अपवादिक मामलों में 45 दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

9. यदि प्रथम अपीलीए प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील का निपटान नहीं कर पाता है या अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह अपीलीय प्राधिकारी, निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को अपीलकर्ता को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ, से 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है।

10. केन्द्रीय सूचना आयोग को की गई अपील में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होनी चाहिए :-

(i) अपील कर्ता का नाम और पता;

(ii) उस लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसे आवेदन भेजा गया था;

(iii) उस लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसने आवेदन का उत्तर दिया;

(iv) उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता, जिसे प्रथम अपील का निर्णय लिया;

(v) आवेदन का ब्यौरा;

(vi) उस आदेश की संख्या एवं विवरण, यदि कोई हो, जिसके खिलाफ अपील की गई है;

(vii) अपील के कारणों की संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी;

(viii) प्रार्थना या मांगी गई राहत;

(ix) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;

(x) अपील के लिए संगत कोई अन्य संगत सूचना;

(xi) अपील कर्ता द्वारा सत्यापन/प्रमाणीकरण।

11. केन्द्रीय सूचना आयोग को की गई अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए, जो अपीलकर्ता द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित एवं सत्यापित हो, नामतः

(i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत की गई आवेदन की एक प्रति;

(ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकरी को की गई अपील की एक प्रति;

(iv) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त आदेश, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(v) उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन्हें अपीलकर्ता ने आधार बनाया है तथा अपील में उनका संदर्भ दिया है; और

(vi) अपील में संदर्भित दस्तावेजों की सूची;

शिकायतें दायर करना

12. यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है; या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या उसकी अपील को लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अग्रसारित करने के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया है; या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया है या अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना के लिए अनुरोध का उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया है या उससे इतनी धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा की गई हो

जिसे वह तर्कसंगत नहीं समझता है; या उसे विश्वास है कि उसे अधूरा, भ्रामक या गलत सूचना दी गई है तो वह सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है।

भाग - IV

लोक सूचना अधिकारियों के लिए

किसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी नागरिकों के सूचना के अधिकार को मूर्त रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम में उनके लिए विशिष्ट कर्त्तव्य निर्धारित किए है तथा गलती करने पर उन्हें शास्ति के लिए उत्तरदायी बनाया है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके प्रावधानों को सही ढंग से समझे। लोक सूचना अधिकारी को आवेदनों का निपटान करते समय इस दस्तावेज में, अन्यत्र उठाए गए मुद्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को भी दृष्टि में रखना चाहिए।

बिना शुल्क के प्राप्त आवेदन

2. आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदक ने आवेदन शुल्क जमा किया है या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित व्यक्ति है। यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया है तो इसे सूचना का अधिनियम के अंतर्गत आवेदन नहीं माना जा सकता। तथापि, लोक सूचना अधिकारी को ऐसे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा ऐसे आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

3. कोई लोक प्राधिकरण जितने लोक सूचना अधिकारी आवश्यक समझे उतनी संख्या में लोक सूचना अधिकारी नामित कर सकता है। यह संभव है कि किसी लोक प्राधिकरण में एक से अधिक संख्या में लोक सूचना अधिकारी हों, कोई आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी के बजाय किसी अन्य सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाए। ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्त करने वाले लोक सूचना अधिकारी को इसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को यथाशीघ्र, अधिमानतः उसी दिन हस्तांरित कर देना चाहिए। हस्तांतरण के लिए पांच दिन की अवधि केवल तभी लागू होती है जब आवेदन एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण से को हस्तांतरित किया जाता है न कि तब जब हस्तांतरण एक ही प्राधिकरण के एक सूचना अधिकारी से दूसरे लोक सूचना अधिकारी को हो।

आवेदकों को सहायता प्रदान करना

4. सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा जिस क्षेत्र में आवेदन किया जाना है, उस क्षेत्र की राजभाषा में लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना निवेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप से निवेदन देने में असमर्थ है, तो लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे व्यक्ति को लिखित

रूप में आवेदन तैयार करने में युक्तियुक्त सहायता करे।

5. यदि किसी दस्तावेज को, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यदि दस्तावेज की जांच करनी हो तो उस व्यक्ति को ऐसी जांच के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध सहायता

6. लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से ऐसी सहायता मांग सकता है, जिसे वह अपने कर्तव्य के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हो/समझती हो। अधिकारी, जिससे सहायता मांगी जाती है, लोक सूचना अधिकारी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। ऐसे अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा और वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जिस प्रकार कोई अन्य लोक सूचना अधिकारी होता है। लोक सूचना अधिकारी के लिए यह उचित होगा कि जब वह किसी अधिकारी से सहायता मांगे तो उस अधिकारी को उपर्युक्त प्रावधान से अवगत करा दे।

7. उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर कुछ लोक सूचना अधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उन्हें यह निर्देश दे देते हैं कि वे मान्यता प्राप्त लोक सूचना अधिकारी के रूप में आवेदनकर्ता को सूना भेज दें। इस प्रकार, इस प्रावधान का उपयोग वे अन्य अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। अधिनिमय के अनुसार, आवेदनकर्ता को सूचना प्रदान करने अथवा अधिनियम की धारा 8 और 9 में निर्धारित किन्हीं कारणों से आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने की जिम्मेदारी लोक प्राधिकरण द्वारा नामोद्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी की है। अधिनिमय ने लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना प्रदान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह अधिरकार दिया है कि किसी अन्य अधिकारी से सहायता प्राप्त कर लें। किन्तु यह उसे किसी अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करने या उसे आवेदक को उत्तर भेजने के लिए निर्देश देने का अधिकार नहीं देता। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि वह अधिकारी जिससे सहायता मांगी गई है लोक सूचना अधिकारी को आवश्यक सहायता नहीं देता है तो सूचना आयोग उस अधिकारी पर शस्ति अधिरोपण अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा उसी तर्ज पर कर सकता है जैसा कि वह लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कर सकता है।

सूचना की आपूर्ति

8. उत्तर देने वाले लोक सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि मांगी गई सूचना उसका अथवा उसको कोई भाग अधिनिमय की धारा 8 अथवा 9 के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त तो नहीं है। आवेदन से छूट के अन्तर्गत आने वाले भाग से संबंध में किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाए तथा शेश सूचना तत्काल अथवा अतिरिक्त शुक्ल लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, मुहैया करवा दी जाए।

9. जब सूचना के लिए अनुरोध को नामंजूर किया जाए तो लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देना चाहिए :-

(1) अस्वीकृति के कारण;

(2) अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरूद्ध अपील दायर की जा सके; और

(3) उस अधिकारी का ब्यौरा जिससे अपील की जा सकती है।

10. यदि शुल्क तथा लागत नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित हो, तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को निम्न सूचना देगा :-

(1) भुगतान करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क का विवरण;

(2) मांगी गई शुल्क की राशि निर्धारित करने हेतु की गई गणना;

(3) यह तथ्य कि आवेदक को इस प्रकार मांगे गए शुल्क के बारे में अपील करने का अधिकार है;

(4) उस प्राधिकारी का विवरण जिससे अपील की जा स कती है; और

(5) समय-सीमा जिसके भीतर अपील की जा सकती है।

11. यदपि अतिरिक्त शुल्क के बारे में आवेदक को कब सूचना देनी है। इस संबंध में कोई पक्का नियम नहीं है फिर भी, ऐसी सूचना आरटीआई आवेदन के प्राप्त होने के तुरन्त बाद देना चाहिए।

पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की पूर्ति

12. यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है तो छूट के अंतर्गत नहीं आता है और इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किए गए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए, तो जानकारी के ऐसे पृथक किए हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहाँ रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति दी जाए तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करनाा चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय, उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री, जिस पर निश्कर्श आधारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि

13. निम्न तालिका में विभिन्न परिस्थितियों में आवेदनों के निपटान के लिए अधिकतम समय-सीमा (आवेदन प्राप्त करने के समय से) को दर्शाया गया है :-

क्र.सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-सीमा
1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
2.	यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति	क्रम संख्या 1 पर दर्शायी गई समय अवधि में 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे।
3.	यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति।	48 घण्टे
4.	अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को आवेदन का हस्तांतरण।	05 दिन
5.	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से हस्तांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की पूर्ति क. सामान्य स्थिति में ख. यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो।	क. संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन भीतर। ख. संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर।
6.	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदन को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया हो।	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा।
7.	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति क. यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद)। ख. यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो।	क. आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर। ख. आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर।

14. यदि लोक सूचना अधिकारी, जानकारी के लिए अनुरोध करने पर निर्धारित समय में निर्णय देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह बताना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई लोक प्राधिकरण सूचना देने की समय सीमा का पालन नहीं कर पाता है तो संबंधित आवेदक को सूचना, बिना शुल्क मुहैया करवानी होगी।

तृतीय पक्ष की सूचना का प्रकटन

15. वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों अथवा बौद्धिक सम्पदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुंचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है। ऐसी सूचना का तब तक प्रकटन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोकहित में वांछित है।

16. यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तृतीय पक्ष से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तृतीय पक्ष से ऐसी सूचना को गोपनीय माना है, तो लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह

है कि यदि प्रकटन से तृतीय पक्ष को संभावित हानि की अपेक्षा बृहत्तर लोकहित साधता हो तो प्रकटन की स्वीऔति दे दी जाए बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित न हो। तथापि, ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले लोक सूचना अधिकारी द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया होगा।

17. यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्त करने की तारीख के 5 दिन के भीतर, तृतीय पक्ष को लिखित सूचना देनी होगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन द्वारा उससे संबंधित सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना को प्रकट करन चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को कोई प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिए नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

18. लोक सूचना अधिकारी को चाहिए वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय ले। ऐसा निर्णय सूचना का अनुरोध प्राप्त होने से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने के पश्चात, लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय के संबंध में नोटिस देना चाहिए। तृतीय पक्ष को नोटिस देते समय यह भी बताया जाना चाहिए कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का अधिकार है।

19. तृतीय पक्ष, लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के प्राप्त होने से तीस दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह सूचना आयोग के समक्ष वित्तीय अपील कर सकता है।

20. यदि तृतीय पक्ष द्वारा लोक सूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

शास्ति का अधिरोपण

21. अधिनियम आवेदक को सूचना आयुक्त के समक्ष अपील करने और आयोग के समक्ष शिकायत करने का अधिकार देता है। यदि किसी शिकायत अथवा अपील का निपटान करते समय सूचना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिए आवेदन को प्राप्त करने से मना किया है अथवा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना नहीं दी है अथवा सूचना के अनुरोध को दुर्भावनापूर्वक अस्वीकार किया है अथवा जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी है अथवा संबंधित सूचना को नष्ट किया है अथवा सूचना प्रदान करने की कार्यवाही में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न की है, तो वह आवेदन प्राप्ति अथवा सूचना दिए जाने तक इस शर्त के अधीन कि ऐसी जुर्माना राशि 25000/- रूपए से अधिक नहीं होगी, दो सौ पचास रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति लगा देगा। तथापि, लोक सूचना अधिकारी पर कोई जुर्माना लगाए

जाने से पहले उसे अपनी बात का उचित अवसर दिया जाएगा। इस बात को साबित करने का भार लोक सूचना अधिकारी पर ही होगा कि उसने सोच-विचार कर उद्यम से कार्य किया है और अनुरोध को ठुकराए जाने की स्थिति ठुकराया जाना न्यायसंगत था।

लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासित कार्यवाही

22. यदि किसी शिकायत अथवा अपील पर निर्णय देते समय सूचना आयोग का यह मत होता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिन किसी उचित कारण के और लगातार सूचना हेतु किसी आवेदन को प्राप्त करने में कोताही बरती; अथवा निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी; अथवा दुर्भावानापूर्वक सूचना हेतु अनुरोध स्वीकार किया; अथवा जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी; अथवा अनुरोध के विशय से संबंधित सूचना को नश्ट किया; अथवा सूचना देने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न की तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशानिक कार्यवाही की अनुषंसा कर सकता है।

नेकनीयती में किए गए कार्य की संरक्षा

23. अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान है कि अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम के अधीन नेकनीयती से किए गए कार्य अथवा ऐसी कार्य करने के इरादे की बजह से, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि, लोक सूचना अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि यह साबित करना कि उसके द्वारा किया गया कार्य नेकनीयती में किया गया था, उसका उत्तरदायित्व होगा।

भाग - V

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपील की स्वतंत्र और विवेकसम्मत जांच-पड़ताल की जाने से अपील कर्त्ताओं की संतुष्टि में बढ़ोतरी होगी। इससे सूचना आयोग को की जाने वाली वितीय अपीलों की संख्या में कमी आएगी।

2. एक आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना या तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसको दी जानी चाहिए अथवा उसके आवेदन को अधिनियम द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर रद्द कर देना चाहिए। यदि आवेदक से अतिरिक्त शुल्क लेने की आवश्यकता हो तो उसे इस संबंध में सूचना निर्धारित समय के भीतर भेज देनी चाहिए।

प्रथम अपील

3. यदि आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना अथवा अनुरोध के अस्वीकार किए जाने के निर्णय अथवा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

कर सकता है। यदि आवेदक सूचना देने के संबंध में अथवा शुल्क की मात्रा में संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित हो तो भी वह अपील कर सकता है। आवेदक, ऐसी अवधि के समाप्त होने अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

4. प्रथम अपीलय प्राधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुश्ट है कि आवेदक को समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

5. तीसरे पक्ष की सूचना प्रकट किए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील, आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

अपील का निपटान

6. प्रथम अपीलों का निपटान करते समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उचित तथा विवेकसम्मत ढंग से कार्य करे। यह महत्वपूर्ण है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, विस्तृत तथा सकारण होने चाहिए तथा इनमें, लिए गए निर्णयों का औचित्य बताया जाना चाहिए।

7. यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील के संबंध में निर्णय करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधकारी को अपीलकर्ता को ऐसी सूचना देने के लिए निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकता है या (ii) अपीलकर्ता को वह स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि, बेहतर यह होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसर रास्ता अपनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।

8. यदि किसी मामले में लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित कारवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। ऐसे समक्ष अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।

अपील के निपटान के लिए समय-सीमा

9. प्रथम अपीलय प्राधिकारी को अपील का निपटान, अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। कुछ अपवादिक मामलों में अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक समय लगता है, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

भाग-9

इंटरनेट पर स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण ।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005 एवं दिनांक 07.11.2005

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ;छप्ब्द्ध के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पणधारियों (Stakeholders) को स्व-सक्रिय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के रूप में प्राप्त हो सके।

2/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्रों में दिए गए निर्देशानुसार अधिनियम के तहत जानकारी का इंटरनेट स्व-सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को भेजना सुनिश्चित करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : 3140/जी-7121/2011/1- सूअप्र रायपुर दिनांक 18 नवम्बर 2011)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विषय :- भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही बाबत् - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत् स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का क्रियान्वयन बाबत्।

संदर्भ :- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लाक, 32 नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन - NO. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून, 2015

--00--

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन - NO. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून, 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है, कि भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत् स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु की गई अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करावें तथा पालन प्रतिवेदन से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (02 पृष्ठ)

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांक: एफ 1-1/2011/1-सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2015)

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Implementation of Suo Motu Disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005

--00–

Attention is invited to detailed guidelines on implementation of Suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 issued vide this department's O.M. No. 1/6/2011-IR dated 15.4.2013. Subsequently, a Committee of experts consisting of Shri A.N.Tiwari, Chief Information Commissioner (Retd) and Dr. M.M. Ansari, Information Commissioner (Retd) (of Central Information Commission) was constituted to recommend. Interalia, measures to further Strengthen implementation of Section 4 of the RTI Act, 2005 the Committee has, Interalia, made the following recommendations. Which have been duly accepted by the competent authority :-

1) All the details of the public authority may be uploaded on its website. Access to information should be made user-friendly for which appropriate information technology, infrastructure should be suitably designed developed and operationalised..

2) All the training modules for professional upgradation of employees should incorporate matter relating to the virtues of transparency and open government and RTI law.

3) In order to minimise the burden of servicing RTI applications. The public authorities with high public dealings should put in place an effective system to redress the grievances of affected persons. At the sub-organisational levels, there should be cooperation and coordination between the Central Public Informaion Officers and the officers responsible for addressing public grievances.

4) In order to reduce the number of RTI applications relating to service matters, the information relating to recruitment, promotion and transfers should be

brought into public domain promtly.

5) The retention and maintenance of specific documents for specified duration should be clearly spelt by each public authority in respect of its documents.

2. All the public authorities are requested to follow the above recommendations.

(No. 1/34/2013-IR Government of India, North Block, New Delhi-1, Dated: the 29th june, 2015)

भाग-10

अधिनियम, 2005 की तैयारी के संबंध में शासन के निर्देश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की तैयारी के संबंध में।

शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की तैयारी के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। कतिपय विभागों द्वारा विभागीय मैन्युअल की प्रतियाँ तैयार की गई हैं और उसे सी.डी.पर भी उपलब्ध कराया गया है। सी.डी. पर मैन्युअल उपलब्ध कराने का अभिप्राय यह है विभागों की जानकारी उसी रूप में एन.आई.सी. के माध्यम से राज्य की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे यह जानकारी इन्टरनेट के माध्यम से जनता को सीधे उपलब्ध हो सके।

विभागों द्वारा उपलब्ध सी.डी. में जानकारी Word तथा Excel में तैयार की गई है। इन्टरनेट पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समस्त जानकारी PDF फारमेंट में होना आवश्यक है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहे एवं विभाग द्वारा तैयार की गई जानकारी उसी रूप में इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जा सके। सी.डी. में पदकमग को PDF फारमेट में तथा प्रत्येक विषय पृथक-पृथक PDF फारमेट में तैयार करके पदकमग के PDF में लिंक किया जाए। इस संबंध में विस्तृत तकनीकी जानकारी एन.आई.सी. मंत्रालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्तानुसार सी.डी. पर जानकारी तैयार करने हेतु विभागों को निर्देश देने की कृपा करें, जिससे विभागों द्वारा तैयार मैन्युअल को उसी रूप में राज्य की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र. वि., क्रमांक एफ/7-6/05/1/6 रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2006)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(8)(क) के तहत् अभिलेखों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत्।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है, कि सूचना आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया है, कि कतिपय विभागों में अभिलेख उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य कारणों से जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(8)(क) में, लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा की गई है, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध शामिल है :-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है,

(ii) यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना,

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गो को प्रकाशित करना,

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिर्वतन करना,

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढाना,

(vi) धारा-4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वर्षीय रिपोर्ट उपलब्ध कराना,

2/- अतः अनुरोध है, कि कार्यालय में अभिलेखों का रख रखाव समुचित रूप से किया जाए, ताकि आवेदकों को जानकारी/सूचना प्रदाय करने में जनसूचना अधिकारी को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक 312/जी 62/2014/आरटीआई/1-सूअप्र, नया रायपुर दिनांक 11 फरवरी, 2014)

भाग-11

आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर कार्यवाही

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(3)(छः) के अंतर्गत छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों पर कार्यवाही बावत्।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावशील है तथा छ.ग. राज्य सूचना आयोग कार्यरत है। छ.ग. सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के अध्याय-छः के बिन्दु क्रमांक-6 में सुझाव दिया गया है कि - ''लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, पर्याप्त वरिष्ठता के होने चाहिए।

2/ सूचना आयोग के उक्त सुझाव के संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि - ''विभिन्न लोक प्राधिकारी (Public Authority) अर्थात् मंत्रालय के विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर आदि के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नाम निर्दिष्ट करते समय विषय की महत्ता को देखते हुए उचित वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए''।

3/ अतः उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : एफ 2-9/2008/1-सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 सितम्बर, 2010)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओ पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.01- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् पदनामित राज्य के लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को अभी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आयोग के ध्यान में यह बात आई है, कि अभी भी लोक प्राधिकरणों के अनेक जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अभाव में आवेदकों को जानकारी प्रदाय करने एवं प्रकरणों के विनिश्चय करने में कठिनाई आ रही है।

2/- अतः अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों में पदनामित जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नंबर की जानकारी संकलित कर कृपया एक सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाये।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओ पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.02- जिला स्तर पर कलेक्टरों के द्वारा विभिन्न विभागों की अनेक मीटिंग ली जाती है, तब जिला स्तर के विभागों की सामुहिक मीटिंग ली जावे, तब सूचना के अधिकार के संबंध में विभिन्न विभागों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय अपील प्रकरणों की स्थिति तथा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की जाये।

2/- अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए समस्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर समुचित कर्रवाई करने का कष्ट करें।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.04- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् पदनामित लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की पूर्ण सूची सूचना पटल पर प्रकाशित कराई जाये, ताकि जन सामान्य की सुविधा हेतु सुलभ हो सके।

2/- कंडिका-5.05- आपके विभाग/कार्यालय एवं अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा-4 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वमेव प्रकटन एवं विभागीय मेन्युअल अद्यतन किया जावे तथा उसकी सूचना इस विभाग को भी प्रतिवर्ष उपलब्ध करावें।

3/- अतः अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकारणों को आवश्यक निर्देश जारी कर कंडिका-4 का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा कंडिका-5 के संबंध में प्रतिवर्ष इस विभाग को प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.07- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है, कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारियों द्वारा अधूरी एवं भ्रामक जानकारी देने तथा जानकारी नहीं देने पर प्रस्तुत की जाने वाले प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में सुधार की आवश्यकता है।

2/- अतः अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् लोक प्राधिकरणों में पदनामित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों को सही एवं समुचित जानकारी प्रदाय की जाये जिससे कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है, कि अपील प्रकरणों की

सुनवाई करते समय स्पष्ट रूप से विनिश्चय कर स्पीकिंग आर्डर जारी करें, ताकि अपीलार्थी आपके निर्णय से पूर्णतः आश्वस्त हो सकें।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.08- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि रिकार्ड व्यवस्थित ढ़ंग से नहीं रखा जा रहा है। जिससे आवेदकों को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आयोग ने इस संबंध में अनुशंसा की है कि विभागों द्वारा रिकार्ड व्यवस्थित रखें तथा इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 दिनांक 17.10.2006 धारा पूर्व में निर्देश जारी किए गए है, संभवतः उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

2/- अतः अनुरोध है, कि आपके कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध रिकार्ड व्यवस्थित ढंग से रखा जाये ताकि आवेदक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज उन्हें आसनी से उपलब्ध कराया जा सके। दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने/विनिष्टिकरण किए जाने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3/- कंडिका-5.09- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख) के तहत् जानकारी वेबसाईट पर अपडेट नहीं की जा रही है। अतः आपके द्वारा जारी दिशा/निर्देश/अधिसूचना/नियमों की जानकारी वेबसाईट पर अपडेट करवायें जावे, ताकि आवेदकों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.10- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि माननीय आयोग के समक्ष प्राप्त अपील/शिकायत प्रकरणों में आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया जाता है। अतएव माननीय आयोग द्वारा पारित आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, जिन प्रकरणों में शास्ति संबंधित अधिकारी द्वारा शीघ्र जमा कराने की व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिए जात है। इस संबंध

में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 दिनांक 27.07.2006 में स्पष्ट निर्देश है, कि यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वार क्षतिपूर्ति की मांग, सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है, तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाएं तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्रवाई करें।

2/- अतः अनुरोध है, कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील/शिकायत प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन समय-सीमा में किया जाकर सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, रायपुर को भेजना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3/- कंडिका-5.11- आवेदकों द्वारा आयोग को यह भी जानकारी दी जाती है, कि आवेदन के साथ देय राशि नगद रूप में जमा करने के संबंध में आना-कानी की जाती है, जिससे आवेदकों को व्यर्स्थ में ही भटकना पड़ता है।

4/- कंडिका-5.11 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2005/1/6 दिनांक 11.10.2005 की कंडिका 3 एवं 4 में नगद राशि प्राप्त करने का स्पष्ट प्रावधान है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6, दिनांक 13.09.2007 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के निर्देश 01/2006, परिपत्र क्रमांक 03/सी 2773/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 05.01.2006 द्वारा भी नगद शुल्क जमा करने के लिए समुचित रसीद की व्यवस्था सभी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए है।

5/- अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि आपके अधीनस्थ आने वाले समस्त कार्यालयों में नगद शुल्क जमा करने के लिए सी.जी.टी.सी.6 समुचित रसीद की व्यवस्था तत्काल की जाये, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना न पड़े।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.12- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने पाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रसार-प्रचार सामान्य जिलों की अपेक्षा आदिवासी बाहुल्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुआ है। अतः माननीय आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है, कि जिला प्रशासन क्षेत्रीय बोली में हाट-बाजार, मेला मड़ाई के अवसर पर प्रसार-प्रचार के लिए लोक नाट्य, लोक संगीत जैसे साधनों को अपनाया जाकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् आम जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की समुचित जानकारी प्राप्त हो सकें।

2/- अतः अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.14- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सुझाव के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए जिले में अधिनियम के तहत् आने वाले आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा के लिए जिले में अधिनियम के निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष,
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य,
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य,
4.	अध्यक्ष, जिला प्रेस क्लब	सदस्य,
5.	अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन	सदस्य,
6.	शासन द्वारा नामांकित एक स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य,
7.	शासन द्वारा नामांकित एक समाजसेवी	सदस्य,

2/- अतः अनुरोध है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

---00---

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.15- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सुझाव दिया है, कि यदि किसी जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी के पास अथवा अपील/शिकायत आयोग या प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन लंबित हो, तो उससे संबंधित रिकार्ड (अभिलेख) अंतिम निराकरण होने तक विनिष्ट (destroy) नहीं किया जाये, भले ही विनष्टिकरण की

अवधि समाप्त हो रही हो।

2/- अतः अनुरोध है, कि माननीय आयोग द्वारा दिए गए सुझाव का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी कृपया आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013)

भाग-12

लोक प्राधिकारी की नियुक्ति

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की नियुक्ति।

---00---

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2 के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा अनुसार राज्य में निम्न प्रकार से लोक प्राधिकारी होंगे।

1. मंत्रालय के समस्त विभाग।
2. मंत्रालयीन विभागान्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त जिलाध्यक्ष।
4. समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत।
5. समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत।
6. समस्त विश्वविद्यालय।
7. राज्य शासन अन्तर्गत कार्यरत सभी बोर्ड, निगम, समितियाँ (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) चाहे वह कम्पनी अधिनियम, 1956, चेरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम एवं समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो और/अथवा जो राज्य शासन के मंत्रिपरिषद् के निर्णय, शासन निर्णय अधिसूचना अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा गठित किये गये हों
8. सभी स्वयं सेवी संस्थाएं जो पिछले वर्ष में शासन से रूपये 2.00 लाख (दो लाख केवल) या अपने टर्नओवर का 25 प्रतिशत इसमें जो कम हो अनुदान लिया हो।

उपरोक्त लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित सभी प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ आने वाले लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे। कृपया जारी आदेशों की प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 7-6/05/1/6 रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2005)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-6/05/1/6 दिनांक 21 नवम्बर, 2005

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2 की उपधारा-(ज) में लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है, उक्त परिभाषा के अनुसार संदर्भित परिपत्र द्वारा लोक प्राधिकारी की सूची जारी कर, अंतिम कंडिका में सभी प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ आने वाले लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी कर आदेश की प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, तत्संबंधी परिपत्र दिनांक 21.11.2005 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 5 की उपधारा - (2) में प्रावधान है, कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और तत्काल, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा-19 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाविहित करेगा।

3/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 की उपधारा-(1) के तहत् आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये तथा जहां, वांछित जानकारी का निकटतम संबंध किसी अन्य लोक प्राधिकारी से है उस स्थिति में अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत् संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन हस्तांतरित किया जाये।

4/ इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शिका के भाग-4 ''लोक सूचना अधिकारियों'' की कंडिका - 09 में भी स्पष्ट प्रावधान है।

5/ अतः अनुरोध है, कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-6/05/1/6, दिनांक 21.11.2005 के संदर्भ में आपके विभाग/कार्यालय के अधीन आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने एवं जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाईयों/समस्याओं का सामना करना न पड़े।

(छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-1/2013/आरटीआई/1-सुअप्र, रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013)

भाग-13

उच्च न्यायालय का निर्णय

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिंटों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 03. 04.2008 का निर्णय।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांक 918/जी-756/2009/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 30 जून, 2009)

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Decision dated 3.4.2008 of the Hight Court of Bombay at Goa in Writ Petition No. 419 of 2007 in the case of Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information Commission regarding information under the Right to information Act, 2005.

--00--

The undersingned is directed to say that the Hight Court of Bombay at Goa in the above referred case has held on 3.4.2008 that the term "information" as defined in the Right to Information Act does not include answers to the questions like 'Why'. The relevant part of the judgement is reproduced below :

"The definition of information cnnot include within its fold answers to the question "why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The Public information authorities cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter whithin the domain of adjudicating authorites and cannot properly be classified as information."

2. This may be brought to the notice of all concerned.

(No. 1/7/2009-IR Government of India, North Block, New Delhi-11001 Dated : The 1st June 2009)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिंटों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 03. 04.2006 का निर्णय।

--00--

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, कि उपर्युक्त संदर्भित मामले में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय ने 03.04.2008 को यह निर्णय दिया है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शष्ट 'सूचना' में 'क्यों' जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते। निर्णय का संगत भाग नीचे दोहराया जाता हैं।

''सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यो किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।''

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(संख्या : 1/7/2009-आई.आर. भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-11001 दिनांक 01 जून 2009)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एवं 3 के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्पन्न अभ्युक्ति बाबत्।

--00--

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/18/2011-आई.आर. दिनांक 16.09.2011 की छायाप्रति आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), के ज्ञापन से आपके अधीनस्थ अन्य संबंधितों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक 2990/जी-1558/2011/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 2 अक्टूबर 2011)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Subject : Observation of Hon'ble Supreme Court on Right to Information Act, 2005 in Civil Appeal no. 6454 of 2011, arising out of SLP [C] No. 7526/2009 in the case of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs Aditya Bandopadhyay & Ors.

--00--

The Undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No. 1/4/2009-IR dated 05.10.2009 whereby a Guide on the Right to Information Act, 2005 was circulated. Para 10 of Part I of the Guide, inter alia, stated that 'only such information can be supplied under the Act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. The Public Information Officer is not supposed to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical question.' The same issue has been elaborated by the Supreme Court in the matter of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. (Civil Appeal No. 6454 of 2011) as follows:

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that is available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not required to furnish information it to an applicant. which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and furnish any ' opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion' or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the public authority. Many public authorities have, as public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should

not be confused with any obligation under the RTI Act."

3. This may be brought to the notice of all concerned. (N0. 1/18/2011-IR Government of India North Block, New Delhi Dated : 16th Semptember, 2011)

विषय : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य के मामले एस.एल.पी. (सी) संख्या 7526/2009 से उद्भूत, सिविल अपील संख्या 6454/2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुपालन।

--00--

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2009-आई.आर. दिनांक 05.10. 2009 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक मार्गदर्शिका परिचालित की गई थी। मार्गदर्शिका के भाग-1 के पैरा 10 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लिखित किया गया था कि मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने; अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसी मुद्दे को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य (सिविल अपील संख्या 6454/2011) के मामले में उच्चतम न्यायलय द्वारा विस्तार दिया गया है जो निम्नानुसार है;

"इस मोड़ पर, यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (ञ) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्षों को निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या, 'मत' दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2(च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ, मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे

मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।''

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। (संख्या-1/18/2011-आई.आर. भारत सरकार नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2011)

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

--00–

The Central Information Commission in one of its decisions (copy enclosed) has held that information about the complaints made against an officer of the Government and any possible action the authorities might have taken on those complaints, qualifies as personal information within the meaning of provision of section 8(1)(j) of the RTI Act, 2005.

2. The Central Information Commission while deciding the said case has cited the decision of Supreme Court of India in the matter of Girish R. Deshpande vs. CIC and others (SLP (C) no. 27734/2012) in which it was held as under :-

"The performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression 'personal information'. The disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand. The disclosure of which could cause unwarranted incasion of the privacy of that individual. "the Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a large public interest.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

Encl : As above

(No. 11/2/2013-IR (Pt.) Government of India North Block, New Delhi, Dated the 14th August, 2013)

Central Information Commission, New Delhi

Fill No. CIC/SM/A/2013/000058

Right to Information Act - 2005 - Under Section - (19)

Date of hearing : 26/06/2013

Date of decision : 26/06/2013

Name of the Appellant : Sh. Manoj Arya,
(RTI) Activists and Social Worker, 67, Sec-12,
CPWD Flats, R.K. Puram, New Delhi - 110022

Name of the Public Authority : Central Public Information Officer,
Cabinet Secretariat,
(vigilance & complaintcell) 2nd Floor,
Sardar Patel Bhawan, New Delhi - 110001

The Appellant was not present in spite of notice.

On behalf of the Respondent, Shri M.P. Sajeevan, DS & CPIO was Present.

The third party, Shri S.B. Agnihotri, DG (DEF, ACQ) MoD was present.

Chief Information Commissioner : Shri Styananda Mishra

2. We heard the Submissions of both the respondent and the third party in the case.

3. in his RTI application, the Appellant had sought the copies of the complaints made against the third party in the case and the details of the action taken including the copies of the enquiry reports. He had also wanted the copies of the correspondence made between the Cabinet Secretariat and the Ministry of Shipping in respect of the third party in the case. The CPIO after consulting the third party under Section 11 of the Right to information Act. Had Refused to disclose and such informtion by claiming that it was personal in nature and thus exempted under the provisions of section 8(1)(j) of the Right to information (RTI) Act. Not satisfied with this decision of the CPIO. The Appellant had preferred an appeal. The Appellate Authority had disposed of the appeal in a speaking order in which he had endorsed the decision of the CPIO.

4. We have carefully gone through the contents of the RTI application and the order of the Appelate Authority. We have also considered the submissions of both the

respondent and the third party in the case. The entire infomation sought by the Appellant revolves around the complaints made against an officer of the government and any possible action the authorities might have taken on those complaints. The Appellate Authority was very right in deciding that this entire class of information was qualified as personal information within the meaning of the provisions of Section 8(i)(j) of the RTI Act. In this connection, it is very pertinent to cite the decision of the Supreme Court of india in the SLP(C) No 27734 of 2012 (Girish R Deshpande vs CIC and others) in which it has held that "The performance of

CIC/SM/A/2013/000058.

an employee/Officer in an organisation is primarlly a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual. " The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest. The information sought by the Appellant in this case is about some complaints made against a government official and any possible acton the authorities might have taken on those complaints. It is, thus. Clearty the kind of information which is envisaged in the above supreme court order. Therefore , the information is completely exempted from disclosure under the provisions of the RTI Act which both the CPIO and the Appellate Authority have

CIC/SM/A/2013/000058.

Rightly cited in their respective orders.

5. We find no grounds to interfere in the order of the Appellate Authority. The appeal is rejected.

6. Copies of this order given free of cost to the parties.

(Satyananda Mishra)
Chief Information Commissioner

Authenticated true copy. Additional copies of orders shall be supplied against application and payment of the charges prescribed under the Act to the CPIO of this Commission.

भाग-14

विविध

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पंजी का संधारण।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा मैदानी स्तर (जिला/तहसील/अनुविभाग/ब्लाक स्तर) पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रविष्टि के संबंध में पंजी निर्धारित की गई है। पंजी संधारण हेतु प्रारूप संलग्न है।

2. अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त लोक प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में पंजी संधारित की जाय।

संलग्न-पंजी का प्रारूप।

(सा.प्र.वि क्र. 1317/2005/1/6, दिनांक 25-10-2005)

सूचना का अधिकार - विभाग द्वारा तैयार संधारित पंजी

कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम ....

स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम तथा पिता का नाम	पूरा पता	आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी का है तो सूची क्रमांक सहित विवरण
1	2	3	4	5

मांगी गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण	ए.पी.एल. श्रेणी के आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई शुल्क का विवरण नगदी अथवा चा.क्र. /राशि/दिनांक	प्राप्त आवेदन पत्र जिस जन सूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी को दिया गया उसका विवरण (नाम/पद सहित)	यदि जानकारी अन्य विभाग से संबंधित है तो उस विभाग को भेजने की तारीख
6	7	8	9

आवेदक को कालम 9 के संबंध में भेजी गई जानकारी की तारीख	आवेदन को जानकारी उपलब्ध कराने की तारीख (यदि कालम 9 लागू नहीं है तो)	प्राप्त नकल शुल्क की राशि का विवरण (राशि/रसीद क्रमांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण
10	11	12	13

जानकारी प्राप्त करने वाले आवेदक का हस्ताक्षर व दिनांक	यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो कारण व दिनांक सहित विवरण	आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में आवेदक को दी गई सूचना की तारीख	रिमार्क
14	15	16	17

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम,-2005 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.09.2005.

उपरोक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02, अगस्त, 2005 द्वारा प्रत्येक कार्यालय के मैनुअल तैयार कर उसकी फ्लॉपी/सी.डी.एक प्रति सहित दिनॉक 31.08.2005 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है तथा संदर्भित पत्र में मैनुअल्स पी.डी.एफ. फारमेट में तैयार करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। अब तक संलग्न सूची में अंकित विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों से ही फ्लापी/सी. डी. प्राप्त हुई है, अन्य कार्यालयों की जानकारी अपेक्षित है।

2/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्रानुसार प्रत्येक विभाग, अपने विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के मैनुअल तैयार कर उसकी फ्लापी/सी.डी. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराए तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करे।

(छ.ग.शासन, सा.प्र. वि., क्रमांक एफ/7-6/2005/1/6 रायपुर, दिनांक 7/11/2005)

विषय :- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5-4/98/एक/9, दि. 13 जनवरी, 1999.

---00---

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.1.1999 में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने एवं गोपनीय चरित्रावली में अंकित सुझावात्मक/प्रतिकूल टीकाओं को संसूचित करने के संबंध में निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं तथा गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की कार्यवाही के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/का.प्र.सू. दिनांक 25 मई 1982 एवं क्रमांक एफ 5-5/90/49/9 दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में समुचित दिशानिर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 देवदत्त विरूद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारति निर्णय दिनांक 12.5.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल, न्यायायिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोड़कर)के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों उन्हें संसूचित की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त आदेशात्मक (Mandatory) है अतः उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3/ अतएव, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारियों अर्थात कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समायावधि में संसूचित करेगा एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को टीकाओं की संसूचना प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उन टीकाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा तथा सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उसका निराकरण समुचित रीति से किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यावेदन पर लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

4/ उपरोक्त निर्णयानुसार चूंकि अब अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी, अतः गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं पृथक से संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकें वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी अतः गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित करने, उसके विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन को निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय से संबंधित को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि वही रहेगी, जैसी कि सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त पिरपत्रों में प्रतिकूल टीकाओं की संसूचना एवं उनकें विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए निर्धारित है।

6/ शासन के सभी विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्णय का पालन उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों व उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों, तथा सभी निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 9-2/2008/1-6 रायपुर, दिनांक 16/12/2010)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किये जाने वाले जारी राशन कार्डो की वैधता के संबंध में।

---00---

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) में ग रीबी रेखा से नीचे के घोषित व्यक्तियों को उनके द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/- शासन के ध्यान में यह लाया गया है, कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गये राशन कार्डो का उपयोग निःशुल्क सूचना प्राप्ति हेतु किया जा रहा है। जबकि इन कार्डो पर यह स्पष्ट उल्लेख भी होता है, कि ''राशन कार्ड किसी वैधानिक उपयोग के लिए मान्य नहीं किया जावेगा तथा किसी भी अन्य व्यक्ति के पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।''

3/- अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनान्तर्गत'' वर्ष 2007-2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गए राशन कार्डो को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने के लिए मान्य न किया जाये।

4/- कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय से आपके विभाग/कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के अवगत कराया जाए।

(छ.ग. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक 1696/जी-668/2011/1-सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 जून, 2011। (*संशोधित किया गया))

----

*विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रियायती दर पर मुख्यमंत्री खाद्यान्न प्रदाय किये जाने वाले राशन कार्ड पर निशुल्क सूचना दिये जाने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 580/स्था./छगरासूआ./24 दिनांक 22.02.2024

---00---

उपर्युक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि पूर्व में विभाग द्वारा नगरीय प्रशासन विगाग, मंत्रालय नवा रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का निर्धारण के संबंध में अभिमत चाहा गया था। जिस पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2347/2742/18/2014 दिनांक 11.04.2014 द्वारा अभिमत दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों का सर्वेक्षण कार्य प्रथमतः वर्ष 1997-98 एवं उसके बाद वर्ष 2007-08 में कराया गया है। अतः शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2007-08 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जारी प्रमाणित सूची को आधार माना जाना योग्य है।

2/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 23.01.2017 की कंडिका 06 में राशनकार्ड की उपयोगिता :- राशनकार्ड का उपयोग, उपभोक्ता दरो पात्रता तथा राशन सामग्रियों की मात्रा के अलावा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। कृपया उक्त के संबंध में अवगत होना चाहेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक/416/जी-668/2011/1-13 नवा रायपुर 12 मार्च, 2024)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन।

--00--

विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों में नामांकित प्रथम अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का समुचित जानकारी न होने के फलस्वरूप अधिनियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के प्रथम अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा उनके द्वारा अधिनियम एवं राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के साथ ही निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये :-

जनसूचना अधिकारी :-

1. प्रत्येक पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु एक जनसूचना अधिकारी होगा। इनके नाम की सूचना पटिट्का कार्यालय में प्रदर्शित हो।
2. आवेदन संबंधित जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसे यथा नियम वह अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा।
3. प्रत्येक पंचायत में सूचना का अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदन को दर्ज करने हेतु एक पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें आवेदन में उल्लेखित विषयवस्तु तथा की गई कार्यवाही का उल्लेख होगा।
4. निर्धारित आवेदन फीस हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प के पृष्ठ भाग में "सूचना का अधिकार" के प्रयोजन हेतु उल्लेखित होना आवश्यक है तथा वह छत्तीसगढ़ राज्य का होना चाहिए। अन्य उद्देश्य के लिये प्राप्त किये गये नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प ग्राह्य नहीं किये जाएंगे।
5. सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदन पर 30 दिवस के भीतर आवेदक को अनिवार्य रूप से वांछित जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
6. जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली जानकारी अगर 150 शब्दों से अधिक होगी तो पृष्ठ की गणना की जाकर नियत शुल्क जमा करने हेतु आवेदक को सूचित की जावेगी।
7. विस्तृत/वृहद जानकारी होने पर आवेदक को अवलोकन हेतु जनसूचना अधिकारी द्वारा बुलाया जायेगा।
8. आवेदनकर्ता से पृष्ठों की गणना अनुसार सूचित किये गये शुल्क प्राप्त होने उपरांत जनसूचना अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी की फोटोकापी तैयार की जायेगी।
9. एक आवेदन पर कई विषयों की ओवदक द्वारा मांग किये जाने पर प्रथम विषयवस्तु की जानकारी दी जायेगी। अन्य के लिये पृथक-पृथक आवेदन करने हेतु आवेदक को जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत

कराया जायेगा, परन्तु एक विषयवस्तु में यदि कई बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है तो यह जानकारी अभिलेख की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी।

10. जनसूचना अधिकारी द्वारा पंचायत में उपलब्ध अभिलेखों की ही प्रतिलिपि प्रदान की जायेगी।

11. जनसूचना अधिकारी, चाही गई जानकारी अपने पंचायत से संबंधित न होने पर 05 दिवस के भीतर मूल आवेदन संबंधित पंचायत/कार्यालय को अंतरित करेंगे।

12. आवेदक द्वारा अन्य पंचायत/कार्यालय से संबंधित जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी संकलित नहीं की जायेगी।

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने का आशय, प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रदान करना नहीं है, अपितु संदर्भित पत्र पर की गई कार्यालयीन कार्यवाही है।

14. जनसूचना अधिकारी, तृतीय पक्ष की जानकारी में पर व्यक्ति से सहमति/असमति प्राप्त करेंगे।

15. आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी संबंधी अभिलेख पंचायत में उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रकरण की खोजबीन करायेंगे। आवश्यक होने पर अपने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करेंगे।

16. आवेदनकर्ता को सूचना का अधिकार से संबंधित कोई भी पत्र अथवा वांछित जानकारी पंजीकृत डाक से भेजना उचित होगा।

17. प्रत्येक दशा में जनसूचना अधिकारी को 30 दिवस के भीतर आवेदक के प्रकरण का निराकरण करना होगा। अगर सूचना दी जानी संभव नहीं हो, तब भी कारण सहित आवेदक को 30 दिवस में इस आशय की सूचना पंजीकृत डाक से भेजी जावें।

18. संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् जानकारी मांग करने पर उनको भी नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

प्रथम अपीलीय अधिकारी :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक जिला/जनपद/ग्राम पंचायत हेतु एक प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित होंगे।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अपील करने पर तिथि निर्धारित कर नियत समय पर आवेदक को अनिवार्य रूप से बुलाया जाये।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा 30 दिवस के भीतर आदेश पारित करना अनिवार्य होगा। (विशेष परिस्थितियों में 45 दिवस के भीतर)। अतः आवेदक को बहुत अधिक पेशी न देवें।

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को खारिज नहीं करना है, गुण-दोष के आधार पर प्रकरण में निर्णय दिया जाना है।

5. अपील हेतु निर्धारित तिथि को संबंधित जनसूचना अधिकारी के अनुपस्थिति रहने की दशा में, जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या प्रेषित किये गये जवाब की समीक्षा के पश्चात ही प्रथम अपील में

आदेश पारित किया जाये।

6. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मानक आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करना है। पारित आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिए।

7. सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराये गये कारणों को विचार में लिया जाकर निर्णय पारित हो।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही के विरूद्ध आदेश पारित करने पर समुचित कारण का उल्लेख भी किया जाये।

9. आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी संबंधी अभिलेख नहीं मिलने पर, उसे खोजबीन किया जाना आवश्यक होगा।

10. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी प्रथम अपीलीय अधिकारी की है।

11. प्रथम अपीलीय अधिकारी स्वयं जनसूचना अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी है, अतः उन्हें, समय-समय पर सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरणों पर दिये गये निर्णयों के पालन की समीक्षा भी करना आवश्यक होगा।

12. नियत समयावधि के पश्चात् जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाती है, इससे संबंधित पंचायत पर अनावश्यक वित्तीय भार आता है। अतः इस पर होने वाला व्यय संबंधित जनसूचना अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु कार्यवाही की जाये। यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग पर राज्य सूचना आयोग द्वारा आदेश दी जाती है, तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाये तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन कर पालन किया जाये, जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किया जा सके।

(छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग क्र./पंचा/सू.अ./पंग्राविवि/22/2018/54 अटल नगर, दिनांक 08 अक्टूबर 2018)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अद्यतन करने बाबत्।

संदर्भ :- राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 979/स्था/छगरासूआ 18,दिनांक 20.5.2019

--00--

मुख्य सचिव को संबोधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियन के अधिनियनन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियन निर्देशो को जानकारी/सूचना सीधे जान जनता/पणधारियों (Stakeholder) हेतु कम्प्यूटीकरण कर, विभाग की वेबसाईट में प्रकाशित की जाना थी एवं उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन भी किया जाना है। अधिनियन की उक्त धारा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।

3/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भित पत्र के अनुसार अभी भी बहुत से विभागो द्वारा विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/अद्यतन नहीं जा रही है। उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) का राज्य शासन से पालन कराने हेतु एक जनहित याचिका क्रमांक डब्लूपी (पीआईएल) 35/2012 में मान. उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.9.2012 को आदेश पारित किया है तथा धारा 4 (1)(ख) का पालन लोक प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु छः माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

4/ श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, बंधवा पारा, पुरानी बत्ती, रायपुर (छ.ग.) ने भी राज्य सूचना आयोग में आवेदन दिनांक 19.06.2019 प्रस्तुत कर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 4(1)(ख) का पालन विभागों के लोक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधींत वेबसाईट में अपलोड नहीं कराये जाने के कारण, आवेदकों से कार्यालय के पदाधिकारियों से वाद-विवाद होने की शिकायत की गई है।

5/ जैसा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने उनके संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया है कि धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों पर कार्यवाही शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा की जाना है एवं पालन प्रतिवेदन नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना है। चूंकि यह कार्यवाही अधिनियम के अनुसार बाध्यकारी है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भी क्रियान्वयन आवश्यक है।

(छ.ग.शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 7-6/2005/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.07.2019)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) के तहत अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत करने के संबंध में कारण दर्शाया जाना।

--00--

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथास्थिति लोकसूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को :-

1. ऐसी अस्वीकृति का कारण।
2. वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा।

कृपया आपके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी को अधिनियम के उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(छततीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पंजी. क्र. 2285/जी-802/2019/1-13(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर दिनांक 18 सितम्बर 2019)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मनीआर्डर से भेजी गई राशि के संबंध में।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने अवगत कराया है कि जब कोई आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विहित शुल्क की राशि मनीआर्डर के माध्यम से जमा करता है, तो शुल्क की राशि आवेदन/अपील आवेदन के साथ संलग्न जमा नहीं हो पाती है। मनीआर्डर से भेजी शुल्क की राशि बाद में प्राप्त होती है, लेकिन इसी बीच प्राप्त हुए आवेदन/अपील को विहित शुल्क प्राप्त न होने के आधार पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेदक को अनावश्यक रूप से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ती है।

अतः इस संबंध में आपके विभाग/कार्यालय में नियुक्त समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को युक्तियुक्त निर्देश जारी करें कि जब विहित शुल्क मनीआर्डर से प्राप्त हो, उसी दिन से अनुरोध पत्र का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अतः ऐसे मामलों में आवदेन को निरस्त करने के बजाए जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा एक निश्चित समय **(10 दिवस)** तक शुल्क की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जाए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों की मंशा पूर्ण हो सके।

(छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ 11-1/2019/1-13 (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर दिनांक 26 सितम्बर 2019)

विषय :- मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 हुई बैठक के कार्यवाही विवरण पर निर्देशित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किये जाने बावत्।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु** मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को वन विभाग में बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना

आयोग द्वारा जारी बैठक के कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया **सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यवाही विवरण में उल्लेखित टीप/निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।**

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(छ.ग.शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक/680/आर जी-347/2020/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13 मार्च, 2020)

दिनांक 03/02/2020 की बैठक का कार्यवाही विवरण

श्री एम. के. राउत, मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को **वन विभाग में** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। जिसमें श्री मोहन राव पवार, राज्य सूचना आयुक्त, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, राज्य सूचना आयुक्त एवं श्री मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग उपस्थित रहे।

1/ वन विभाग के कुछ कार्यालयों में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अथवा लेखा शाखा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यालय के किसी सक्षम अधिकारी जिन्हें विभागीय गतिविधियों की जानकारी हो, को जनसूचना अधिकारी बनाया जावे।

2/ आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(बी) के तहत दिए गए 17 बिन्दुओं से संबंधित कार्यालयों की जानकारी को वेबसाईट में अपलोड रखा जावे तथा प्रति वर्ष उसका अपडेशन किया जावे, जिससे कार्यालय को एक ही जानकारी बार-बार आवेदकों को देने की आवश्यकता न हो। उक्त जानकारी में प्रति वर्ष के बजट एवं व्यय की जानकारी भी सम्मिलित की जावे।

3/ आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई में यह तथ्य आया है कि अधिनियम की धारा-6(3)(पप) के तहत आवेदक के आवेदनों को ऐसे कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है, जो जानकारी उस कार्यालय से संबंधित ही नहीं होती। अतएव अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत स्थानांतरित किए जाने वाले आवेदनों को अधिनस्थ कार्यालय में आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी के अनुरूप किया जावे।

4/ धारा-6(3)(ii) के अंतर्गत किसी आवेदन पत्र को अन्य कार्यालय में अंतरित करने पर भी संबंधित जनसूचना अधिकारी अपना नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप में लिखें, साथ ही अन्तरित किए गए कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के साथ **उनके प्रथम अपीलय अधिकारी का भी उल्लेख किया जावे।**

5/ वन विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील आदेश पारित किए जा रहे हैं किन्तु आदेश पारित करने के उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा उनके स्वयं के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे आवेदक को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करना पड़ता है। उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत जारी आदेश के पालन के संबंध में निर्देश दिए गए

हैं। आयोग की वेबसाईट www.siccg.gov.in से उक्त परिपत्र की प्रति डाउनलोड की जा सकती है।

6/ जनसूचना अधिकारी के द्वारा यदि कोई गलत जानकारी दी गई है, उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान सही जानकारी दिया जा सकता है।

7/ वन विभाग के द्वितीय अपील प्रकरणों में यह देखने में आया है कि आवेदकों के द्वारा केशबुक, बिल व्हाउचर, लॉक बुक, यात्रा डायरी, आदि की मांग की जाती है। जिसे अधिनियम के तहत जानकारी दी जा सकती है। किन्तु यह ध्यान रखा जाना है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक एकाउंट नंबर, आधार नंबर यदि उसमें दर्ज है, तो उस स्थिति में उसे छुपाकर दिया जाना है।

8/ वाहन की लॉक बुक कार्यालयीन दस्तावेज है, अतः उसे अधिकारी के स्थानांतरित होने पर कार्यालय में जमा किया जाना है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगे जाने पर उसकी सत्यापित प्रति दिया जाना है।

9/ जनसूचना अधिकारी अपने पत्राचार में उनका नाम एवं पदनाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी अपने प्रथम अपील आदेश में नाम एवं पद नाम का स्पष्ट उल्लेख करें। आयोग में किए जाने वाले पत्राचार में भी नाम का उल्लेख होना चाहिए।

10/ वन सुरक्षा समिति लोक प्राधिकारी है, अतः जनसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों पर जवाब भी वन सुरक्षा समिति के सचिव के द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

11/ समस्त अधिनस्थ कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम का बोर्ड लगा होना चाहिए।

12/ आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जावे।

13/ आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति लगाए जाने की स्थिति में अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाना चाहिए।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पोस्टल आर्डर के रूप में प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि शासन के मद में जमा किए जाने विषयक।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी शुल्क/मूल्य के रूप में प्राप्त भारतीय पोस्टल आर्डर के बारे में विभाग/कार्यालय में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उसे आवेदन में ही लगे रहने देते हैं, जिससे शासन की वित्तीय हानि होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देर्शित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शुल्क/मूल्य के रूप में प्राप्त भारतीय पोस्टल आर्डर की छायाप्रति आवेदन में संलग्न कर मूल पोस्टल आर्डर को पोस्ट ऑफिस में नियमानुसार

जमा करावें तथा पोस्ट ऑफिस से प्राप्त राशि को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मद में मुख्य शीर्ष-0070, उप मुख्य शीर्ष-(60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए प्रति माह जमा होने वाले शुल्क का विवरण भी कार्यालय/विभाग में संधारित करें। पोस्ट ऑफिस में पोस्टल आर्डर के साथ भेंजे जाने वाले प्रपत्र संलग्न प्रेषित है।

(छ.ग. शासन सा. प्र. वि. का पत्र क्र. 1548/जी-674/2021/1-13 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उच्च स्तर पर होने के संबंध में निर्देश।

छततीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा शासन को ध्यान में लाया है कि प्रायः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर जनसूचना अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तर पर प्रकरण लंबित कहकर आवेदक को सूचित किया जाता है तथा चाही गई जानकारी प्रदाय नहीं की जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी यथासंभव पहुँच पर हो तो जानकारी प्राप्त कर आवदेक को प्रदाय करने का प्रयास करें या चाही गई जानकारी जिस स्तर पर हो उससे आवेदक को सूचित करें।

कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. का पत्र क्र./1152/जी-381/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मई 2022)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने के संबंधी।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2-7/2006/1/6, दिनांक 29.03.2006 एवं 30.06.2021

---00---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.03.2006 में "विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के कार्यवाही विवरण को गोपनीय मानते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8 (1) के तहत जानकारी प्रदाय करने से वर्जित किया गया था।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/1624/2014 में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 के अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 2-7/2006/1/6, दिनांक 29 मार्च, 2006 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया गया था :-

''विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदाय किया जा सकता है, किन्तु उसके साथ संलग्न गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग, आवेदक से ही संबंधित हो तो प्रदाय किया जा सकता है।''

3/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 के परिप्रेक्ष्य मेंरिट याचिका क्रमांक 1495/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 का पैरा 05 एवं 06 अवलोकनीय है :-

5. The Supreme Court eventually concluded that information relating to a third party cannot beprovided as it would amount to invasion of the privacy of the individual. Similarly, if copy of the DPC proceedings are supplied it will invade the privacy of persons whose ACRs would be disclosed to the information seeker, therefore, the procedure outlined under section 11(1)of the RTI Act is to be followed, as the same cannot be dispensed with. If the said parties, whose ACRshave been considered by the DPC, agree and accord consent for supplying the information, the information may be supplied, but if even one of the candidate fallen within the zone of consideration refuses to accord consent, entire DPC proceedings cannot be supplied unless the Commission, for good reasons, overrules the objection.

6. In view of foregoing, the impugned orders passed by the Commission in both the writ petitions are set aside and both the matters are remitted back to the Commission to follow the mandatory provision outlined under section 11(1) of the RTI Act and thereafter, pass the final order after seeking consent of all the parties whose ACRs are contained in the DPC proceedings.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 उपरोक्त निर्णय दिनांक 19.09.2018 से निरस्त किये जाने से विभाग द्वारा जारी परिपत्र पत्र क्रमांक एफ 2-7/2006/1-13 दिनांक 30 जून 2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऐसे आवेदन जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की मांग की हो, पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) का पालन करते हुए समस्त पक्षकारों, जिनके प्रकरणों पर विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा विचार किया गया हो, की सहमति/असहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रदाय किया जा सकता है परन्तु यदि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचाराधीन किसी एक भी पक्षकार द्वारा अपनी असहमति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही तब तक प्रदाय नहीं की जायेगी जब तक आयोग द्वारा उचित कारणों का लेख करते हुए आपत्ति को निरस्त नहीं कर दिया जाता है।''

5/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी को उक्त संशोधन से अवगत कराते हुए आवेदनों का निराकरण करने हेतु निर्देशित करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 2-7/2006/1-13 नवा रायपुर 09 जुलाई, 2024)

जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण अनुकरणीय बिन्दु

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तगण के द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पायी जाने वाली कमियों के संदर्भ में ध्यान योग्य तथ्य निम्नानुसार है:-

1. छ.ग. शासन के निर्देशुनसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदनों की पंजी संधारित करें। (सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक 1317/2005/1/6 दिनांक 25.10.2005)

2. आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो अधिनियम की धारा-6(3) के प्रावधान अनुसार पांच दिवस में संबंधित जनसूचना अधिकारी को अंतरित करना चाहिए। परन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा इसका पालन नही कर अत्याधिक विलंब से आवेदन अन्य जन सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाता है, यह अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है।

3. आवेदक द्वारा तृतीय पक्ष की गोपनीय/व्यक्तिगत जानकारी की मांग किये जाने पर जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा-8 में प्रदत्त छूट का परीक्षण करें, किन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा परीक्षण किये बिना सूचना देने से इन्कार कर दिया जाता है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा-11 के तहत तृतीय पक्ष की सहमति/असहमति प्राप्त नहीं की जाती है, जिसके अभाव में अधिनियम की धारा-8 की कार्यवाही विधि अनुरूप मान्य नही की जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी को आयोग को जवाब प्रेषित करते समय उपरोक्त की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिए।

4. जन सूचना अधिकारी के द्वारा कई आवेदन के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी को एक से अधिक विषय वस्तु की मान कर निरस्त कर दिया जाता है अथवा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाता है जोकि सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 के नियम-3 के प्रावधान के विपरीत है ।ऐसे प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को प्रथम विषय वस्तु की जानकारी देते हुए शेष विषय वस्तु के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने अनुरोध किया जाना चाहिए।

5. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की विषय वस्तु को वृहद जानकारी बताकर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अवलोकन/निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जाता है जबकि जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी किस प्रकार से वृहद है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। जन सूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा जानकारी की मांग किये जाने पर अभिलेखों की गणना कर प्रतिलिपि शुल्क की मांग किया जाना चाहिए। अननुपाती रूप में पृष्ठों की संख्या अधिक होने पर धारा-7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन आवेदक से किया जायेगाअथवा जब आवेदक द्वारा अभिलेखों के अवलोकन हेतु स्वयं आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

6. जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी /आवेदक से प्रतिलिपि शुल्क मांगते समय किये जाने वाले

पत्राचार में अभिलेखों की वास्तविक गणना किये बगैर प्रतिलिपि शुल्क मांग कर ली जाती है, यह छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 के नियम-4 के विपरीत है।

7. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से प्रतिलिपि शुल्क जिस पत्र के माध्यम से मांग किया जाता है यदि आवेदक चालान के माध्यम से प्रतिलिपि शुल्क जमा करना चाहता है तो उसकी सुविधा के लिये छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 के नियम-5 में दर्शाये अनुसार छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मद ''मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य प्रशासनिक सेवायें, लघु शीर्ष (118)- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ'' का पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिये।

8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा जब आवेदक के आवेदन की जानकारी देने से इन्कार किया जाता है तो उसे आवेदक को आवेदन नामंजूर करने का कारणों का उल्लेख करते हुए अपना नाम, पदनाम, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालयीन पता के साथ-साथ प्रथम अपील करने की समय-सीमा का उल्लेख करते हुए आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए। आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित जवाब में इसका अभाव होता है।

9. अधिकांश जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को प्रेषित जवाब में स्वयं का नाम, पदनाम अंकित नहीं करते है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.12.2021 तथा 11.08.2015 के द्वारा जारी निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपना नाम, पदनाम अंकित करना अनिवार्य है।

10. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में जानकारी विलंब से दिये जाने के कारण का कोई उल्लेख नहीं किया जाता केवल यह लेख कर दिया जाता है कि आवेदक को जानकारी प्रदाय कर दी गई है। अतः जनसूचना अधिकारी अपने जवाब में विलंब का कारण एवं यदि मूल आवेदन दिनांक को पदस्थ जनसूचना अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है तो उसका नाम, पदनाम एवं उनकी वर्तमान पदस्थापना स्थल (पता) से वर्तमान जनसूचना अधिकारी को आयोग को अवगत कराया जाना चाहिये।

11. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में आवेदक को जानकारी समक्ष में दिये जाने संबंधित पावती अथवा साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाने से संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न नहीं की जाती है, जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि आवेदक को जानकारी किस माध्यम से प्रेषित की गई है। अतः जन सूचना अधिकारी को आयोग को प्रेषित जवाब में इन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए।

12. जनसूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 दिवस के भीतर करना चाहिये। दस्तावेजी शुल्क की मांग किये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के

उपरांत शेष दिवस की गणना की जाना चाहिये।

13. जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में निम्नांकित तिथियों का अवश्य समावेश करें -

(i) प्रथम आवेदन प्राप्त होने का दिनांक

(ii) यदि प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई हो तो उस पत्र का दिनांक

(iii) यदि आवेदन अन्तरित किया गया हो तो अन्तरण संबंधी पत्र का दिनांक

(iv) आवेदक को अवलोकन हेतु बुलाया गया हो तो उस पत्र का दिनांक

(v) आवेदक को जिस दिनांक को जानकारी दी गई उस पत्र का दिनांक

(vi) प्रथम अपील प्रस्तुत की गई हो तो प्रथम अपील आवेदन का दिनांक

(vii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश का दिनांक

(viii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के पालन में की गई कार्यवाही का दिनांक

(ix) वर्तमान जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान कार्यालीन पता

(x) आयोग को प्रस्तुत जवाब का दिनांक तथा उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

14. जन सूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा जब प्रथम अपील प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कई प्रकरणों में अपील का निराकरण केवल अपीलार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गुणदोष पर विचार करते हुए स्पष्ट बोलता हुआ आदेश अधिनियम के प्रावधान के अनुसार करना अनिवार्य है । (छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13 दिनांक 31.10.2014 में दिये निर्देशानुसार)

15. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा यदि आदेश में निर्धारित समय सीमा में जानकारी देने हेतु जन सूचना अधिकारी को आदेशित किये जाने की स्थिति में उन्हें अपने आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए क्योंकि वह जन सूचना अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी भी होते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उनके आदेश की अवहेलना किये जाने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिये।

16. प्रथम अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर 30 दिवस अधिकतम 45 दिवस में निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है।

भाग-15

नमूना प्रपत्र

नमूना प्रपत्र-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(जन सूचना अधिकारी के समक्ष : सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-प्रारूप)

(जो लागू न हो उस बिन्दु के आगे X का निशान लगा दें)

सेवा में,

1. जनसूचना अधिकारी का नाम ....

जनसूचना अधिकारी का पद एवं पता ....

जिला ....

2. सूचना का विवरण : ....

....

3. मैं, एतदद्वारा, कथन करता हूँ कि मांगी गई सूचना उन श्रेणियों के तहत आच्छादित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत अथवा धारा 9 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट–प्राप्त है और जहां तक मुझे ज्ञात है, यह आपके विभाग / कार्यालय से संबद्ध है।

4. मेरे द्वारा ई–स्टॉम्प / नानज्यूडिशियल स्टाम्प / पोस्ट्ल आर्डर / मनीआर्डर / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / चालान / नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में–क्रमांक .... दिनांक ..../......./.............. शुल्क् की राशि ₹ 10 / – (दस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

अथवा

मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हूँ, जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

दिनांक :– ..../.........../........................

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

नाम ....

पूर्ण पता ....

....

....

मोबाईल नंबर ....

टीप :– जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रारूप–नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

नमूना प्रपत्र-2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष : सूचना प्राप्त करने के लिए अपील आवेदन-प्रारूप)

(जो लागू न हो उस बिन्दु के आगे X का निशान लगा दें)

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम ....

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद एवं पता ....

....

जिला ....

महोदय,

(i) मैंने जनसूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक – ..../....../........... को सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु उनके द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट न होकर निम्नलिखित कारण से प्रथम अपील प्रस्तु त कर रहा हूँ:–

(ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा (किसी एक कारण में सही का निशान लगाएं)

अ. अधूरी/भ्रामक जानकारी देने के कारण

ब. जानकारी नहीं देने के कारण

स. जानकारी देने से इंकार करने के कारण

द. आवेदन पत्र लेने से इंकार करने के कारण

इ. गलत जानकारी देने के कारण

फ. अन्य कोई कारण हो तो..

2. मेरे द्वारा प्रथम अपील हेतु ई–स्टॉम्प/नानज्यूडिशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/चालान/नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में – क्रमांक .... दिनांक ..../......./.............. शुल्क की राशि रू. .... का भुगतान कर दिया गया है।

अथवा

मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हूँ, जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्योपित प्रति संलग्न है।

3. उपरोक्त कारण से प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए जनसूचना अधिकारी को आदेश देने का कष्ट करेंगे।

दिनांक :– ..../........../.......................

संलग्न :– जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दिए गए शुल्क संबंधी पत्र की छायाप्रति।

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

नाम ....

पूर्ण पता ....

....

....

मोबाईल नंबर ....

टीप :– प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए यह प्रारूप–नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

नमूना प्रपत्र-3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

द्वितीय अपील समक्ष में

मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर

(जो लागू न हो उस बिन्दु के आगे X का निशान लगा दें) प्रस्तुति दिनांक ...... / .... / .....

मैं जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु आवेदन किया किन्तु चाही गई सूचना / निर्णय अपेक्षानुसार प्राप्त न होने के कारण मैं द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विवरण निम्नांनुसार है :–

1. जनसूचना अधिकारी का नाम ....
   (जिसके समक्ष प्रथम आवेदन प्रस्तुत किया गया)
   (i) जनसूचना अधिकारी का पद एवं पता ....

   ....

   ....

   जिला ....

   (ii) जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का दिनांक – .... / ...... / .... एवं यदि उनके द्वारा कोई सूचना दी गई हो तो उसकी छायाप्रति।

   (iii) जनसूचना अधिकारी द्वारा (किसी एक कारण में सही का निशान लगाएं)

   अ. अधूरी / भ्रामक जानकारी प्राप्त होने

   ब. जानकारी प्राप्त नहीं होने

   स. जानकारी देने से इंकार करने

   द. आवेदन पत्र लेने से इंकार करने

   इ. गलत जानकारी प्राप्त होने

   फ. अन्य कोई कारण

   ....

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम ....
   (जिसके समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया)

(i) प्रथम अपीलीय अधि. का पद एवं पता ....

....

जिला ....

(ii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का दिनांक ..../....../...........

(iii) प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि सुनवाई की गई हो तो उसका दिनांक ..../..../.....

(iv) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा (किसी एक कारण में सही का निशान लगाएं)

अ. निर्णय नहीं देने,

ब. दिए गए निर्णय दिनांक ..../......./........... से क्षुब्ध होने,

स. जानकारी देने के निर्देश देने के बाद भी सूचना नहीं देने,

द. प्रथम अपील आवेदन पत्र लेने से इंकार करने के कारण

इ. अन्य कोई कारण

....

3. द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने के संबंध में संक्षिप्त. विवरण –

....

....

4. द्वितीय अपील हेतु संलग्न शुल्क का विवरण–ई–स्टॉम्प/नानज्यूडिशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/चालान/नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में क्रमाकं .... दिनांक ...../..../......... शुल्क की राशि रूपये .... संलग्न है।

अथवा

मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हूँ, जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

5. संलग्न (जो लागू न हो उस बिन्दुक के आगे X का निशान लगा दें)

(i) जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुनत आवेदन पत्र एवं दिए गए शुल्क संबंधी पत्र की छायाप्रति।

(ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई सूचना दी गई हो तो उसकी छायाप्रति।

(iii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन एवं दिए गए शुल्क संबंधी–पत्र की छायाप्रति।

(iv) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यदि कोई निर्णय दिया गया हो तो उसकी छायाप्रति।

(v) अन्य –

6. मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 06 तक दिया गया विवरण मेरी जानकारी अनुसार सत्य है। यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त / विषय अपील शिकायत आवेदन इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

दिनांक :– ..../........../......................

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)
नाम ....
पूर्ण पता ....
....
....
मोबाईल नंबर ....

टीप :– द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए यह प्रारूप–नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

सूचना का
अधिकार

CHHATTISGARH STATE INFORMATION COMMISSION
North Block, Sector-19, Nawa Raipur, Atal Nagar, District-Raipur, Pin : 492002
Tel. No. (0771) 2512107, Fax No. : 2512102
website : www.siccg.gov.in
webportal : rtionline.cg.gov.in